बुधवार,
९ सितम्बर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बुधवार, ९ सितम्बर, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भांडार का क्रय

*११३३. **ो एम० एल० द्विवेदी :** क्या **निर्मा गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भांडार क्रय संगठन के कार्य की जांच पड़ताल के लिये निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय ने जो समिति स्थापित की थी उसकी अब तक कितनी बैठकें हो चुकी हैं ;

(ख) पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न विकास योजनाओं के हाथ में होने के कारण बदलती हुई परिस्थितियों को पूरा करने के लिये सरकार को जिस भांडार की आवश्यकता है उसके क्रय के लिए क्या समिति ने कोई नये सिद्धान्त और अधिक वैज्ञानिक तथा लचीली प्रणाली बनाने के विषय में कोई निश्चय किया है ;

(ग) क्या समिति ने उस सहायता के प्रश्न पर विचार किया है जो क्रय संघ देशीय उद्योगों को दे सकता है ; तथा

(घ) क्या समिति ने भांडार के क्रय के लिए नियत वार्षिक धन में बचत करने के ढंग तथा उपाय जानने के प्रश्न पर विचार किया है ?

निर्मा गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बरा ोहिन) : (क) १ सितम्बर १९५३ तक भांडार क्रय समिति की ४५ बैठकें हुई थीं।

(ख) से (घ) समिति ने अभी अपनी कार्यवाहियां समाप्त नहीं की हैं, और ये सभी विषय उसके विचाराधीन हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या समिति ने लन्दन तथा अन्य स्थानों पर स्थापित प्रादेशिक समितियों की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ? यदि हां, तो विचार किस स्थिति में है ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि समिति भांडार क्रय सम्बन्धी स्थितियों को स्वयं देखने की दृष्टि से इन देशों को जानने का विचार कर रही है ?

श्री बुरागोहिन : मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि हमारे संघों, अर्थात भारतीय सम्भरण मिशन, वाशिंगटन तथा लन्दन स्थित भारत भांडार विभाग की जांच के लिये हम ने दो विशेषज्ञ समितियां नियुक्त की थीं। इन समितियों ने वर्ष के आरम्भ में अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये थे और प्रतिवेदनों की मन्त्रालय ने अलग अलग जांच पड़ताल की है। अधिकतर

सिफारिशों को मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है और अन्य सिफारिशों म से कुछ इस समिति के भी विचाराधीन हैं। लंदन तथा वाशिंगटन जाने का समिति का कोई विचार नहीं है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : श्रीमान, मैं जान सकता हूं कि क्या राज्य सरकारों तथा संसत्सदस्यों से परामर्श किया गया है, और यदि हां तो, परामर्श किस स्थिति में है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जांच पड़ताल अभी चल रही है। क्या वे यह समाप्त कर चुके हैं ?

श्री बुरागोहिन : सभापति ने लगभग ३० संसत्सदस्यों को लिखा था--दोनों सदनों के--और कुछ उत्तर प्राप्त हो गय हैं। समिति न बहुत से उन संसत्सदस्यों के विचारों की भी जांच पड़ताल की है जिन्होंने इस समस्या में रुचि प्रकट की थी। जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है, लगभग १५ राज्य सरकारों ने हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज दिये हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि समिति का कार्य कब तक समाप्त होगा ?

श्री बुरागोहिन : समिति को आशा है कि वह अपने कार्य का साक्ष्य भाग आगामी मास के अन्त तक समाप्त कर देगी और तत्पश्चात अपने प्रतिवेदन पर कार्य करेगी। इसे आशा है कि यह अपना कार्य लगभग तीन चार मासों में समाप्त कर देगी।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, क्या मैं उन संस्थाओं के नाम जान सकता हूं जिन के प्रतिनिधियों से अब तक इस समिति ने पूछ ताछ की है ?

श्री बुरागोहिन : चालीस व्यापार संस्थाओं ने अपने उत्तर भेजे हैं और कुछ प्रतिनिधियों से पूछताछ हो चुकी है। अब तक दिल्ली के अतिरिक्त, समिति कानपुर गई थी और वहां वे दो व्यापार संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मिले अन्य व्यापार-संस्थाओं के प्रतिनिधियों के विषय में, समिति का विचार है कि वह उन से पूछ ताछ दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में करेगी।

कुमारी एनी मस्करीन : श्रीमान्, मैं जान सकती हूं कि क्या समिति ने कोई टेंडर-प्रणाली अपनाई है तथा क्या किसी संसत्सदस्य ने किसी समवाय या विशेष फर्म की सिफारिश की है ?

उपाध्यक्ष महोदय : टेंडर-प्रणाली समिति टेंडर, प्रत्यक्ष क्रय आदि के सम्पूर्ण प्रश्न की जांच कर रही है। अग्रेतर प्रश्न।

उद्योगों की स्थापित क्षमता का परिमाप

*११३४. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस देश में उद्योगों की स्थापित क्षमता का परिमाप करने के लिए पदाधिकारियों तथा निजी इन्जिनियरों की एक छोटी सी समिति स्थापित की गई है ;

(ख) समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेगी ; तथा

(ग) क्या सरकार ऐसे उद्योगों के मामले में, जैसे सूती वस्त्र उद्योग जिनके सम्बन्ध में टैक्निकल समिति के प्रतिवेदन सिफारिशों सहित उपलब्ध हैं, इस प्रस्तावित समिति या अन्य किसी सरकारी समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व भी कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) आशा है कि समय समय पर समिति अपने प्रतिवेदन तथा सिफारिशें सरकार को भेजती रहेगी।

(ग) इस प्रकार की समिति की नियुक्ति किसी भी दिशा में सरकारी कार्यवाही पर प्रतिबन्ध नहीं लगाती।

श्री एम० एल० द्विवदी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि यदि यह सरकार की किसी कार्यवाही पर प्रतिबन्ध नहीं लगाती तो क्या इस पर वास्तव म कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : किस पर ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : सूती वस्त्र उद्योग पर।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह एक कठिन प्रश्न है। हमारी एक वस्त्र-जांच समिति है जिस की आज कल बैठकें हो रही हैं। मैं नहीं समझता कि वस्त्र जांच समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने के पूर्व सरकार के लिए वस्त्र उद्योग के सम्बन्ध में, कार्यकारिणी समिति या इसी प्रकार की अन्य किसी समिति के प्रतिवेदन के आधार पर, कोई कार्यवाही करना सम्भव होगा।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मुख्य उद्योगों संबंधी आंकड़ों से मुझे पता लगा है कि अधिकतर उद्योग, सरकारी या निजी जो भी हैं, स्थापित क्षमता से बहुत कम क्षमता पर चल रहे हैं। मैं जान सकता हूं कि उन्हें पूर्ण क्षमता पर चलाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, इस प्रकार की किसी सामान्य आलोचना से हम कुछ नहीं समझ पाते। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष उद्योग अथवा उद्योग समूह में रुचि रखते हैं तो कदाचित मैं उनकी कुछ सहायता कर सकूं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या यह समिति सरकारी उद्योगों की कार्य-क्षमता का परीक्षण करने के योग्य होगी, और यदि हां, तो क्या वे यह कर रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्माचारी : श्रीमान्, इस समिति का कार्य व्यापक ढंग का है। इच्छा यह है कि इस समिति का कार्य सरकार को इस देश में औद्योगिक शक्ति निर्धारित करने तथा अपनी योजनायें बनाने में सहायक होगा। समिति को किसी भी मामले की जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

श्री एम० एल० द्विवेदी : समिति के निर्देश पद क्या हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री हेडा को बुला रहा हूं।

श्री हेडा : छोटे छोटे उद्योगों को बड़े उद्योगों से मिलाकर बेकारी की समस्या के हल सम्बन्धी हाल की प्रवृत्तियों की दृष्टि से, क्या सरकार इस आधार पर सम्पूर्ण प्रतिवेदन पर पुनर्विचार करेगी अथवा वे समय समय पर भिन्न प्रतिवेदन मांगेंगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, व्यापक प्रतिवेदन का कोई प्रश्न नहीं है। इस समिति से विशेष उद्योगों की जांच पड़ताल करने तथा समय समय पर हमें प्रतिवेदन भेजने को कहा जाता है। तत्काल तो उन्होंने तीन चार दिशाओं में और अधिक पूछताछ करने का सुझाव दिया है। मैं कदाचित माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि हम इस स्थिति को निरन्तर देख रहे हैं और सब का तात्पर्य यह है कि हमें देश में व्यवसाय शक्ति बढ़ानी चाहिये।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या इस समिति से यह आशा है कि वह देश में भ्रमण करेगी तथा महत्व पूर्ण उद्योगों

को देखेगी ? क्या मैं इस समिति के सभापति का नाम भी जान सकता हूं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, समिति का कार्य स्वयं समिति द्वारा ही निश्चित किया जायेगा। श्री मुलगावकर समिति के सभापति हैं।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार की नीति उन उद्योगों में विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन देने की है जहां देशी उद्योग की स्थापित क्षमता पूर्णतः काम में नहीं लाई जाती ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे कहना पड़ता है कि सरकार की नीति माननीय सदस्य के विचारानुकूल नहीं है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आवश्यक हो तो उत्साहित की जाये ।

श्री एम० डी० रामस्वामी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या वस्त्र उद्योग में तकुओं की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है ? यदि हों तो कितनी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वस्त्र जांच समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने तक मुझे इस विषय पर कोई मत प्रकट नहीं करना चाहिये ।

श्री एन० एम० लिंगम : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या समिति के निर्देश-पदों में युद्धास्त्र निर्माणशाला जैसे रक्षा-उद्योगों में यन्त्रों की स्थापित क्षमता का परीक्षण भी सम्मिलित है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इसका उत्तर पहिले ही दे चुके हैं कि समिति जो चाहे कर सकती है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान् मैं यह और बता दूं कि रक्षा-विभागों का एक सदस्य इस समिति के साथ कार्य कर रहा है । तात्पर्य यह है कि यह समिति किसी विशेष या सकीर्ण निर्देश-पदों से जकड़ी हुई न हो कर स्थिति का पूर्ण अपलोकन करने की स्थिति में होनी चाहिये । उन्हें यन्त्रों का निरीक्षण करने के लिये प्रत्येक सुविधा दी जायेगी चाहे वह रक्षा, रेल या अन्य सरकारी उद्योगों तथा निजी उद्योगों में से कोई भी हो ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : वे निजी इन्जीनियर जो समिति के समस्य हैं कहां से बुलाये गये हैं ? क्या मैं उनके नाम जान सकता हूं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान् नाम मैं पहिले बता चुका हूं। श्री मुलगावकर, सभापति का संबंध टाटा उद्योगों से है ; श्री किरलोसकर का नाम इस देश के उद्योगों में बड़ा प्रसिद्ध है ; कलकत्ता के मार्टिन एण्ड बरन कम्पनी के मि० चहरसन एक योरोपीय सज्जन हैं ; श्री गोपाला आइंगर मद्रास निर्माण विभाग के एक अवकाश प्राप्त पुपरिटैन्डिग इन्जीनियर हैं ; इन के अतिरिक्त तीन पदाधिकारी हैं :—औद्योगिक परामर्शदाता (इन्जीनियरिंग), वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय श्री कपूर, संयुक्त निर्देशक, मैकेनिकल इन्जीनियरिंग, रेलवे और श्री धर, सहायक महा-निर्देशक, युद्धास्त्र निर्माणशालायें, रक्षा विभाग ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब कभी कोई समिति नियुक्त होती है तो क्या सदस्यों के नाम तथा निर्देश-पद प्रकाशित नहीं होते ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान् वे प्रकाशित किये जाते हैं । पिछले अवसर पर मैंने ये नाम सदन में बताये थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब कभी कोई विज्ञप्ति निकाली जाये इसकी एक प्रति सदन के पुस्तकालय को भेजी जाये ताकि ऐसे प्रश्न उत्पन्न न हो सकें ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का सम्बन्ध है, साधारण नियम के रूप, जब कभी ऐसी कोई कार्यवाही की जा रही है उसकी सूचना संसद को दे दी जाती है।

खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड

*११३५. **श्री [दाभी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में स्थापित हुए खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड की अब तक कितनी बैठकें हो चुकी हैं ;

(ख) खादी तथा अन्य ग्राम उद्योगों के विकास के लिये बोर्ड ने क्या कार्यक्रम बनाया है ;

(ग) खादी तथा अन्य ग्राम उद्योगों के विकास के लिए बोर्ड ने सरकार से किस प्रकार की और कितने धन तथा अन्य प्रकार की सहायता की प्रार्थना की है ; तथा

(घ) क्या बोर्ड ने सरकार से सरकार की कपड़े की आवश्यकता खादी से पूरी करने के सम्बन्ध में कोई सिफारिश की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) पांच।

(ख) तथा (ग). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५३]**

(घ) हां।

श्री दाभी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि १९५३-५४ के लिए अखिल भारतीय ग्राम बोर्ड का खादी का लक्ष्य तीन करोड़ रुपये के मूल्य की खादी तैयार करना है और उसमें से एक करोड़ रुपये के मूल्य की खादी केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा क्रय किये जाने की आशा है ? यदि ऐसा है तो क्या सरकार ने, जहां तक उसका सम्बन्ध है, बोर्ड की आशा पूर्ण करने का निश्चय कर लिया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं नहीं समझता कि स्थिति ठीक ऐसी ही है जैसी कि माननीय सदस्य ने बताई है। खादी बोर्ड ने अपना कार्य वर्ष में देर से आरम्भ किया था। इसलिये वह लक्ष्य जो उन्होंने कदाचित बनाया होगा, यदि वे कुछ समय पूर्व कार्य आरम्भ कर देते तो निश्चय ही किसी सीमा तक सीमित करना पड़ता। अधिक विस्तृत सूचना के लिए मैं माननीय सदस्य से प्रतीक्षा करने की प्रार्थना करता हूं। ज्यों ही हमें विस्तारपूर्ण सूचना प्राप्त होगी, हमें माननीय सदस्य को तुरन्त ही बता देंगे।

श्री दाभी : क्या यह तथ्य है कि सरकार नेखादी को रक्षित उद्योग बनाने का निश्चय कर लिया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : रक्षित उद्योग से माननीय सदस्य का क्या अभिप्राय है, मैं नहीं जानता। हम प्रत्यक सम्भव सहायता देंगे और इसे आर्थिक सहायता भी दी जायेगी।

श्री एम० एम० गांधी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने बोर्ड की सारी सिफारिशें तथा कार्यत्रय स्वीकार कर ली हैं और बोर्ड द्वारा मांगी गई धन की सहायता सहित प्रत्येक सहायता देने का निश्चय कर लिया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता जिसका आधार माननीय सदस्य ने असीम बयाया हो। परन्तु इस बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य प्राप्त करने में, सरकार संभाव्य सहयोग देगी।

श्री मती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या हम जान सकते हैं कि खादी संघ के पास कितनी

प्रयोग नहीं की गई खादी है और इस माल को निकालने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री टी० टी०. कृष्णमाचारी : मैं पूर्व-सूचना चाहता हूं ।

श्री सी० डी० पांडे : क्या सरकार को विदित है कि खादी का उत्पादन आवश्यकता से अधिक है और उसकी कोई मांग नहीं है ? क्या और अधिक खादी-उत्पादन करने में कोई युक्तियुक्त लाभ है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य के मस्तिष्क में कुछ निश्चित विचार हैं और मुझे शंका है कि मैं उनकी पुष्टि करने में असमर्थ हूं । खादी की मांग घटने व बढ़ने वाली है । यह तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार घट बढ़ सकती हैं । हम जितनी मांग का विचार करते हैं उसके आधार पर मेरे विचार में अधिक उत्पादन का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्रीमती ए० काले : श्रीमान्, मैं जान सकती हूं कि क्या खादी को राष्ट्रीय पहनावा बनाने की इच्छा है और क्या महत्वपूर्ण अवसरों पर इसका प्रयोग आवश्यक बनाने का विचार है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सब सरकारी कर्मचारियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव है ?.

श्री टी० टी० कृष्नमाचारी : यह जनतन्त्रकाल है । इसमें अनिवार्यता की सम्भावना नहीं है ।

श्री दामोदर मेनन : भाग (घ) के उत्तर से उत्पन्न होने पर, श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने बोर्ड की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और यदि हां तो, वे उन्हें किस सीमा तक कार्यन्वित करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री पहिले ही बता चुके हैं कि . . . .

श्री दामोदर मेनन : अपने उत्तर के भाग (घ) में माननीय मंत्री ने कहा था कि बोर्ड ने सरकार से सिफारिश की है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने वह सिफारिश स्वीकार कर ली है ? यदि हां तो, वे उसे किस सीमा तक कार्यरूप देंगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सिफारिश स्वीकार हो गई है और उस सीमा तक कार्यान्वित हो चुकी है जितनी सरकार की सामर्थ थी ।

सेठ गोविंद दास : जहां तक भाग (घ) सम्बन्धी सिफारिश का संबंध है, क्या मैं जान सकता हूं कि किन विभागों में सरकार ने केवल खादी प्रयोग करने का निश्चय किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, विभागों में खादी उपयोग करने का प्रश्न मांग के अनुसार भिन्न भिन्न है । यह विचार नहीं है कि खादी रक्षा या पुलिस की वर्दी के लिए प्रयोग की जाये अपितु उन सब उद्देश्यों के लिए जिन के लिये सरकार के विभिन्न विभागों में वस्त्र प्रयोग किया जाता है । इस समय सरकार खादी के उपयोग की सम्भावनायें ढूंढने में लगी है और यदि सम्भव हुआ तो ये विभाग न्यूनतम स्तर की आवश्यक खादी की किस्म निश्चित कर देंगे जो खादी बोर्ड को बता दी जायेगी ताकि वे उनको उपयुक्त किस्म की खादी दे सकें ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं हाथ करघा उद्योग को दी गई आर्थिक सहायता को जान सकता हूं और इससे उसे कितनी सहायता मिली है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : निस्संदेह ही खादी तथा हाथ करघा एक दूसरे से सम्बद्ध हैं । परन्तु यह पूर्णतः भिन्न प्रश्न है । मैं

प्रश्न का उत्तर पहिले दे चुका हूं और यदि ऐसा प्रश्न प्रस्तुत किया जाता है तो मैं एक विवरण रखूंगा।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि अन्य "ग्राम उद्योग" शीर्षक में और क्या बातें सम्मिलित हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरा विचार है कि विवरण में यह सूचना दी गई है। माननीय सदस्य विवरण की एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

पंडित सी० एन० मालवीय : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि बोर्ड ने खादी तथा अन्य ग्राम उद्योगों के उत्पादनों के विक्रय के सम्बन्ध में कोई सिफारिश की है और से वे सिफारिश क्या हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : खादी के विक्रय के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ सिफारिशें की हैं। ग्राम उद्योगों के बारे में मैं नहीं सोचता कि सिफारिशें सुतथ्य हैं। वे अभी सूत्रबद्ध की जा रही हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्रीमान्, क्या मैं जान सकती हूं कि किन राज्य सरकारों ने खादी को अपने कर्मचारियों की वर्दी के लिए अपना लिया है या अपनाने का विचार है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस विषय पर मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री सिंहासन सिंह : अनुपूरक प्रश्न के भाग (घ) के संबंध में, माननीय मंत्री ने बताया था कि सरकार, जितनी सम्भव होगी, खादी लेगी। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने पूर्ण सिफारिश स्वीकार कर ली है—जैसा कि उन्होंने कहा था 'हां' या आंशिक रूप में ? क्रय करने के लिये सरकार की सामर्थ का प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : तथ्य यह हैं कि कुछ कठिनाइयां हैं जैसे जिस कपड़े की आवश्यकता है उस की किस्म, आवश्यक कपड़े की विभिन्न किस्में और समय जब उसकी आवश्यकता है। रेल तथा रक्षा विभाग की आवश्यकता के सम्बन्ध में, इन मन्त्रालयों द्वारा १९५४ के मध्य तथा कदाचित उसके पश्चात् तक के उपभोग के लिये आर्डर दिये जा चुके हैं। तत्पश्चात् उनकी मांग निर्धारित करने में कुछ समय लगेगा। फिर खादी बोर्ड भी सम्पूर्ण आवश्यकता को पूर्ण करने की स्थिति में नहीं है। हमें उन्हें कुछ समय देना होगा ताकि वे अपना उत्पादन कार्यक्रम आरम्भ कर सकें। कठिनाई समय, धन तथा आवश्यक मजदूर शक्ति के बारे में है।

कार्यालय अधिवास

*११३६. **श्री एस० सी० सामन्त** : (क) **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय के लिये सचिवालय में तथा उसके बाहिर स्थित कार्यालयों में अधिवास की कमी है ?

(ख) यदि ऐसा है तो कमी को पूरा करने के लिये क्या पग उठाये गय हैं ?

(ग) क्या इस कमी के बारे में जांच पड़ताल की गई है तथा इसका अनुमान किया गया है ?

(घ) यदि ऐसा है तो कर्मचारियों तथा वस्तुओं आदि के लिये कितने अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में वैदेशिक-कार्य मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय के बीच के खाली स्थान पर और कमरों के बनाने के लिये पग उठाये जा रहे हैं। इससे ६,५८० वर्ग फुट अतिरिक्त स्थान उपलब्ध हो सकेगा। यह आशा

की जाती है कि राज्य मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय के 'साऊथ ब्लाक' से चले जाने की दशा में वैदेशिक-कार्य मंत्रालय को और स्थान उपलब्ध हो जायेगा ।

(ग) जी हां ।

(घ) ४७,७०० वर्ग फुट ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि "बड़ौदा हाउस" के उत्तर रेलवे द्वारा खरीद लिये जाने के फलस्वरूप ऐतिहासिक विभाग के लिये अधिवास का प्रबन्ध कैसे किया गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : ऐतिहासिक विभाग अब किसी दूसरे स्थान . . . .

निर्माण गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): अब यह विभाग २६ फीरोजशाह रोड में है ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या उक्त इमारत किराये पर ली गई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे कुछ भी मालूम नहीं है ।

श्री अमजद अली : सरकार सदन को यह सूचना देगी कि क्या राजधानी को गर्मी के महीनों में हिमालय की तलहटी में अर्थात् शिमला में ले जाने का कोई प्रस्ताव किया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस वर्ष की ग्रीष्म ऋतु तो बीत चुकी ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या स्थान की कमी के विचार से कार्यालयों को अन्यत्र ले जाने का कोई विचार किया गया है ?

श्री जवाहरलाल नहरू : केवल विचार ही नहीं, इस सम्बन्ध में कुछेक प्रयत्न भी किये गये हैं तथा सम्भवतः कुछ सफल भी हुए हैं ।

ओरोमाईसिन

***११३७. श्री राधा रमण :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल में बुल्सर में लगाये गये ओरोमाईसिन निर्माता प्लांट पर क्या व्यय आया है ?

(ख) प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा बनाई जा सकेगी ?

(ग) भारत में इस की वार्षिक खपत कितनी है ?

(घ) प्रत्यक वर्ष इस के आयात पर कितना व्यय किया जा रहा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) यह प्लांट मैसर्स अतुल प्राडक्टस् लिमिटेड द्वारा लगाया गया है तथा बताया जाता है कि लगभग ७,५०,००० रु० की लागत पर ।

(ख) कहा जाता है कि यह संयन्त्र इस समय १,२०० किलोग्राम प्रति वर्ष का उत्पादन कर सकेगा । १९५४ में इस उत्पादन के २,४०० किलोग्राम तथा १९५५ में ३,६०० किलोग्राम प्रति वर्ष हो जाने की आशा की जाती है ।

(ग) वर्तमान खपत का अनुमान लगभग १,२०० किलोग्राम है तथा सम्भवतः यह बढ़ जायेगी ।

(घ) १९५२ में आयात की गई ओरोमाईसिन की विभिन्न औषधियों का बीमा भाड़ा सहित मूल्य २४,६३,५१८ रु० था ।

श्री राधा रमण : मैं जान सकता हूं कि इस प्लांट से प्रत्येक वर्ष ओरोमाईसिन की कितनी मात्रा के उत्पादन होने की आशा की जाती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस वर्ष १२०० किलोग्राम, अगले वर्ष २४०० किलो-

ग्राम तथा उसके बाद ३६०० किलोग्राम प्रत्येक वर्ष ।

श्री राधा रमण : मैं जान सकता हूं कि इसे किन किन रोगों के लिये प्रयोग में लाया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं इस मामले पर कोई मत व्यक्त नहीं करना चाहता । मैं कोई डाक्टर नहीं हूं ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि ओरोमाईसिन की औषधियों पर बहुत अधिक लागत आती है तथापि इसकी मामूली ट्यूब की कीमत ७ या ८ रुपये है तथा क्या सरकार ने जनता को इसे सस्ते दामों पर उपलब्ध करने के लिये कोई पग उठाए हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हाल में इसकी लागत के सम्बन्ध में मुझे भी ऐसा ही अनुभव हुआ है । हम प्रयास करेंगे कि अवसर मिलने पर इसके मूल्य को घटाया जाय ।

कुमारी एनी मस्करीन : श्रीमान्, मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार ने इस धंधे में कुछ धन लगाया है तथा क्या भारत में इस औषधि का मूल्य एक प्रकार से आयात की गई औषधि के मूल्य से अधिक है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रश्न के प्रथम भाग के सम्बन्ध में उत्तर नहीं में है । दूसरे भाग के सम्बन्ध में मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि यह फैक्टरी कब तक उत्पादन को आरम्भ कर सकेगी तथा हमें यह कितने प्रतिशत तक सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सकेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह ऐसा मामला है जिसके सम्बन्ध में मैं इस क्षण कोई सूचना नहीं दे सकता हूं ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार को विदित है कि मैसूर का एक नवयुवक अमरीका में अपनी प्राकृतिक योग्यता से पूरा पूरा काम लेने गया था तथा उसने ओरोमाईसिन की खोज की थी तथा क्या स्वास्थ्य मंत्रालय अपने देश के युवकों की योग्यता को अपने लाभार्थ प्रयोग में लाने के लिये कोई पग उठा रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का सुझाव स्पष्टत: यह है कि सरकार को ऐसे प्रयत्न करने चाहियें जिससे हमारे नवयुवक इस व्यवसाय की सेवाओं में लिये जायें ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे बतलाया गया है कि यह व्यवसाय युवकों को सेवायुक्त कर रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या ११३८, प्रो० डी० सी० शर्मा अनुपस्थित । प्रश्न संख्या ११३९, प्रो० डी० सी० शर्मा, अनुपस्थित । ११४०--इसके बाद मैं माननीय सदस्यों को प्रोफेसर या 'अधिवक्ता' आदि कहकर नहीं पुकारूंगा । वे सभी माननीय सदस्य हैं तथा इससे अधिक कुछ नहीं ।

वस्तु नियंत्रण समिति

*११४१. **श्री तुलसीदास** : **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, १९५० में सरकार द्वारा नियुक्त की गई वस्तु नियंत्रण समिति ने जांच को समाप्त कर लिया है ;

(ख) क्या सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है ; तथा

(ग) यदि ऐसा है तो उनकी सिफारिशें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) समिति की सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण रिपोर्ट के चौधवें अध्याय में दिया गया है। उसकी प्रतियों को सदन पटल पर रखा जायगा ।

नियंत्रण आदेशों पर पुनर्विचार

*११४२. **श्री तुलसीदास** : **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से अपने नियंत्रण आदेशों पर पुनर्विचार करने की प्रार्थना की है ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने नियंत्रण आदेशों की मुख्य बातों की छानबीन करने के लिये समितियां नियुक्त की हैं ;

(ग) किन किन राज्यों में उक्त समितियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं ; तथा

(घ) क्या इन सिफारिशों के फलस्वरूप नियंत्रण-पद्धति में किये गये परिवर्तनों के बारे में केन्द्रीय सरकार को सूचित कर दिया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५४]**

श्री तुलसीदास : मैं जान सकता हूं कि किन किन परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है तथा कि क्या संघ सरकार ने इन समितियों की सिफारिशो के अन्तर्गत किसी परिवर्तन का अनुमोदन किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : तब से मैसूर में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निम्न आदेश निरसित किये जा चुके हैं :

धान अर्जन तथा उपज आदेश, १९५२ ।

खाद्य वितरण आदेश, १९५१ ।

खाद्य का संचय तथा लाभ उपार्जन (रोक) आदेश १९४८ ।

मैसूर राशनिंग आदेश, संख्या २ ।

हैदराबाद में हैदराबाद वस्तु नियंत्रण समिति खाद्यान्न आदेश, १९५१ को निरसित कर दिया गया है ।

बिलासपुर में उनका किसी परिवर्तन के करने का विचार नहीं है ।

विन्ध्य प्रदेश में आदेशों पर पहले ही पुनर्विचार हो चुका है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या राज्य सरकारों को अपने अपने नियंत्रण आदेशों पर पुनर्विचार करने की प्रार्थना के साथ, भारत सरकार ने इन आदेशों के उल्लंघन के बारे में चलाये गये मुकदमों को भी वापस लेने का सुझाव उनके सामने रखा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि इन नियंत्रण आदेशों को वापस लेने पर भी ये मुकदमे चलते रहेंगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस मामले में हम यह बात राज्य सरकारों पर छोड़ते हैं कि वे अपनी इच्छानुसार कार्यवाही करें ।

फिल्लपाईन में भारत-विरोधी प्रचार

*११४३. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : प्रधान मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या फिल्लपाईन में भारत-विरोधी प्रचार के सम्बन्ध में 'हिन्दुस्तान टाइम्ज़' दिनांक

१७ जून, १९५३ में प्रकाशित रिपोर्ट का कोई आधार है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : यह ठीक नहीं है कि फिल्लपाईन में भारत-विरोधी प्रचार हो रहा है । भारत के प्रति सहानुभूति के कुछेक लेख वहां के प्रेस में समय समय पर प्रकाशित हुए हैं । 'हिन्दुस्तान टाइम्ज़' में जिन विशेष लेखों का निर्देश है, वे अपवाद दिखाई देते हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जान सकती हूं कि जिन पत्रों में वे लेख प्रकाशित हुए हैं, उनके नाम क्या हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे फिल्लपाईन के किसी ऐसे समाचार पत्र का नाम मालूम नहीं है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जान सकती हूं कि क्या फ्रेन्च न्यूज़ एजेंसी का भी इस भारत विरोधी प्रचार में हाथ है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जिस विशेष लेख पर आपत्ति की गई है उसे फ्रेंच न्यूज़ एजेंसी द्वारा ही प्रसारित किया गया है ।

तथ्योप्पत्ति समिति

*११४४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार तथा पश्चिमी बंगाल सरकार के अधिकारियों पर सम्मिलित तथ्योपत्ति समिति ने पश्चिमी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों की अवस्था के पर्यालोचन को समाप्त कर लिया है ?

(ख) यदि ऐसा है तो उक्त समिति की रिपोर्ट क्या है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) (क) जी हां ।

(ख) रिपोर्ट मंत्रियों की समिति के विचाराधीन है तथा उनके तत्सम्बन्धी फैसलों के एक संक्षिप्त विवरण को सदन पटल पर रखा जायेगा ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं तथ्योप्पति समिति की नियुक्ति के प्रयोजन को जान सकता हूं ?

श्री ए० पी० जैन : इस समिति को सहायता शिविरों तथा पुनर्वास बस्तियों में हालत के पर्यालोकन तथा निश्चय के लिये नियुक्त किया गया था तथा विशेषतः गृह-व्यवस्था लाभप्रद काम, व्यवसायिक तथा टेक्नीकल प्रशिक्षण तथा पश्चिमी सरकार द्वारा किये गये विभिन्न अन्य पुनर्वास उपायों के सम्बन्ध में ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इन बातों की जांच किस प्रकार से गई थी तथा किस श्रेणी की बस्तियों का पर्यालोकन किया गया था ?

श्री ए० पी० जैन : यह १५० पृष्ठों की एक काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है । मैं इसके ब्यौरों को नहीं बतला सकता, परन्तु मंत्रियों की समिति के निष्कर्षों को सदन पटल पर रखा जायगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार अन्य पुनर्वास संस्थाओं द्वारा इन योजनाओं के सम्बन्ध में की गई आलोचना तथा दिये गये सुझावों पर भी विचार करेगी ?

श्री ए० पी० जैन : श्रीमान्, मंत्रियों की समिति उन सब तथ्यों पर विचार करेगी जो उसके सामने रखे जायेंगे ।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि क्या इस तथ्योंप्पत्ति समित्ति ने सरकारी बस्तियों तथा शरणार्थियों की अपनी असरकारी बस्तियों के कार्य-सम्पादन के बारे में जांच की है ?

श्री ए० पी० जैन : मैं पहले ही समिति के निर्देश के पदों को पढ़कर सुना चुका हूं ।

श्री के० के० बसु : दोनों प्रकार की बस्तियों के काम करने के ढंग की तुलना करते हुए मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने दोनों प्रकार की बस्तियों में काम करने के ढंग की जाच की है ?

श्री ए० पी० जैन : उन्होंने वहां पर पुनर्वास संबन्धी सभी बातों पर विचार किया है ।

श्री गिडवानी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी ऐसी समिति के नियुक्त करने का विचार रखती है तथा यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री ए० पी० जैन : जी नहीं ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या किसी उच्च समिति द्वारा फैसला किये जान तक कोई अन्तरिम पग उठाये गये हैं ?

श्री ए० पी० जैन : हां, श्रीमान्, कुछेक पग उठाए गए हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : हमने कल समाचार पत्रों में पढ़ा है कि पश्चिमी सरकार को स्वीकृत तथा मंजूर की गई योजनाओं के संबन्ध में कुछेक अनुदान दिये गये हैं, परन्तु क्या वे तथ्योप्पत्ति समिति की सिफारिशों पर विचार के बाद दिये गये हैं ? मैं जान सकती हूं कि क्या यह एक तथ्य है ?

श्री ए० पी० जैन : वास्तव में पश्चिमी बंगाल या किसी अन्य स्थान सम्बन्धी पुनर्वास का सारा प्रश्न निरन्तर सरकार के विचाराधीन रहता है तथा हम किसी भी कठिनाई या इस समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप किसी और बात अथवा सुधार के किसी सुझाव पर जिसे हम कर सकते हों तथा जो हमारे ध्यान में आता है, उचित विचार करते हैं ।

सीमा पर आक्रमण

***११४५. श्री गिडवानी** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान २९ जून, १९५३ को राजस्थान के उपमंत्री श्री नरसिंह कछवाहा द्वारा दिये गये एक वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है, जो इस सम्बन्ध में है कि सीमा पर स्थित ज़िला बारमेर के पार पाकिस्तानियों द्वारा किये जाने वाले छोटे पैमाने के आक्रमणों में काफ़ी वृद्धि हो गई है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो उन हमलों को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) हां ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा उचित कार्यवाही की गई है, जिसको प्रकट करना लोक हित में वांछनीय नहीं है ।

श्री गिडवानी : क्या हम इन आक्रमणों के कारण भारतीय सीमा पर रहने वाले लोगों को हुई हानियां जान सकते हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता ; आमतौर पर कुछ ढोरों की हानि हुई है । मुझे पता चला है कि इसके फलस्वरूप एक आक्रमणकारी मारा गया था और अन्य छै घायल हुये थे ।

श्री गिडवानी : एक ही नहीं, अनेक आक्रमण हुये थे ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : ये हमले चोरी के रूप में होते हैं.....ढोरों को उठा ले जाने, कभी कभी ऊंट उठा ले जाने की चोरियां । मुझे यह ठीक से नहीं पता कि ऊंट किस प्रकार उठा ले जाये जाते हैं । खेद है कि इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई विस्तृत जानकारी नहीं है ।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय प्रधान मंत्री हमें इन छोटे पैमाने के आक्रमणों का कोई अन् देने की कृपा करेंगे ? क्या इसका अर्थ यह है कि वे झुंडों में आते हैं ? वे इस प्रकार के अपराध कैसे करते हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं ने आक्रमण में भाग नहीं लिया है ।

श्री के० के० बसु : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार इन ऊंट और ढोरं के उठा ले जाने से जिन लोगों को क्षति उठानी पड़ी है उनको कोई प्रतिकर या सहायता देगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं समझता हूं कि जिन मामलों पर ध्यान देने की अत्यन्त आवश्यकता है उनके सम्बन्ध में हम इस पर विचार कर सकते हैं । हमारा ध्यान उस ओर अभी तक आकर्षित नहीं किया गया है ।

श्री सारंगधर दास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ये आक्रमणकारी आग्नेयास्त्रों से लैस होते हैं और यदि ऐसा है, तो क्या सरकार सीमा पर गांवों में रहने वाले लोगों को आग्नेयास्त्र देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे नहीं पता हो सकता है कि कभी कभी वे ऐसे अस्त्रों से लैस होते हैं पर अधिकतर, मैं समझता हूं उनके पास ऐसे अस्त्र नहीं होते । तीन या चार वर्ष हुये एक अवसर पर आग्नेयास्त्र वितरित किये गये थे किन्तु अन्ततोगत्वा वे सर्वथा अयोग्य लोगों के हाथ में पहुंच गये और उनका ग़लत प्रयोजनों के लिये उपयोग किया गया था ।

श्री लंका सुन्दरम् : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ने अभी अभी ऊंट उठाये जाने की ओर निर्देश किया है । क्या वह सन्तुष्ट हैं कि ये ऊंट हमारी सीमा के सुरक्षा प्रबन्धों के सुई के छेद जैसे तंग रास्तों से हो कर नहीं जाते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : एक सुई में से कोई भी चीज़ होकर नहीं जा सकती है ।

अक्रा में भारतीय मिशन

*११४६. **श्री एस० एन० दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अक्रा में, गोल्ड कोस्ट तथा नाइजीरिया के अपर क्षेत्राधिकार सहित, एक भारतीय मिशन खोलने का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है और उसकी मंजूरी दे दी गई है ; और

(ख) यदि ऐसा है, तो वह मिशन अनुमानतः अपना काम कब तक शुरू कर देगा ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) (क) और (ख). हां । भारत सरकार ने अक्रा में एक आयुक्त के अधीन, जो गोल्ड कोस्ट और नाइजीरिया की सरकार के पास अधिकार पत्र देकर दूत के रूप में भेजा जायगा, एक भारतीय मिशन खोलने का निश्चय किया है । इस विषय पर ब्रिटेन की सरकार के साथ पत्र व्यवहार हुआ है और अभी हाल ही में मिशन खोलने के सम्बन्ध में उनकी सहमति प्राप्त हुई है । इस मास के मध्य तक हम मिशन खोलने की आशा करते हैं ।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन सब देशों ने भी हमारे देश में कूटनीतिक मिशन खोलने की इच्छा प्रकट की है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : नहीं, वे ऐसा करने की स्थिति में नहीं है । वे नई सरकारें हैं और उनके संसाधन अपर्याप्त हैं ।

वास्तविक उत्तर तो यह है कि वे इस काम को उस रूप में नहीं कर सकते हैं। वे स्वतन्त्र देश नहीं हैं, जो प्रतिनिधि भेज सकें। हमारा प्रतिनिधि एक स्वतन्त्र देश को नहीं भेजा गया है, लेकिन वह एक वाणिज्य दूत के रूप में है। अतः जब तक कि ब्रिटिश सरकार यहां पर एक नाइजीरियावासी को वाणिज्य दूत रखना न चाहे, तब तक मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता है।

लेकिन कुछ मास पूर्व अथवा गत वर्ष नाइजीरिया सरकार के मंत्रियों ने भारत का दौरा किया था और उन्हें ऐसी अनेक चीज़ों में, बहुत रुचि हुई थी, जो हम योजना आयोग में तथा अन्यत्र कर रहे थे और उन्होंने हमसे सहायता चाही थी।

श्री एस० एन० दास: वहां पर हमारे संगठन, इस मिशन, में कितने व्यक्ति होंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: यह एक बहुत छोटा मिशन है। मैं नहीं जानता कि उसमें कितने व्यक्ति हैं ?

आयात नीति

*११४७. **श्री विश्वनाथ रेड्डी**: (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आयात मंत्रणा परिषद् की पिछली बैठक में आयात नीति को उदार बनाने के लिये कोई सिफ़ारिशें की गई थीं ?

(ख) यदि ऐसा है, तो वे जुलाई-दिसम्बर, १९५३ के लिये नवीनतम नीति में किस प्रकार क्रियान्वित की गई हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) और (ख). आयात मंत्रणा परिषद् ने जो सिफ़ारिशें की थीं उनकी सरकार द्वारा उचित रूप से जांच की गई थी। उन पर सरकार द्वारा जो निर्णय लिये गये हैं, उनको दिखाने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५५**]

श्री विश्वनाथ रेड्डी: श्रीमान्, क्या मैं आयात नीति को उदार बनाने के कारण जान सकता हूं ?

श्री करमरकर: क्योंकि ऐसा उदारीकरण उचित है।

श्री विश्वनाथ रेड्डी: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने की नीति की प्रतिज्ञा की है अथवा वह ऐसी किसी नीति का समर्थन करती है ?

श्री करमरकर: मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय सदस्य का "उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने की नीति" से क्या तात्पर्य है ?

उपाध्यक्ष महोदय: हम किसी सिद्धान्त पर वादविवाद नहीं कर रहे हैं।

श्री विश्वनाथ रेड्डी: आयात मंत्रणा परिषद् की पिछली बैठक में माननीय मंत्री ने स्वयं कहा था कि सरकार स्वयं उपभोक्ता प्राथमिकता को कुछ रियायत देना चाहती है।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): यह वक्तव्य कुछ सामान्य प्रकृति का था, कि जहां पर भी कमी है, हम उस स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करेंगे। यदि माननीय सदस्य वक्तव्य को देखें तो वह पायेंगे कि जो सिफ़ारिशें की गई हैं वे बहुत अधिक हैं और हमने जो सिफ़ारिशें स्वीकार की हैं वे अपेक्षाकृत कम हैं। यद्यपि हमारी उपभोक्ता-सामान बचने में संलग्न व्यापारों के द्वारा की गई मांगों के साथ सहानुभूति है, फिर भी उनको संतुष्ट करने की हमारी क्षमता बहुत सीमित है और उस वक्तव्य से यही प्रकट होगा।

श्री नानादास: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि आयात करने के लाइसेंस केवल पुराने आयात करने वालों को दिये जाते हैं, और यदि ऐसा है तो क्या सरकार नये आने वालों को भी आयात करने के लिये लाइसेंस देने का विचार कर रही है ?

श्री करमरकर: भिन्न भिन्न मदों के लिये भिन्न भिन्न नीति है । मोटी तौर पर हम तीन श्रेणियां रखते हैं: एक तो वास्तविक उपभोक्ता है, दूसरी स्थायी आयतक है और तीसरी नवागंतुक है । इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के मालों के लिये भिन्न भिन्न नीति है ।

सेठ गोविंद दास : जो स्टेटमेंट इस सम्बन्ध में रखा गया है उस से यह मालूम होता है कि ऐसी चीज़ों का भी आयात अब शायद होने वाला है कि जो चीज़ें हिन्दुस्तान में बनती हैं । इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट की जो पुरानी नीति थी कि हम को वे ही चीज़ें बाहर से मंगानी चाहियें जो कि यहां नहीं बनती, क्या उस नीति में परिवर्तन हुआ है ?

श्री करमरकर: हमारी पालिसी तो यही है कि जो चीज़ें यहां पर बनती हैं वे ऐडीक्वेट होती हैं तो बाहर से नहीं मंगाते हैं और अगर ऐडीक्वेट नहीं होती हैं तो उतनी ही बाहर से मंगाते हैं जितनी कि ऐडीक्वेट नहीं होती हैं ।

सेठ गोविंद दास : जो स्टेटमेंट माननीय मंत्री जी ने रखा है उस से क्या यह बात नहीं मालूम हो रही है कि आयात की चीज़ें जो इस देश में पैदा होती हैं वे भी बढ़ाई जा रही हैं ।

श्री करमरकर: बहुत थोड़ी सी मदों के सम्बन्ध में, देशी उत्पादों के सुधार को बढ़ावा देने के लिये, हम सीमित आयातों की अनुमति देते रहे हैं । साधारणतया हमारी नीति यह है कि जब संभरण पर्याप्त हो तो किसी आयात की अनुमति नहीं दी जाती । हम केवल कम संभरण की पूर्ति करने की सीमा तक आयातों की अनुमति देते हैं ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी: उदारीकरण की नीति के आधीन ऐसे साधारण मालों को भी जो इस देश में उत्पादित किये जा सकते हैं, आयात करने की अनुमति दी जाती है । मैं उस नीति का स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री करमरकर : हमारी सामान्य नीति उपभोक्ता सामग्रियों के आयात को, उस सीमा तक जहां तक वे हमारे देश में उत्पादित होते हैं, हतोत्साहित करना है ।

श्री नानादास: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किन्हीं नये प्रार्थियों को इस आधार पर कि वे व्यापार में नहीं थे, लाइसेंस इन्कार कर दिये गये थे । यदि ऐसा है, तो क्या यह विभेदात्मक नहीं है और इसके द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता ?

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण यह जानने के लिये कि 'नवागंतुक' कौन हैं और क्या एक बिलकुल बाहरी व्यक्ति लाइसेन्स के लिये आवेदन पत्र दे सकता है, आयात नीति से सम्बन्धित पुस्तकें पढ़ लें ।

फरीदाबाद उपनगर

*११४८. **डा० राम सुभग सिंह**: (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री दिसम्बर, १९५२ में फ़रीदाबाद उपनगर में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों की कुल संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) तब से कितने परिवार अन्यत्र कृषि भूमि पर पुनर्वासित कर दिये गये हैं ?

(ग) कितने परिवार अपनी इच्छा से फ़रीदाबाद से बाहर चले गये हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) ५८२८ ।

(ख) कृषकों के ३०८ परिवारों को हाल ही में बीकानेर में भूमि देने का प्रस्ताव किया गया था लेकिन अभी तक कोई भी नहीं गया है ।

(ग) ८८ ।

डा० राम सुभग सिंह : माननीय मंत्री ने अभी कहा कि कुछ व्यक्ति जिन्हें बीकानेर में भूमि दी जा रही थी, वहां नहीं गये थे । श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि उन्होंने जाने से क्यों इन्कार किया ?

श्री ए० पी० जैन : उन्होंने अन्तिम रूप से जाने से इन्कार नहीं किया । सच तो यह है कि हमें यह सलाह मिली है कि वे आधे मन से जाने को तैयार थे किन्तु दो मुख्य आपत्तियां हैं--

(१) कि बीकानेर पाकिस्तान की सीमा के समीप था, और

(२) कि हमने लगभग २५ परिवारों को एक गांव में भूमियां दी थीं, जब कि वे यह चाहते थे कि ३०० परिवारों के लिये एक पूरा गांव दिया जाये ।

डा० राम सुभग सिंह : इस से यह प्रमाणित नहीं होता कि फ़रीदाबाद में अब भी रहने वाले परिवारों में से आधे से अधिक बेकार हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कैसे उठता है ?

श्री वी० पी० नायर : क्या यह तथ्य नहीं है कि फ़रीदाबाद प्रशासन में अत्यधिक वेतन पाने वाले अधिकारी हैं और क्या यह भी तथ्य नहीं है कि फ़रीदाबाद शिविरों में काम करने की दशायें अमानवी हैं जिनके कारण लोगों को वहां से चले जाना पड़ता है ?

श्री ए० पी० जैन : यह प्रश्न कैसे उठता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह विषय उठता है ।

एक माननीय सदस्य : यह बात मानी हुई है कि कोई भी परिवार वहां नहीं रह सकता है और इस लिये अन्यत्र भूमियां देना आवश्यक हो गया है ।

डा० राम सुभग सिंह : वहां पर अभी तक ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें काम नहीं दिया गया है ?

श्री ए० पी० जैन : फ़रीदाबाद में ६,००० ऐसे व्यक्ति हैं जो काम कर सकते हैं । इनमें से २,७०० या २,८०० व्यक्तियों को स्थायी नौकरियां दी गई हैं, लगभग २,००० या १,८०० व्यक्तियों को अस्थायी नौकरियां दी गई हैं और बाक़ी बेकार हैं ।

श्रीमती जयश्री : मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या यह तथ्य है कि फ़रीदाबाद के नारी-गृह को प्रबन्ध के लिये कस्तूरबा न्यास समिति को सौंप दिया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न अन्यत्र कृषि भूमि के सम्बन्ध में है और इसलिये हम इस प्रश्न के पूछे जाने की अनमति नहीं देते हैं । सामान्य रूप से स्थिति बताई जा चुकी है लेकिन इस प्रश्न के आधीन हम विस्तृत विवरणों--फ़रीदाबाद आदि में काम पर लगाने के ढंग से सम्बन्धित विस्तृत विवरण--में नहीं जा सकते ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमान्, क्या हम जान सकते हैं कि चालू हड़ताल को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुये, वहां की टेकनिकल संस्था किस प्रकार चल रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि इस प्रश्न का कृषि भूमि से सम्बन्ध नहीं है अतः मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमान्, एक प्रश्न और । क्या यह तथ्य है कि उन लोगों ने, जिन्होंने जाने से इन्कार कर दिया था, यह मांग की थी कि उन्हें, जिन गांवों से वे आये हैं उनके अनुसार पारिवारिक टुकड़ियों में भूमि दी जानी चाहिये ?

श्री ए० पी० जैन : नहीं, श्रीमान् । ऐसी कोई मांग नहीं की गई थी । सच तो यह है कि उन्हें भूमि देने में हम बहुत उदार थे । प्रति परिवार न्यूनतम क्षेत्र ८ एकड़ सिंचाई की हुई भूमि है और यह ४० एकड़ तक जाती है । सच तो यह है कि भारत के अन्य भागों में कृषकों को जो दिया गया है उससे यह कहीं अधिक उदार आधार पर है ।

श्री दाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि प्रबन्ध के लिये फ़रीदाबाद उपनगर कस्तूरबा समिति को सौंप दिया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसकी अनुमति नहीं देंगे ।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य नहीं है कि फ़रीदाबाद का प्रशासन ठीक नहीं है और कार्यकर्ताओं में काफ़ी असन्तोष है जिसके फलस्वरूप हमें कुछ कार्यकर्ताओं को वहां से हटा लेना पड़ा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो फ़रीदाबाद प्रशासन की बारीक़ियों में जा रहे हैं । ऐसे बहुत से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और बहुत से उत्तर भी दिये जा सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न से यह बात नहीं उठती है ।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने ऐसे परिवारों को भूमियां देने का प्रस्ताव किया है जो अब भी बेकार हैं ?

श्री ए० पी० जैन : जिन परिवारों को भूमि दी जा चुकी है, उनके परिणाम देखने के उपरांत हम अन्य परिवारों के लिये भूमियां ढूंढने का प्रयत्न करेंगे ।

गोरखा सैनिक

११४९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारतीय और ब्रिटिश सेनाओं में लगभग कितने गोरखा सैनिक भर्ती किये जा सकते हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : ब्रिटेन, भारत और नेपाल की सरकारों के मध्य १९४७ में एक त्रिदलीय क़रार पर हस्ताक्षर हुये थे । इसके अनुसार भारतीय सेना में १२ बटैलियन रहेंगी और ब्रिटेन की सेना में गुरखा टुकड़ियों कों संख्या घटा कर शान्ति काल के लिये ८ बटैलियन कर दी गई थी ।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि भारतीय सेना के लिये जितने गोरखों की आवश्यकता होती है क्या उन सब को भारत की धरती पर ही भर्ती किया जाता है या नेपाल के प्रदेश में ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : पूर्णतया भारत की ही धरती पर । उन गोरखों में जो भारतीय राष्ट्रजन हैं और जो भारतीय राष्ट्रजन नहीं हैं अन्तर को समझना चाहिये । निस्सन्देह, ये सब तो भारतीय राष्ट्रजन हैं ।

श्री दाभी : श्रीमान्, क्या मैं इस समय हमारी सेना में काम करने वाले गोरखों की संख्या जान सकता हूं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : नहीं, श्रीमान्, आप नहीं जान सकते ।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या ब्रिटिश सेना में गोरखों की भर्ती के लिये दी हुई अस्थायी सुविधाओं के भारत के बन्द कर देने पर भर्ती करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों को भारत में गोरखों की भर्ती के लिये क्या अब भी और कोई सुविधायें मिली हुई हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: भर्ती के लिये नहीं, किन्तु उन्हें असैनिकों के रूप में आने-जाने की कुछ सुविधायें मिली हुई है ।

श्री एन० एम० लिंगम : एक उपनिवेश-वादी शक्ति द्वारा, जो कि एशिया और अफ़्रीका में स्वतन्त्रता के आन्दोलनों को दबाने का प्रयत्न कर रही है, गोरखों की भर्ती सरकार की इन आन्दोलनों की सहायता की विदेश नीति से कैसे मेल खाती है ?

उपाध्यक्ष महोदय: यह नीति का प्रश्न है । बड़ी बड़ी नीति की बातों के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहियें ।

श्री सी० डी० पांडे : क्या सरकार को विदित है कि नेपाल की आर्थिक समस्याओं के कारण हमारे नेपाल की भर्ती में हस्तक्षेप करने से वहां अत्यधिक रोष प्रकट किया जाता है और फिर यदि उन्हें ब्रिटिश सेना में भर्ती न किया जाये तो और भी समस्यायें उठ खड़ी होंगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब पक्ष और विपक्ष की युक्तियां हैं ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : मैं जान सकती हूं कि भारतीय सेना में गढ़वाली कितने भर्ती किये जाते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न गोरखों के सम्बन्ध में है ।

श्री के० के० बसु: मैं जान सकता हूं कि क्या मलाया और अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों के लिये नेपाल में भर्ती किये गये गोरखे ब्रिटिश सेना में भारतीय नागरिक समझे जाते हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस का भारत सरकार से बिलकुल कोई सम्बन्ध नहीं है । हमारा तो केवल इतने से ही सम्बन्ध है कि क्या नेपाल से ब्रिटिश सेना के लिये जाने वाले लोग भारत से असैनिक वेष में गुज़रते हैं या नहीं ?

श्री एच० एन० मुकर्जी : विशेष रूप से प्रधान मंत्री जी के इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुये कि हम केवल आने-जाने की सुविधायें दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं मैं जान सकता हूं कि क्या ब्रिटिश सेना के इस देश में किसी प्रकार के कोई शिविर हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे इस में ज़रा भी सन्देह नहीं है कि यह निश्चय किया गया है कि यहां ऐसा कोई शिविर नहीं रहना चाहिये । तथापि, मैं बिलकुल यह नहीं कह सकता कि जाने वाले ब्रिटिश शिविरों का कोई भी अवशेष यहा नहीं है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं जान सकता हूं कि जब हम से केवल आने-जाने की सुविधायें देने की ही आशा की जाती है तो ये शिविर किस लिये रखे हुये हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : उन्हें रखने का विचार नहीं है । परन्तु सम्भव है——मैं तुरन्त नहीं बतला सकता——कि ब्रिटेन की सरकार और नेपाल की सरकार में कोई समझौता होने में विलम्ब होने के कारण नेपाल के प्रदेश में स्थानान्तरित करने से पूर्व ये कुछ समय तक रहने दिये गये हों ।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि ब्रिटिश सरकार नेपाल में गोरखा सैनिकों की भर्ती के लिये नेपाल सरकार से बातचीत कर रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

श्री जवाहरलाल नेहरू: वे न केवल बातचीत कर रहे हैं, अपितु उन्होंने इस विषय में एक समझौता भी कर लिया है ।

पंडित के० सो० शर्मा : जहां तक सैनिक सेवा का सम्बन्ध है क्या भारतीय सेना में भर्ती किये गये अभारतीय गोरखों के लिये साधारण शर्तों के अतिरिक्त और कोई संविदा के प्रकार की शर्तें हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन में से अधिकांश भारतीय राष्ट्रजन हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : अन्य काग़ज़ों तथा संविदाओं को देखे बिना मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता ।

कोसी परियोजना

११५०. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अब तक कोसी परियोजना के अनुसन्धान पर कुल कितना धन व्यय किया गया है ;

(ख) क्या भारत सरकार कोसी नदी के आर पार एक बन्द बनाने की सम्भावना की छानबीन करने के लिये भारतीय-प्रौद्योगिक दल के साथ एक जर्मन विशेषज्ञ को रखने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उस विशेषज्ञ का नाम क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) कोसी परियोजना के अनुसन्धान पर जून, १९५३ के अन्त तक कुल ८६९७,७९२ रुपये व्यय किये जा चुके हैं ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जान सकती हूं कि अभी हाल में जो अनुसन्धान किये गये थे क्या उन्हें क्रियान्वित किया जायेगा और मैं जान सकती हूं कि पहिले कौनसी योजना आरम्भ की जायेगी ?

श्री हाथी : अनुसन्धान अभी जारी हैं और आशा है कि ये अनुसन्धान छै मास के अन्दर पूरे हो जायेंगे । तब यह ज्ञात हो सकेगा कि कौनसी योजना सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिये आरम्भ की जायेगी ।

प्रो० एस० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि क्या परियोजना के कुछ भागों के सम्बन्ध में प्रौद्योगिक विशेषज्ञों में कोई मतभेद नहीं है और यदि हां, तो उन्हें क्रियान्वित क्यों नहीं किया जाता ?

श्री हाथी : पश्चिमी तट पर बांध का एक भाग है । जहां तक इस भाग का सम्बन्ध है इसमें कोई मतभेद नहीं है । परन्तु प्रश्न यह है कि यदि बांध अधिक ऊंचा बनाना है, तो उस बांध की शक्ति, लम्बाई चौड़ाई इत्यादि को बदलना पड़ेगा । जब तक पहला प्रश्न तय नहीं हो जाता तब तक दूसरी चीज़ को नहीं लिया जा सकता ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि चीन की सरकार ने हाल ही में अधिकांश रास्ते की नदियों को नियंत्रित कर लिया है क्या सरकार उस सरकार से कोई सलाह मांगने का विचार कर रही है ?

श्रीमान्, क्या इसका कोई उत्तर नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो कार्यार्थ एक सुझाव है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं ने पूछा था "क्या सरकार इस पर विचार कर रही

है ?" श्रीमान्, क्या सरकार समय समय पर कुछ विचार नहीं करती ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यदि उन्होंने अभी तक इस पर विचार नहीं किया है, तो यह कार्यार्थ एक सुझाव ही समझा जायेगा ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : उन्हें यह कहने तो दीजिये कि 'हम ने इस पर विचार नहीं किया है' ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो यही समझता हूं ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि क्या बन्द बनाने के सम्बन्ध में कोई विवाद है ?

श्री हाथी : मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में बन्द का कोई उल्लेख नहीं था । अतः इस के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि यह विवादास्पद है या नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : पिछले प्रश्न के सम्बन्ध में कि "क्या सरकार इस पर विचार कर रही है या नहीं", मंत्रियों से कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या सरकार का अमुक विषय के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी अन्य देश से कोई विशेषज्ञ मंगाने का विचार है । इसी प्रकार इस प्रश्न का भी उत्तर न देने की अपेक्षा यदि इस के उत्तर में यह कह दिया जाता कि 'हमने इस पर विचार नहीं किया है' या 'हमारा ऐसा करने का विचार नहीं है' तो मंत्री महोदय की कोई हानि नहीं होती ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को उन भावनाओं का ज्ञान है जो कि उत्तरी बिहार में इस नदी की प्रति वर्ष की बाढ़ से होने वाले विनाश और मृत्युओं के कारण भड़क रही है और क्या सरकार इस प्रश्न को प्रति वर्ष टालती ही जायेगी ?

श्री हाथी : सरकार को वहां के लोगों की भावनाओं का पूरा पूरा ज्ञान है और वह इस परियोजना को यथाशीघ्र आरम्भ करने के लिये हर सम्भव कार्यवाही कर रही है । परन्तु सरकार को अनुसन्धान के पूरा होन पर ही स्थिति का ठीक ठीक ज्ञान हो सकेगा ।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री ने बतलाया कि अनुसन्धान पर अब तक ८६ लाख रुपये व्यय हो चुके हैं । क्या मैं उन से व्यय की बड़ी बड़ी मदें---आंकड़ों का ब्यौरा जान सकता हूं ?

श्री हाथी : अब तक जो ८६ लाख रुपये व्यय हुये हैं, उसमें से लगभग ५२ लाख रुपये हीरक छिद्रण, छिद्रण, गुफ़ा बनाने और नालियों की खुदाई, सम्पत्ति परिमाप, प्रायोगिक भार विश्लेषण, नमूनों को तैयार करने और स्थापना इत्यादि पर व्यय हुये हैं जिस में २१ लाख रुपये परिमाप के भी सम्मिलित हैं ।

सरकारी नौकरों के लिए क्वार्टर

*११५१. **श्री राधा रमण :** (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ में दिल्ली में सरकारी नौकरों के लिये कितने रहने के क्वार्टर बनाये गये हैं ?

(ख) इन में से कितने (१) क्लर्कों और कितने (२) उच्च पदाधिकारियों के लिये हैं ?

(ग) क्या सरकार का चालू वर्ष में अधिक क्वार्टर बनाने का विचार है ?

(घ) क्या सरकार दिल्ली और नई दिल्ली की बढ़ती हुई जन संख्या के लिये निकट भविष्य में सहायताप्राप्त-गृह-व्यवस्था की कोई परियोजना लागू करने का विचार कर रही है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) एक विवरण जिसमें १९५२-५३ में बनाये गये रहने के क्वार्टरों की संख्या दी हुई है सदन पटल पर रखा जाता है। श्रेणी ४ को छोड़ कर अन्य पदाधिकारियों को ये क्वार्टर उन के वेतनों के आधार पर दिये जाते हैं उन के क्लर्क या गैर-क्लर्क के पदों के आधार पर नहीं।

(ग) हां, श्रीमान्।

(घ) भारत सरकार की सहायता-प्राप्त औद्योगिक गृह-व्यवस्था योजना के लाभ दिल्ली राज्य को भी उपलब्ध हैं। इस योजना के अतिरिक्त और कोई योजना इस समय विचाराधीन नहीं है।

विवरण

१९५२-५३ में बनाये गये क्वार्टर

श्रेणी ४ के कर्मचारियों के लिये ...	५१९
अन्य पदाधिकारियों के लिये जिन का वेतन ४९९ रुपये तक है ...	५७६
५०० से ९९९ रुपये तक वेतन पाने वालों के लिये	१३७
कुल योग	१,२३२

श्री राधा रमण : सदन पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारीवर्ग के लिये ५१९ क्वार्टर (मकान) और पदाधिकारियों के लिये ५७६ क्वार्टर (मकान) बनाये जा चुके हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को, वास्तव में, कितने क्वार्टरों की आवश्यकता थी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : अभी उस दिन मैं सदन में इस के सम्बन्ध में आंकड़े दे चुका हूं और वे बहुत ही विस्तृत हैं। अतः एव मैं माननीय सदस्य का ध्यान उस दिन के उत्तर की ओर आकर्षित करूंगा।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या इन चार विविध श्रेणी के पदाधिकारियों के लिये एक ही स्थान पर अथवा चार विविध स्थानों पर ये सभी क्वार्टर बनाये जा चुके हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : भिन्न भिन्न स्थानों पर ये क्वार्टर बनाये जा चुके हैं।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली को स्थानान्तरित किये गये पदाधिकारियों को अगले दिन ही मकान मिलते हैं जब कि क्लर्कों (लिपिकों) को कभी कभी दस दस वर्ष तक मकान की प्रतीक्षा करनी पड़ती है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : श्रीमान्, यह तो साधारण सा प्रश्न है और मैं इस बात को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं।

श्री एम० डी० रामस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार उन लोगों के लिये मकान की व्यवस्था करने के हेतु क्या कार्यवाही कर रही है जिन्हें आज तक क्वार्टर नहीं मिल पाये हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार उन के लिये मकान बना रही है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों में बिजली नहीं पहुंचाई गई है, और उन के बिजली पर पैसा खर्चने के लिये तैयार होने के बावजूद भी उन्हें बिजली की सुविधा नहीं दी जाती ?

सरदार स्वर्ण सिंह: मैं इस प्रश्न पर विचार करूंगा। मेरा यह विचार है कि बिजली की व्यवस्था की जा चुकी है। यदि व्यवस्था नहीं भी की गई हो तो मैं इस पर विचार करने के लिये तैयार हूं।

कुमारी एनी मस्करीन : मैं जान सकती हूं कि क्या इन पदाधिकारियों तथा क्लर्कों के वेतनों से काटा जाने वाला किराया, आजकल के निर्वाह-व्यय की दृष्टि में, कुछ अधिक है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : श्रीमान्, इस पर भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं। मेरे विचार में, किराया के रूप में वेतन से की जाने वाली कटौती अधिक नहीं मानी जा सकती ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हल्के संगीत के केन्द्र

*११३८. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) स्वीकार्य प्रकार के हल्के संगीत-वादन के लिये किन किन स्टेशनों पर निर्माण-केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं ; और

(ख) इन केन्द्रों द्वारा क्या प्रगति, यदि हुई हो तो, हुई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) आल इण्डिया रेडियो के दिल्ली, बम्बई तथा लखनऊ/इलाहाबाद स्टेशनों पर हल्के संगीत-वादन के लिये निर्माण-केन्द्र स्थापित किय जा चुके हैं ।

(ख) गीतों का निर्माण-कार्य प्रारम्भ हो चुका है, और ये सभी केन्द्र इस बात की आशा करते हैं कि शीघ्र ही साधारण परिमाण में निर्माण-कार्य हो सकेगा ।

वार्तासम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यक्रम

*११३९. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सुप्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा वार्ताओं और भाषणों के प्रसारण से सम्बन्धित राष्ट्रीय कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; तथा

(ख) क्या इस वर्ष के "पटेल भाषणों" के व्याख्यान के लिये किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को चुना गया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) वार्ता सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन २९ अप्रैल, १९५३ को हुआ था । एक विवरण जिस में इस क्रम में प्रसारित की जा चुकी तथा की जाने वाली वार्ता का ब्यौरा दिया जा चुका है सदन पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५६]**

(ख) "पटेल भाषणों" शीर्षक के अन्तर्गत प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा एक क्रमबद्ध वार्ता को प्रसारित करने की प्रस्थापना विचाराधीन है ।

वार्षिक दिवस

*११४०. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आल इण्डिया रेडियो के स्टेशनों द्वारा मनाये जाने वाले (धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि) वार्षिक दिवसों की सूचियां पूरी की जा चुकी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन सूचियों को सदन पटल पर रखा जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) नहीं, श्रीमान् ; अभी उन सूचियों पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) राष्ट्रीय वार्षिक दिवस सूची जब पूरी हो जायेगी, तो उसकी एक प्रति सदन पटल पर रखी जायेगी ।

चाय बोर्ड

*११५२. **श्री हेमराज** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किस दिनांक तक १९५३

के चाय अधिनियम के अन्तर्गत चाय बोर्ड की रचना होने वाली है ?

(ख) इस अधिनियम में विशेष रूप से उल्लिखित विभिन्न हितों के लिये कितने कितने प्रतिनिधि रखे गये हैं ?

(ग) पंजाब राज्य से कितने प्रतिनिधि इस बोर्ड में लिये जायेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग) . ये सभी प्रश्न विचाराधीन हैं ।

पंच वर्षीय योजना

*११५३. **श्री संगण्णा** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों के पास एक ऐसा परिपत्र भेजा है जिस में उन्हें बताया गया है कि वे पंच वर्षीय योजना का पुनर्विलोकन करें, और विगत दो वर्षों के अनुभव के आधार पर इस योजना में, यदि आवश्यकता हो तो, संशोधन सुझा दें; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन सुझावों को सदन पटल पर रख देगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) योजना आयोग द्वारा सभी राज्य सरकारों के नाम जारी किये गये पत्र संख्या पी-सी (पी) ९९/५३, दिनांक २४ अगस्त, १९५३ की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५७]**

खेल के सामान

*११५४. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग**-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) विदेशों में, भारत में बने खेलों के सामान की बिक्री बढ़ने की कितनी गुंजाइश है ; और

(ख) इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) विदेशों में, भारत में बने खेलों के सामान की बिक्री बढ़ने की बहुत गुंजाइश है ।

(ख) सरकार इस उद्योग का उत्पादन, तथा विदेशों को खेल के सामान का निर्यात बढ़ाने के लिये सभी सम्भव सहायता देना चाहती है । इस उद्योग और व्यापार के अधिकारियों के साथ परामर्श कर के इस बात के प्रयत्न किये जा रहे हैं कि विदेशों बाज़ारों की आवश्यकताओं को देख-दाख कर निर्यात बढ़ाया जाय, समुद्र पार के बाज़ारों में सम्पर्क पैदा करने के लिये व्यापार को बढ़ावा दिया जाय, और जहां तक भी हो सके उन सभी कठिनाइयों को हटाया जाय जिन से निर्यात-व्यापार के विकास में बाधा पड़ रही हो ।

आसाम तेल कम्पनी

*११५५. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम तेल कम्पनी में उत्पादित किये जाने वाले पेट्रोल को प्रति गैलन किस भाव पर आसाम में बेचा जाता है ?

(ख) इस के मुक़ाबले में बम्बई तथा कलकत्ता में इसी पेट्रोल और आयात किये गये पेट्रोल के मूल्यों का अनुपात क्या है ?

(ग) आसाम तेल कम्पनी में प्रति गेलन पेट्रोल के उत्पादन का व्यय कितना है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन): (क) आसाम में पेट्रोल का प्रति गैलन मूल्य ३ रुपये है ।

(ख) बम्बई तथा कलकत्ता में पेट्रोल का प्रति गैलन मूल्य नीचे दिया जाता है :—

	रु० आ० पा०
बम्बई	२ ११ ०
कलकत्ता	२ १२ ०

(ग) सरकार के पास इस की कोई भी जानकारी नहीं ।

दक्षिणी फ़्रांस में भारतीय राष्ट्रजन

*११५६. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** (क) **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि वर्ष १९४०, १९४१ और १९४२ में कई भारतीय राष्ट्रजन अर्थाभाव से दक्षिणी फ्रांस में असहाय अवस्था में रुक गये थे ?

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी थी ?

(ग) क्या यह सच है कि उन दिनों की भारतीय सरकार ने उन भारतीय राष्ट्रजनों को सहायता के रूप में कुछ धन भेजा था ?

(घ) यदि हां, तो कितना; और क्या यह सच है कि सरकार उस आर्थिक सहायता के प्रत्यर्पन के लिये उन के पास नोटिस भेज रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां ।

(ख) उनकी ठीक संख्या मालूम नहीं है ।

(ग) जी हां, कई व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी गई थी ।

(घ) हमें यह ठीक से मालूम नहीं कि सहायतार्थ कितनी राशि दी गई थी । भारत सरकार उस धन को पुनः प्राप्ति के हित उन के पास कोई नोटिस नहीं भेजती रही है । यों तो राज्य सरकारों के बारे में हम इतना जानते हैं कि उन में से कई एक के पास जो पैसा लौटा सकते थे, इन्होंने नोटिस भेजे थे ।

लोक लेखा समिति की सिफारिशें

*११५७. **श्री राम दास : सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि लोक लेखा समिति द्वारा दी गई छटी रिपोर्ट में उन के द्वारा की गई १३वीं सिफ़ारिश के सम्बन्ध में मंत्रालय के बयान में जिस प्रकार की अग्रेतर कार्यवाही विचार में लाई गई थी क्या वह की जा चुकी है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : बैलों के आयात से सम्बन्धित मामले पर अभी भी विशेष पुलिस संस्थापन की जांच चल रही है । ठेकेदारों की सूची बनाये जाने के सम्बन्ध में हिराकुड नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवश्यक हिदायतें जारी की जा चुकी हैं ।

हिन्दस्तान शिपयार्ड लि०

*११५८. **डा० लंका सुन्दरम :** (क) क्या **उत्पादन** मंत्री जहाज़ों की रचना के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० का कार्यक्रम बताने की कृपा करेंगे अर्थात् ऐसे जहाज़ों का टन भार तथा संख्या बताएंगे जिनका पैंदा बनाया जा चुका है ?

(ख) क्या जहाज़ों के कारखाने में उन जहाज़ों के पैंदे बनाने का विचार है जिन के लिए आदेश दिए जा चुके हैं ?

(ग) योजना की कालावधि में अर्थात् १९५५–५६ तक कारखाने में जहाज़ों के बनाने तथा, कारखाने को बढ़ाने का क्या कार्यक्रम है ?

(घ) ऐसे भारतीय जहाज़ के मालकों को सरकार ने कितना ऋण दिया है जो इस कारखाने में बने जहाज़ों को खरीदना चाहते हैं और प्रत्येक जहाज़ के मालक को दिए गए ऋण की राशि के विवरण क्या हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) से (ग). २३,००० टन के सपष्टीकृत टन भार के तीन जहाज़ों की रचना हो रही है जिन के पैंदे हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाए हैं । दो समुद्र में उतरने के लिए तैयार हैं और तीसरा जो २६ अगस्त को सागर में उतारा गया था कारखाने में पूरा तैयार किया जा रहा है। कारखाने के और जहाज़ बनाने के कार्यक्रम के सम्बंध में माननीय सदस्य का ध्यान ५ सितम्बर १९५३ को सभा सदन में पूछे गए प्रश्न सं० १०६० के उत्तर की ओर दिलाया जाता है । जहां तक कारखाने के बढ़ाने का सम्बंध है, यह अभी सरकार के विचाराधीन है ।

(घ) विशाखापटम कारखाने में बनाए गए जहाजों को खरीदने के लिए निम्नलिखित जहाज के समवायों को १,१०,२३,३३३ रु० के ऋण की स्वीकृति दी गई ।

(१) एस० एस० जगरानी को खरीदने के लिए मैसर्स ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी, लि० को २६,४०,००० रुपया ।

(२) एस० एस० भारती मित्रा को खरीदने के लिए मैसर्स भारत लाईन लिमिटेड को ५५,५०,००० रुपया ।

(३) उस एस० एस० भारतरत्ना को खरीदने के लिए मैसर्स भारत लाईन लि० को २९,५०,००० रुपया की स्वीकृति दी गई, जो २६ अगस्त १९५३ को सागर में उतारा गया था और अब उस की पूरी तैयारी की जा रही है । और ९,८३,३३३ रुपये की राशि तब दी जाएगी जब जहाज़ दिया जाएगा ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड

***११५९. डा० लंका सुन्दरम** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड को सरकार द्वारा सहायता देने के सम्बंध में हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० की हाल की वार्षिक बैठक में, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० के सभापति श्री एन० आर० पिल्ले द्वारा दिए गए वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार ने विशखापटम में बनाए गए जहाज़ों की सहायता की नीति को इस प्रणाली पर स्वीकार कर लिया है ; तथा

(ग) क्या जब जहाज़ बनाने वाला समवाय सरकार द्वारा चलाया जाता हो और गैरसरकारी न हो तो क्या जहाज़ों के बनाने की सहायता करने की सरकार की नीति है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). सरकार कुछ समय तक विशाखापटम जहाज़ बनाने के कारखाने को सहायता देने की नीति का अनुसरण करती रही है और अब तक प्रत्येक बनाए गए जहाज़ पर सहायता अनुदान दिया गया है । इस जहाज़ के कारखाना समवाय के बनाने पर जिस में सरकार का नियंत्रण है, नीति में कोई अन्तर नहीं हुआ ।

संसद सदस्यों के लिए फ़लैट

*११६०. **श्री बी० एन० मिश्र** : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर तथा दक्षिण एविन्यू नई देहली में संसद सदस्यों के लिए और कितने फ्लैट बनाए जाएंगे और वे कब तैयार हो जायेंगे ?

(ख) जो फ्लैट अब बनाए जा रहे हैं वह किस प्रकार के हैं ?

(ग) इन नये फ्लैटों में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं ?

(घ) क्या ये सब चीज़ें उन फ्लैटों में लगी हुई हैं जो संसद सदस्यों को रहने के लिए दे दिए गए हैं ?

(ङ) उन फ्लैटों में जब पूरा सुसज्जित फ्लैट दिया जाएगा तो फरनीचर की क्या वस्तुएं दी जाएंगी ?

(च) नए बनाए गए फ्लैट को पूरी तरह सुसज्जित करने के लिए अपेक्षित फरनीचर पेदों और चिकों इत्यादि पर कुल लागत क्या है ?

(छ) वे आधार क्या हैं जिन पर, फ्लैटों में दिए गए फरनीचर के किराये की गणना की जाती है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) संसद सदस्यों के लिए १०४ नए फ्लैट बनाने का प्रश्न विचाराधीन है । ये इस तिथि से एक वर्ष में तैयार हो जाएंगे जिस तिथि को कार्य आरम्भ किया जाएगा ।

(ख) हाल में बी० तथा सी० प्रकार के फ्लैट बनाए गए हैं और तैयार किए गए हैं ।

(ग) अब बनाए गए फ्लैटों में बिजली तथा स्वछता सम्बंधी सामान्य वस्तुएं लगाई गई

(घ) जी हां लगाई गई वस्तुओं में कोई परिवर्तन नहीं ।

(ङ) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध सं० ५८]**

(च) इन फ्लैटों में दिए गए फरनीचर का मूल्य यह है :—

बी. टाईप १,७५६ रु० प्रति इकाई

सी. टाईप १८६५ रु० प्रति इकाई

(छ) फरनीचर का किराया चिरस्थायी फरनीचर की कुल लागत के ६ प्रतिशत प्रतिवर्ष और न-चिरस्थायी फरनीचर के १६½ प्रतिशत की दर से निकाला जाता है । सामान्यतः सब लकड़ी के फरनीचर चिरस्थायी और नमदे दरवाज़े की चटाईयां और पेदे न-चिरस्थायी हैं ।

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सन्धि

*११६१. **श्री एन० बी० चौधरी** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच मंत्री, वाणिज्य तथा जहाज़रानी की संधि के लिए वार्तालाप हो रही है ;

(ख) क्या दो वे देशों ने दोहरा कर संबंधी संधि पर वार्तालाप करने की रुचि का प्रदर्शन किया है ; तथा

(ग) यदि ऐसा है ऐसी संधि कब निष्पादित होने की प्रत्याशा है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) दोनों सरकारें आपस में अभी इस संधि पर चर्चा कर रही हैं और यह कहना संभव नहीं कि यह कब पूर्ण होगी ।

भारत भंडार विभाग लंडन

*११६२. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत भंडार विभाग लंडन में काम करने वाले कितने पदाधिकारी भंडारों का व्यवसायिक निरीक्षण करने के लिए अर्हता रखते हैं ?

(ख) क्या यह कार्य करने के लिए कोई अलग अभिकरण है ?

(ग) भारत भंडार विभाग ने इस वर्ष कुल कितना कारोबार किया है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) ७३ ।

(ख) हां श्रीमान् ।

(ग) केवल वित्तीय वर्षों के आंकड़ों का संधारण किया जाता है । १९५२-५३ में इस विभाग ने कुल १९०.२ लाख पौंड की खरीद की थी ?

चन्द्रनगर

*११६३. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को चन्द्रनगर के दुकानों के नौकरों की ओर से कोई अभ्यावेदन आया है कि वह पश्चिमी बंगाल दुकानें तथा कर्मचारीवृन्द अधिनियम लागू किया जाए; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) हां, ४ अगस्त १९५३ को ।

(ख) सरकार ने यह अधिनियम वहां यथाशीघ्र लागू करने का निश्चय किया है । अधिनियम के प्रवर्तन के लिए आवश्यक प्रशासन प्रणाली का उपबंध करने के हेतु पग उठाए जा रहे हैं ।

अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति

*११६४. **श्री बी० एन० कुरील** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने देश में अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति के सुधारने के लिए पंच वर्षीय योजना के अधीन मुख्य क्या पग उठाए हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों में भेद भाव नहीं रखती । केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के हित पर व्यय करने के लिए योजना में ४ करोड़ रुपये का उपबंध किया है । इस उपबंध अधीन कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं । इस के अतिरिक्त राज्य सरकारों ने अनुसूचित आदिवासियों से भिन्न जिन के लिए उनकी योजनाओं में २३ करोड़ का उपबंध किया गया है अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के लिए १० करोड़ रु० का उपबन्ध किया है । उन योजनाओं की किस्मों के सम्बन्ध में जिनका इस विषय में राज्य सरकार ने उपक्रम किया है, २५ मार्च १९५३ को अतारांकित प्रश्न संख्या ७०३ के उत्तर में सदन पटल पर रखे गए विवरण की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

बड़ौदा रेडियो स्टेशन

*११६५. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा के ए० आई० आर० स्टेशन को बन्द करने की प्रस्थापना अभी रह गई है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो इस के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) तथा (ख). नहीं श्रीमान् । तो भी ए० आई० आर० बड़ोदा का पारेषक तब बन्द किया जाएगा जब अहमदाबाद में नया अधिक ५० कि० वा० विद्युत शक्ति मीडियम वेव का पारेषक काम करना आरम्भ कर देगा ।

महाराष्ट्र में नदी परियोजनाएं

*११६६. **श्री कानावडे पाटिल :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के अकाल पीड़ित क्षेत्रों को स्थायी सहायता देने के विचार से, महाराष्ट्र की सिंचाई की बड़ी नदी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या यह तथ्य है कि सरकार ने इस विषय पर बम्बई सरकार का अभिमत पूछा है ; तथा

(ग) यदि ऐसा है तो बम्बई सरकार ने सिंचाई के लिए बड़ी नदी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में क्या उत्तर दिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार इस समय बम्बई सरकार के परामर्श के साथ महाराष्ट्र के अभाव पीड़ित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त सिंचाई योजनाओं के कार्यक्रम पर विचार कर रही है ।

दियासलाई उद्योग के लिए कच्ची सामग्री

*११६७. **पंडित सी० एन० मालवीय: क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के दियासलाई के कारखानों में कच्ची सामग्री की क्या मध्यमान मात्रा प्रयोग की जाती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): स्थापित शक्ति के आधार पर दियासलाई के कारखानों में मध्यमान उत्पादन से सम्बंधित प्रयुक्त की गई कच्ची सामग्री की मध्यमान मात्रा निकाली गयी है और उसे दर्शाने वाला विवरण सदन पटल पर रखा है । तो भी इसे केवल अनुमान ही समझना चाहिये ।

विवरण

	कच्ची सामग्री	प्रयुक्त की गई मध्यमान सामग्री
१.	अमारफस फासफोरस	१६० टन
२.	पोटाशियम क्लोरेट	२००० टन
३.	गंधक	२०० टन
४.	नीला और हर दिया सलाई का कागज़	२८८० टन
५.	गोंद	४०० टन
६.	लकड़ी	९६००० टन
७.	मैदा	१६०० टन

दियासलाई

*११६८. **पंडित सी० एन० मालवीय :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में दियासलाई की कुल वार्षिक मांग ;

(ख) प्रति वर्ष निर्यात की जाने वाली दियासलाइयों का औसत मूल्य; तथा

(ग) भारत में उन दियासलाई फ़ैक्टरियों की राज्यवार संख्या जो पहली जनवरी १९५३ के बाद से उत्पादन नहीं कर रही हैं या पूर्णत: बन्द हो गई हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) अनुमान है कि ५००,००० बक्सों की मांग होती है; हर बक्स में ६० सलाइयों वाले ५० ग्रॉस डिब्बे होते हैं ।

(ख) १९५१–५२ में ८८,००० रु० और १९५२–५३ में ९८,००० रु० ।

(ग) सरकार के पास जो आंकड़े हैं उनके अनुसार चालू वर्ष में मद्रास, सौराष्ट्र और मैसूर स्थित तीन फ़ैक्टरियां बन्द हुई हैं ।

आल इंडिया रेडियो के कलाकारों का स्वर-परीक्षण

*११६९. **श्री वीरस्वामी : सूचना तथा प्रसारण** मंत्री १४ अगस्त १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४९७ से संबंधित एक अनुपूरक प्रश्न के बारे में दिय गये उत्तर को निर्दिष्ट करने की कृपा करेंगे और बतलायेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि ऑल इंडिया रेडियो के त्रिचनापली व मद्रास केन्द्रों में प्रतिष्ठिति कलाकारों को भी परीक्षक-मंडल द्वारा स्वर-परीक्षण कराये जाने के लिये कहा गया था ;

(ख) यदि हां, तो स्वर-परीक्षण में कितने कलाकारों ने भाग लिया; तथा

(ग) स्वर-परीक्षणों का क्या परिणाम निकला ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी नहीं, उच्च कोटि के प्रतिष्ठित कलाकारों का स्वर-परीक्षण नहीं होता ।

(ख) तथा (ग) . प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

लंका में भारतीय

*११७०. **श्री वीरस्वामी** : क्या **प्रधान** मंत्री १४ अगस्त, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४९४ से संबंधित एक अनुपूरक प्रश्न के बारे में दिये गय उत्तर को निर्दिष्ट करने की कृपा करेंगे और बतलायेंगे :

(क) लंका में रहने वाले उन भारतीयों की संख्या जिन्हें नागरिकता अधिकार प्राप्त नहीं हैं ;

(ख) क्या भारत सरकार को उनसे कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंन भारत लौटने की इच्छा व्यक्त की हो ;

(ग) यदि हां, तो उन्होंने क्या मांग की है ; तथा

(घ) सरकार इस विषय में क्या क़दम उठाना सोचती है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) पता नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) तथा (घ) . प्रश्न नहीं उठते ।

साइकिलें

*११७१. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५० से १९५२ तक भारत में बनी साइकिलों का कुल उत्पादन कितना था ?

(ख) उक्त काल में कुल कितनी साइकिलें आयात की गईं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) १९५० में लगभग १.०३ लाख, १९५१ में १.१४ लाख तथा १९५२ में १.९७ लाख ।

(ख) १९५० में लगभग १.१ लाख, १९५१ में २.७३ लाख तथा १९५२ में में २.४४ लाख ।

वस्तु नियन्त्रण समिति

*११७२. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या वस्तु नियंत्रण समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ?

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सिफ़ारिशें की गई हैं ?

(ग) सरकार ने उन में से कितनी सिफ़ारिशें मंजूर की हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) जी हां ।

(ख) सिफ़ारिशों का संक्षिप्त विवरण रिपोर्ट के १४वें अध्याय में दिया गया है । रिपोर्ट की प्रतिलिपियां सदन पटल पर रख दी जायेंगी ।

(ग) समिति की सिफ़ारिशों पर सरकार के संकल्प की प्रतिलिपियां सदन पटल पर रख दी जायेंगी ।

सुपारी

*११७३. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सुपारी किन किन देशों से आयात की जाती है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि सुपारी के दामों में वृद्धि हुई है ?

(ग) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) मुख्यतः सिंगापुर, लंका तथा पूर्वी पाकिस्तान से ।

(ख) जी हां ।

(ग) सुपारी के दामों पर बहुत सी बातों का जैसे उत्पादन, आयात, विदेशों में मूल्य, मौसम के कारण मूल्य में परिवर्तन, सामान्य मूल्य स्तर का झुकाव आदि का असर पड़ता है । हो सकता है कि जनवरी-जून १९५३ के आयात अभ्यंश में कमी होने तथा शुल्क में वृद्धि होने के कारण दाम बढ़ गये हों ।

विस्थापित व्यक्तियों को ऋण

*११७४. **श्री वीरस्वामी** : **पुनर्वास** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि चालू वर्ष में पूर्वी बंगाल के विस्थापितों को ग्राम्य ऋण देने के लिये ढाई करोड़ रुपया मंजूर किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण से कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ है ;

(ग) अनुसूचित जाति के कितने काश्तकारों को इस ऋण से लाभ हुआ है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में पश्चिमी बंगाल, आसाम व त्रिपुरा राज्यों को सब प्रकार के पुनर्वास ऋणों के लिये २.६२ करोड़ रुपय की राशि मंजूर की गई है ।

(ख) अनुमान है कि पश्चिमी बंगाल के ४९,६२६ परिवारों को लाभ पहुंचेगा । आसाम व त्रिपुरा के बारे में आंकड़े इकट्ठे किये जाते हैं और उन्हें सदन पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

उत्तर-पूर्व सीमान्त एजेन्सी

*११७५. **श्री अमजद अली** : (क) **प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर-पूर्व सीमान्त एजेन्सी के विकास के लिये जो राशि निर्धारित की गई थी क्या चालू वर्ष के लिये उसे मंजूर कर दिया गया है ?

(ख) क्या वहां के अगम्य स्थानों में हवाई जहाज़ से खाद्य पदार्थ डालने का काम अब भी जारी है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

पाकिस्तान से व्यापार समझौता

*११७६. **श्री अमजद अली** : **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पाकिस्तान के बीच जो वर्त्तमान व्यापार समझौता है क्या उसकी अवधि और बढ़ाई जा रही है ; तथा

(ख) यदि हां तो कब तक के लिये ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख) . भारत और पाकिस्तान के बीच दो समझौते हैं, एक पटसन और कोयले के बारे में है जिसकी अवधि अभी समाप्त नहीं हो रही है और दूसरा कुछ अन्य वस्तुओं के बारे में। एक अल्पकालीन समझौता है जिसकी अवधि इस महीने के अन्त में समाप्त हो रही है । इस समय यह बतलाना सम्भव नहीं कि दूसरे समझौते की अवधि बढ़ाई जायेगी या नहीं ।

कपड़ा उद्योग जांच समिति

*११७७. **श्री एस० वी० रामस्वामी** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कपड़ा उद्योग जांच समिति के किन किन राज्यों का दौरा किया है और क्या हस्तकरघा उद्योग के बारे में कोई आंकड़े इकट्ठे किये गये हैं ?

(ख) उद्योग का अनुमानित उत्पादन कितना है ?

(ग) बिना बिके माल का अनुमानित स्टाक कितना है ?

(घ) जांच कब तक चलेगी ?

(ङ) समिति कब तक अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) से (ग) . समिति ने मद्रास, मैसूर, बम्बई, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल व आसाम का दौरा किया है । इन बातों के बारे में जो आंकड़े आवश्यक समझे जायेंगे और उपलब्ध होंगे समिति उन्हें इकट्ठी करेगी ।

(घ) तथा (ङ) . आशा है कि समिति अगले वर्ष के आरम्भ में अपनी रिपोर्ट पेश करे देगी ।

कपड़े पर नियन्त्रण

*११७८. **श्री एस० वी० रामस्वामी** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय सूत तथा कपड़े के वितरण तथा मूल्यों के सम्बन्ध में किस सीमा तक नियंत्रण है ?

(ख) हाल ही में नियंत्रण में जो ढील की गई है उसका हथकरघे से बने कपड़े के उत्पादन पर तथा बुनकरों को काम मिलन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

(ग) कुछ मास पूर्व सरकार ने जिस रक्षण की घोषणा की थी क्या उससे हस्त-करघा उद्योग को कोई लाभ पहुंचा है ?

(घ) यदि हां, तो कितना ?

(ङ) मिल मालिकों ने हाल में जो घोषणा की थी उसके अनुसार क्या उन्होंने एक करोड़ बुनकरों को काम पर लगाने के बारे में कोई योजना प्रस्तुत की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ११ जुलाई, १९५३ से सरकार ने कपड़े और सूत के दामों तथा वितरण पर से नियंत्रण हटा लिया है ।

(ख) विनियंत्रण के बाद भी सूत पर्याप्त मात्रा में बेरोकटोक मिलता रहा है । सूत के दामों में कोई वृद्धि नहीं हुई है । हथकरघे से बने कपड़े के उत्पादन पर तथा बुनकरों को काम मिलने पर क्या प्रभाव हुआ है, इसका अनुमान लगाना अभी समय से पूर्व होगा ।

(ग) तथा (घ). शायद इसका सम्बन्ध मिलों में धोतियों के बनाने पर लगाये गये प्रतिबन्ध से है । मिलों द्वारा पहले बनाई जाने वाली धोतियों का ४० प्रतिशत भाग हस्तकरघा उद्योग द्वारा बनाया जायेगा और इस सीमा तक उसे लाभ होने की आशा है ।

(ङ) सरकार को ऐसी कोई योजना नहीं मिली है ।

प्रतापनगर की विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती

*११७९. **श्री बलवंत सिंह महता :** (क) **पुनर्वास** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उदयपुर राजस्थान में, प्रतापनगर में विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती बनाने के लिये अब तक कितना रुपया ऋण के रूप में दिया गया है और इसमें से कितना अब तक वसूल हो गया है ?

(ख) क्या सरकार को पता है कि वहां थोड़े से ही विस्थापित व्यक्ति रह रहे हैं और ऐसी सारी इमारतों की हालत, जहां कोई नहीं रह रहा है, उचित देखभाल न होने तथा खाली पड़े रहने के कारण दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है ?

(ग) क्या सरकार इन इमारतों को किसी और काम में लाने का विचार करती है, यदि हां, तो किस काम में ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क)

	लाख रुपया
(१) पुरानी मारवाड़ सरकार द्वारा दिया गया ऋण	४
(२) राजस्थान सरकार के मार्फ़त भारत सरकार द्वारा दिया गया ऋण	२५
(३) राजस्थान सरकार द्वारा दिया गया ऋण	५
कुल	३४
(२) वसूल हुआ ऋण	२.९३

(ख) राज्य सरकार से पूछताछ की गई है, परन्तु कुछ समय पहले उसने बताया था कि पूरे बने ३२३ मकानों में से ९२ खाली पड़े हैं ।

(ग) जी हां, राज्य सरकार ने रेल मंत्रालय से प्रतापनगर में अपना प्रशिक्षण स्कूल खोलने के लिये प्रार्थना की है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का पीटा जाना

*११८०. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि ११ अगस्त, १९५३ को, क्वीन विक्टोरिया रोड, नई दिल्ली पर स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों की बहुत से मंज़िलों वाली इमारत के ठेकेदारों ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण कर्मचारियों को पीटा था और उन्हें गालियां दी थी ;

(ख) क्या सरकार को इस घटना के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; तथा

(ग) सरकार का इस मामले में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार को मुख्य इंजीनियर से इस घटना की रिपोर्ट प्राप्त हुई है ।

(ग) ठेकेदार के एजेंट को, जो कि इस घटना के लिये उत्तरदायी है, स्थान पर आने से रोक दिया गया है, शाखा पदाधिकारी को स्थानान्तरित कर दिया गया है और ठेकेदार के विरुद्ध अनुशासनीय कार्रवाई करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

टेकनिकल संस्था, फरीदाबाद का प्रबन्ध

५९८. **श्री वी० पी० नायर** : (क) **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे

निकल संस्था को लाभ के बटवारे के आधार पर प्रबन्ध के लिये एक ग़ैर-सरकार व्यक्ति को सौंप दिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो लाभ का कितना अंश दिया जाता है ?

(ग) क्या ठेकेदार प्रबन्धक को घाटे के लिये उत्तरदायी ठहराया गया है ?

(घ) संस्था के किन किन विभागों को उसके प्रबन्ध में दे दिया गया है ?

(ङ) क्या उस से कोई प्रतिभूति ली गई है ?

(च) उस ने किस तारीख़ को कार्य-भार संभाला था ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (च) . टेकनिकल संस्था के निम्न विभागों के लिये २९ जून, १९५३ से एक वर्ष की अवधि के लिये एक प्रबन्धक नियुक्त किया गया है :

(१) प्रैस शला ।

(२) मुद्रणालय ।

(३) निर्माणशाला ।

(४) हौजरी तथा वस्त्र ।

(५) मोटर मरम्मत शाला ।

उसे १ रुपया प्रति मास वेतन दिया जायेगा और इसके साथ उस के विभागों से प्राप्त शुद्धलाभ का ३३ १/३ प्रतिशत दिया जायेगा । यदि वह अपनी नियुक्ति के बाद के चार मासों में उत्पादन और विक्रय को कम से कम ५० प्रतिशत न बढ़ा सका, तो उसके लाभ का अंश घटा कर २५ प्रतिशत कर दिया जायेगा । एक मास की सूचना देकर उस की सेवा समाप्त की जा सकती है । वह घाटे के लिये उत्तरदायी नहीं होगा, किन्तु बोर्ड ने उस को सुपुर्द किये गये सामान और कच्ची सामग्री के गुम हो जाने या उसे हानि पहुंच जाने की अवस्था में क्षति निवारण के हेतु १०,००० रुपये का विश्वस्तता बन्ध ले लिया है ।

फरीदाबाद प्रशासन के पदाधिकारी

५९९. **श्री वी० पी० नायर** : **पुनर्वास** मंत्री एक विवरण सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बतलाया गया हो :

(१) वर्तमान प्रशासक की नियुक्ति के बाद, २०० रुपये और इस से अधिक वेतन पाने वाले उन पदाधिकारियों के नाम क्या हैं जिन की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं या जिन्हें फ़रीदाबाद प्रशासन से स्थानान्तरित कर दिया गया है;

(२) ये किन किन पदों पर नियुक्त थे; और

(३) इन की सेवायें समाप्त करने या इन्हें स्थानान्तरित करने के कारण क्या थे ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५९]**

इम्फाल में विस्थापित व्यक्ति

६००. **श्री रिशांग किशिंग** : **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्फाल में विस्थापित व्यक्तियों की संख्या क्या है ;

(ख) अब तक कितने व्यक्तियों को फिर बसाया गया है और उन्हें क्या सुविधायें दी गई हैं ; तथा

(ग) पुनर्वास के कार्य में शीघ्रता लाने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

सीमेन्ट

६०१. **श्री अनिरुद्ध सिन्हा : वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति वर्ष कितने सीमेंट की आवश्यकता पड़ती है ;

(ख) यदि सीमेंट निर्यात किया जाता है तो कितना ; तथा

(ग) सीमेंट किन किन देशों को निर्यात किया जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृणमाचारी) : (क) लगभग ४५ लाख टन ।

(ख) १९५२ में ६५,८५५ टन ।

(ग) सीलोन, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, पूर्व अफ़्रीका, नेपाल, आस्ट्रेलिया और परशियन गतफ़ के पत्तन ।

महिला कर्मचारी

६०२. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : (क) **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय आल इंडिया रेडियो, दिल्ली और प्रेस सूचना विभाग, दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों की सेवा में कितनी महिलायें काम करती हैं ?

(ख) उनमें कितनी स्थायी हैं और कितनी संविदा के आधार पर नियुक्त हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) तथा (ख) । अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६०]**

विकास कार्यक्रमों के कारण नियोजन

६०३. **श्री दाभी** : योजना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि योजना आयोग के अनुमान के अनुसार, जिसे कि पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है, पंच-वर्षीय योजना में उल्लिखित विभिन्न कार्य-क्रमों के फलस्वरूप योजना की अवधि के दौरान में लगभग ५७ १/२ लाख व्यक्तियों की प्रति वर्ष काम मिलेगा; तथा

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में विभिन्न निर्माण कार्यों, परियोजनाओं और उद्योगों में अब तक कितने व्यक्तियों को काम मिला है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) अनुमान लगाया गया था कि पंचवर्षीय योजना की विभिन्न विकास योजनाओं के फल-स्वरूप ५२ १/२ लाख व्यक्तियों को भिन्न भिन्न प्रकार का काम मिलेगा ।

(ख) यह जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

लाख से रंगे हुए मिट्टी के बर्तन

६०४. **श्री एस० सी० सामन्त : वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाख से रंगे हुए मिट्टी के बर्तन बाजार में विक्रय के लिये उपलब्ध हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या प्रयोग से यह सिद्ध हुआ है कि इन बर्तनों में खाने पीने की चीजें सील और सड़ांद द्वारा खराब होने से बची रहती हैं ;

(ग) क्या कोई अनुसंधान किया गया है; तथा

(घ) यदि हां, तो कहां ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां, मुख्यतः मध्य भारत में ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) इंडियन लाख अनुसंधान संस्था, नमकुम (रांची) बिहार में ।

विस्थापित व्यक्तियों का सामाजिक व आर्थिक परिमाप

६०५. **श्री गिडवानी** : (क) **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को (१) दिल्ली नगर में सरकार द्वारा बनाये गये मकानों में और (२) दिल्ली राज्य में विस्थापित व्यक्तियों की नई बनाई गई बस्तियों में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों के सामाजिक व आर्थिक परिमाप की रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

(ख) यदि हां, तो (१) इन मकानों और (२) नई बनाई गई बस्तियों में रहने वाले पांच व्यक्तियों के एक परिवार की औसत वार्षिक आय क्या है ?

(ग) इस प्रकार के प्रत्येक परिवार किराये, यातायात और अपने बच्चों की शिक्षा पर प्रति वर्ष कितना रुपया खर्च करता है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) से (ग) भारत सरकार की प्रार्थना पर दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल आफ़ इकनामिक्स के संचालक डा० बी० के० आर० वी० राव ने, दिल्ली में स्थित और उसके आसपास की पुनर्वास बस्तियों का एक सामाजिक व आर्थिक परिमाप किया है और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

साड़ियां और धोतियां

६०६. **सेठ गोविंद दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को यह मालम है कि धोतियों और साड़ियों के उत्पादन पर पाबन्दियां लगाई जाने के कारण उन के मूल्य काफी बढ़ गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : सरकार को विदित है कि धोतियों के मूल्य सामान्यतया बढ़ गये हैं । प्रतिबन्ध आदेश साड़ियों पर लागू नहीं होता ।

व्यापार संतुलन

६०७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री वित्तीय वर्ष १९५३-५४ की पहली तिमाही में भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार संतुलन की स्थिति बतलाने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) ७६८ लाख रुपये का प्रतिकूल संतुलन ।

आल इंडिया रेडियों में स्टाफ कलाकार

६०९. **श्री राजगोपाल राव** : (क) **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि इह वर्ष ए० आई० आर० के स्टाफ कलाकारों के वेतन में कोई वृद्धि नहीं की गई ?

(ख) ए० आई० आर० के स्टाफ कर्मचारियों को बीमारी के लिये क्या सुविधायें प्राप्त हैं ?

(ग) क्या कोई भविष्य निधि योजना है ?

(घ) जब उन की सेवायें समाप्त की जाती हैं, क्या उन्हें कोई उपदान दिय जाता है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । कार्य की किस्म और उत्तमता के अनुसार कलाकारों के वर्गीकरण का सारा प्रश्न विचाराधीन था और अब पात्र व्यक्तियों के लिये अनुदर्शी प्रभाव से वेतन वृद्धियां मंजूर की जा रही हैं

(ख) स्टाफ कलाकारों को उन दरों से, निःशुल्क डाक्टरी सहायता पाने का अधिकार है जिन दरों से नियमित सरकारी कर्मचारियों को अधिकार है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) जी हां, श्रीमान् ।

चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टर्स के लिये बिजली

६१०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : (क) क्या **निर्माण गृह-व्यवस्था और रसद मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को निर्धारित किये गये क्वार्टर्स में अभी तक बिजली न देने के कारण क्या हैं ?

(ख) दिल्ली में कितने गजटेड पदाधिकारियों के नौकरों क्वार्टरों में बिजली की व्यवस्था है ?

निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सामग्री की उपलब्धि और वित्तीय साधनों की मांग है कि इस कार्य को पहलू के आधार पर किया जाना चाहिये ।

(ख) अभी तक मंत्रियों, उप-मंत्रियों और संसद सदस्यों के सम्मिलित करते हुए उन के बंग्लों से सलग्न २३० नौकरों के क्वार्टरों में बिजली लगा दी गई है ।

सुपारी

६११. **श्री वोडयार** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंग कि १९५०-५१, १९५१-५२ और १९५२-५३ वर्षों में सुपारी पर कितना आयात शुल्क वसूल किया गया है ?

(ख) जनवरी १९५२ से अगस्त १९५३ तक आयात की गई सुपारी की मात्रा कितनी है ?

(ग) १९५१-५२ और १९५२-५३ में भारत में किस परिमाण में सुपारी का उत्पादन हुआ है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) :

१९५०-५१	४,४३,८१,५०० रु०
१९५१-५२	४,७४,८४,१५५ रु०
१९५२-५३	३,६८,७९,००० रु०

(अस्थायी)

(ख) १०,७०,००० हंडरवेट (जनवरी १९५२ से मई १९५३ तक) ।

(ग) प्रत्येक वर्ष के अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अनुमानित वार्षिक उत्पादन २२ लाख रुपये प्रमाप मन है।

सैरेमिक के कारखाने

६१२. **श्री बी० सी० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में सफेद चीनी मिट्टी की वस्तुयें, बनाने वाले सैरेमिक के कारखानों की संख्या ; और

(ख) उक्त संख्या में से कितने कारखाने (१) कम शक्ति वाले चीनी मिट्टी के बिजली विसंवाहक (इंसूलेटर) (२) उक्त शक्ति के चीनी मिट्टी के बिजली विसंवाहक और (३) कम शक्ति और अधिक शक्ति युक्त दोनों तरह के बिजली विसंवाहक निर्मित करते हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ३१ ।

(ख) ६३ कारखाने चीनी मिट्टी के बिजली विसंवाहक निर्माण करने में संलग्न हैं, उक्त समस्त कारखाने कम शक्ति और अधिक शक्ति दोनों प्रकार के बिजली विसंवाहक तैयार करते हैं । इन में से एक कारखाना उक्त शक्ति के विसंवाहक का कभी कभी निर्माण करता है और दूसरा कारखाना मुख्यतः उक्त शक्ति के बजली विसंवाहक ही तैयार करता है ।

दो और कारखानों ने कम शक्ति वाले विसंवाहक निर्माण करने के लिये व्यवस्था सम्पन्न कर ली है ।

चीनी मिट्टी के बिजली के विसंवाहक (इंसूलेटर)

६१३. **श्री बी० सी० दास** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९४७-४८, १९४८-४९, १९४९-५०, १९५०-५१ और १९५१-५२ वर्षों में कम शक्ति वाले बिजली विसंवाहक किस परिमाण में विदेशों से भारत में आयात किये गये थे ; और

(ख) उपर्वर्णित वर्षों में आयात किये गये अधिक शक्ति वाले बिजली विसंवाहकों की मात्रा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है ।

विवरण

१९४७-४८ से १९५१-५२ में आयात किये गय बिजली के चीनी मिट्टी के विसंवाहकों के आंकडे :

वर्ष	मूल्य (एक सहस्त्र रुपयों में)
१९४७-४८	१८९
१९४८-४९	१६९
१९४९-५०	३७५
१९५०-५१	२५७
१९५१-५२	५४७

टिप्पणी (१) कम शक्ति और अधिक शक्ति वाले विसंवाहकों के अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(२) सीमा शुल्क पञ्जिका में विसंवाहकों की मात्रा संबंधी आंकड़े नहीं लिये जाते हैं ।

डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी की मृत्यु के संवाद का प्रसारण

६१४. **श्री वीरस्वामी** : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री दिनांक २७ अगस्त, १९५३ को पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और बतलायेंगे :

(क) डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी की मृत्यु का सवाद कितनी बार और किन किन भाषाओं में प्रसारित किया गया था; और

(ख) क्या उक्त समाचार समुद्रपार देशों में भी प्रसारित किया गया था ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) उक्त समाचार ७२ बार निम्न भाषाओं में प्रसारित किया गया था:—

बंगाली	उर्दू
आसामी	कोयु
गुजराती	इण्डोनेशियन
तैलगू	फ्रेंच
अंग्रेजी	बर्मी
कन्नड	पर्सियन
डोगरी	अरबी
पंजाबी	

उड़िया	साहिलि
मराठी	पश्तो
हिन्दी	पथोरी
गोरखाली	अफगान
तामिल	
काश्मीरी	मलयालय

(ख) हां, श्रीमान् ।

टीन के बर्तनों के कारखाने

६१५. **श्री एन० आर० नायडू** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में स्थित टीन के बर्तनों का निर्माण करने वाले समस्त कारखानों के उत्पादन करने की वर्तमान तथा सन् १९४६ की अनुमानित क्षमता और वह वर्तमान अंकों तक क्योंकर पहुंची, प्रत्येक अवधि की वृद्धि के आंकड़ों सहित ?

(ख) उक्त बर्तनों के निर्माताओं के त्रैमासिक प्रार्थना-पत्रों में टीन के चद्दरों की कुल कितनी आवश्यकता व्यक्त की गई थी ?

(ग) मेटल बाक्स कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड और झेनिथ टीन वर्क्स बम्बई की १९४६ में अनुमानित उत्पादन क्षमता कितनी थी और वर्तमान में वह कितनी है ?

(घ) उक्त सार्थों की उत्पादन क्षमता और उन के द्वारा दी गई त्रैमासिक प्रार्थना पत्रों में व्यक्त टीन की चद्दरों की आवश्यकता में अवधिवार वृद्धि कितनी थी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (घ). विवरण संलग्न है

[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध सं० ६१]

सत्यमेव जयते

बुधवार,
९ सितम्बर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
18.3.92
Fumigated
[illegible]
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बुधवार, ९ सितम्बर १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

सदन पटल पर रखे गए पत्र

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं सदन पटल पर निम्नलिखित प्रत्येक पत्र की प्रतियां रखता हूं :

(१) वस्तु नियंत्रण समिति, १९५३ का प्रतिवेदन; और

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या २५-पी सी (६)/५३ दिनांक ९ सितम्बर, १९५३।

[पुस्तकालय में रख दिय गये। देखिये संख्या ९ यू ए (७६)]

सम्पदा शुल्क विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : खंड ३३ समाप्त हो चुका है। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि जिन्होंने खंड ३४ के संशोधनों की सूचना दी है वे उन्हें प्रस्तुत करें।

खंड ३४ (शुल्क की दर आदि)

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

खंड ३४ के स्थान पर यह आदिष्ट किया जाये :

"34. *Rates of Estate Duty on Property including agricultural land.*—(1) The rates of estate duty shall be as mentioned in the Second Schedule.

Provided that no such duty shall be levied upon the property to the extent to which the principal value of the estate does not exceed rupees fifty thousand.

Provided further that where the property consists of an interest in the joint family property of a Hindu family governed by the Mitakshara, Marumakkattayam or Aliyasantana law, duty shall be payable on the principal value of the estate calculated on the basis as

[श्री बर्मन]

if the Dayabhag law of succession applied to the family at the time of death.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) and the Second Schedule where any property passing on the death of any person consists wholly or in part of agricultural land and the principal value of the estate does not exceed rupees two lakhs, there shall be allowed by way of rebate--

(a) in the case of an estate which consists wholly of agricultural land, a sum representing one fourth of the estate duty payable ; and

(b) in the case of an estate which consists in part only of agricultural land, a sum representing one fourth of the estate duty payable on that part of that estate which consists of agricultural land, the duty on such part being a sum which bears to the total amount of estate duty the same proportion as the value of the agricultural land bears to the value of the estate."

[" ३४. **सम्पति पर, जिस में कृषि भूमि भी सम्मिलित है, सम्पदा शुल्क की दरें—**

(१) सम्पदा शुल्क की दरें द्वितीय अनुसूची में वर्णित होंगी ।

परन्तु कोई ऐसा शुल्क सम्पत्ति पर उस सीमा तक नहीं लगाया जायेगा जहां तक कि सम्पदा का मुख्य मूल्य पचास हजार रुपये से अधिक नहीं हैं ।

परन्तु यह और भी कि जहां सम्पत्ति मिताक्षरा, मयूरमक्कट्टयम या अलीसंतान विधि के अंतर्गत आने वाली संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति है, उस पर शुल्क इस आधार पर आगणित किया जायेगा मानो कि मृत्यु के समय परिवार दायभाग उत्तराधिकार नियम के अंतर्गत आता है ।

(२) उप-धारा (१) तथा द्वितीय अनुसूची में किसी भी बात के बावजूद भी जहां कि किसी व्यक्ति की मृत्यु पर मिलने वाली सम्पत्ति, सर्वथा अथवा आंशिक रूप में, कृषि-भूमि की है तथा सम्पदा का मुख्य मूल्य दो लाख रुपये से अनधिक है, वहां छूट के रूप में यह अनुमति दी जायेगी :

(क) पूर्णतया कृषि-भूमि सम्पदा होने पर, देय सम्पदा शुल्क का चौथाई भाग; और

(ख) केवल आंशिक रूप में कृषि भूमि सम्पदा होने पर उतनी राशि जो कि सम्पदा के कृषि-भूमि भाग पर देय सम्पदा शुल्क का एक चौथाई है और इस राशि का सम्पदा शुल्क की कुल राशि से वही अनुपात होगा जितना कि कृषि-भूमि के मूल्य का सम्पदा के मूल्य से है ।"]

वित मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २० में,

पंक्ति ४८ से ५० के स्थान पर यह आदिष्ट किया जाय :

34. Rates of estate duty on property including agricultural land.— (1) the rates of estate duty shall be as mentioned in the Second Schedule."

["३४. **सम्पत्ति पर जिसमें कृषि भूमि भी सम्मिलित है, सम्पदा शुल्क की दरें**— (१) सम्पदा शुल्क की दरें द्वितीय अनुसूची में वर्णित दरों के अनुसार होंगी।"]

श्री कृष्ण चन्द्र (ज़िला मथुरा—पश्चिमी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २०, लाइन ४९ में—

"duty" ["शुल्क"] के पश्चात् यह आदिष्ट किया जाय :

"shall vary with the amount of property left and also with the remoteness of relationship with the deceased and they"

["छोड़ी हुई सम्पत्ति के अनुसार तथा मृत-व्यक्ति की रिश्तेदारी के अनुसार भिन्न भिन्न होगी और वह"]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री टेक चन्द। अनुपस्थित हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ २१ में,

१ से ७ लाइनों के स्थान पर यह आदिष्ट किया जाय :

"Provided that no such duty shall be levied in case where the estate left by the deceased—

(a) includes a dwelling house provided that other chargeable property left by the deceased in addition to the house do not exceed in value the sum of rupees fifteen thousand;

(b) consists of an interest in the joint family property of a Hindu family governed by Mitakshara, Marumkkattayam or Aliyasantana law provided that value thereof does not exceed rupees thirty thousand;

(c) consists of property of any other kind provided that its value does not exceed rupees fifty thousand."

["परन्तु ऐसी दशा में कोई "शुल्क नहीं लगाया जायेगा जहां कि मृतव्यक्ति द्वारा छोड़ी हुई सम्पदा—

(क) में एक रहने का मकान सम्मिलित है परन्तु मकान के अतिरिक्त छोड़ी हुई अन्य सम्पदा का मूल्य पंद्रह हज़ार रूपये से अधिक नहीं है ;

(ख) मिताक्षरा, मरूमक्कट्टयम या आलीसंतान विधि के अन्तर्गत आने वाले एक संयुक्त हिन्दु परिवार का भाग है, परन्तु जिसका मूल्य तीस हज़ार रुपये से अधिक नहीं है ;

(ग) किसी अन्य प्रकार की सम्पत्ति है परन्तु जिसका मूल्य पचास हज़ार रुपये से अधिक नहीं है।"]

श्री यू० एस० दुबे (ज़िला बस्ति—उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २१ में,

[श्री यू० एस० दुबे]

लाइन ५ के पश्चात " "rupees fifty thousand [" पचास हज़ार रुपये "] के स्थान पर "rupees thirty thousand" [" तीस हज़ार रुपये "] आदिष्ट किया जाये ।

श्री सी० आर० इय्युनी (त्रिचूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २१ में,

लाइन ५ के पश्चात् यह आदिष्ट किया जाये :

"(aa) Property of any other kind if belonging to the father absolutely to the extent to which the principal value of the estate does not exceed the sum equivalent to the sum obtained by multiplying seventy five thousand rupees by the number of heirs who succeed him as per will, if any, or on intestacy if there is no will specifying the heirs."

[" (कक) किसी भी अन्य प्रकार की सम्पत्ति, यदि वह पूरी तरह पिता की है, उसी सीमा तक जहां तक कि सम्पदा का मुख्य मूल्य उस राशि से अधिक नहीं है जो वसीयती, और यदि वसीयत न की गई हो तो बिना वसीयती, उत्तराधिकारियों की संख्या को पचहत्तर हज़ार रुपये से गुणा करने पर प्राप्त होता है ।"]

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २१ पर लाइन ७ में—

"rupees seventy five "thousand ["पचहत्तर हज़ार "] के स्थान पर "rupees one lakh and fifty thousand" ["एक लाख पचास हज़ार "] आदिष्ट किया जाये ।

श्री नम्बियार (मयूरम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २१ पर लाइन ७ में—

"seventy five thousand"["पचहत्तर हज़ार"] के स्थान पर "fifty thousand" ["पचास हज़ार"] आदिष्ट किया जाये ।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २१ पर , लाइन सात में,

"rupees seventy five thousand" ["पचहत्तर हज़ार रुपये"] के स्थान पर "rupees one lakh" [" एक लाख रुपये"] आदिष्ट किया जाये ।

श्री एस० सी० सिंघल (ज़िला अलीगढ़): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २१ में, लाइन ७ के पश्चात् यह जोड़ दिया जाये :

"Provided further that no successor shall have the right to inherit property of the value of more than five lakhs and the excess if any left will be charged as Super Estate Duty."

[" परन्तु यह और भी किसी उत्तराधिकारी को पांच लाख से अधिक की सम्पत्ति उत्तराधिकार में पाने का अधिकार नहीं होगा और छोड़ी हुई अतिरेक सम्पत्ति पर अधि सम्पदा शुल्क लगाया जायेगा "]

श्री वी० बी० गांधी (बम्बई नगर—उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २१ में

लाइन ७ के पश्चात् यह जोड़ दिया जाये :

"(1A) The rates of estate duty may be increased by a surcharge for purposes of the Union according to such scales as may be fixed by an Act of Parliament"

["संघ के लिये सम्पदा शुल्क की दरें एक अधिकर द्वारा उन सीमाओं तक बढ़ा दी जायें जो कि संसद् एक अधिनियम द्वारा निर्धारित करे"]

श्री शोभा राम (अलवर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २१ में

लाइन ८ से २६ के स्थान पर यह आदिष्ट किया जाय :

"(2) Where an estate passing on the death of a person consists partly of property of the nature described in clause (a) of the proviso to sub-section (1) and partly of the nature described in clause (b) of the said proviso, no duty shall be levied upon—

(i) the amount bearing the same proportion to the exemption limit prescribed under clause (a) of the proviso to sub-section (1) as the property of the nature described in clause (a) of the said proviso bears to the value of the estate, plus

(ii) the amount bearing the same proportion to the exemption limit prescribed under clause (b) of the proviso to sub-section (1) as the property of the nature described in clause (b) of the said proviso bears to the value of the estate."

["(२) जब कि किसी व्यक्ति की मत्यु पर उसकी सम्पदा आंशिक रूप में ऐसी हो जैसा कि उपधारा (१) के परन्तुक के खंड (क) में वर्णित है और आंशिक रूप से ऐसी हो जैसा कि उक्त परन्तुक के खंड (ख) में वर्णित है, तो निम्नलिखित पर कोई शुल्क नहीं लगाया जायेगा :

(१) वह राशि जिस का उपधारा (१) के परन्तुक के खंड (क) के अंतर्गत निर्धारित छूट की सीमा से वही अनुपात है जितना कि उक्त परन्तुक के खंड (क) में वर्णित प्रकार की सम्पत्ति का सम्पदा के मूल्य से है, तथा

(२) वह राशि जिसका कि उपाधारा (१) के परन्तुक के खंड (ख) के अन्तर्गत निर्धारित छूट की सीमा से वही अनुपात है जितना कि उक्त परन्तुक के खंड (ख) में वर्णित प्रकार की सम्पत्ति का सम्पदा के मूल्य से है।"]

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २१ में

लाइन १६ के पश्चात् यह आदिष्ट किया जाये :

[श्री सी० डी० देशमुख]

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) and the Second Schedule, where any property passing on the death of any person consists wholly or in part of agricultural land and the principal value of the estate does not exceed rupees two lakhs, there shall be allowed by way of rebate—

(a) in the case of an estate which consists wholly of agricultural land, a sum representing one-fourth of the estate duty payable; and

(b) in the case of an estate which consists in part only of agricultural land, a sum representing one-fourth of the estate duty payable on that part of the estate which consists of agricultural land, the duty on such part being a sum which bears to the total amount of the estate duty the same proportion as the value of the agricultural land bears to the value of the estate."

["(३) उप-धारा (१) तथा द्वितीय अनुसूची में कोई भी बात होते हुए, जहां कि किसी व्यक्ति की मृत्यु पर मिलने वाली सम्पत्ति पूर्ण या आंशिक रूप से कृषि भूमि है तथा सम्पदा का मुख्य मूल्य एक लाख रुपये से अधिक नहीं है, वहां छट के रूप में वह अनुमति दी जायेगी —

(क) ऐसी सम्पदा के विषय में जो पूर्ण रूप से कृषि भूमि की हो, देय सम्पदा शुल्क की एक-चौथाई राशि; और

(ख) ऐसी सम्पदा के विषय में जो केवल आंशिक रूप से कृषि भूमि की हो, तो उसके कृषि भूमि भाग पर देय सम्पदा शुल्क का एक-चौथाई भाग, और इस राशि का सम्पदा शुल्क की कुल राशि से वही अनुपात होगा जितना कि कृषि भूमि के मूल्य का सम्पदा के मूल्य से है।"]

श्री देशमुख के उपर्युक्त संशोधन पर श्री तुलसीदास, श्री चंडक, श्रीमती जयश्री, श्री बी० पी० सिंह, श्री एस० वी० रथनास्वामी, श्री झुनझुनवाला तथा श्री मूलचन्द दुबे ने अपने अपने संशोधन प्रस्तुत किये।

श्री दामोदर मेनन (कोजिकोडे) : क्या मैं जान सकता हूं कि श्री सी० डी० देशमुख द्वारा प्रस्तावित अनुसूची पर संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं? क्या उन पर भी अभी विचार होगा?

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक तथा अनुसूची दोनों पर एक साथ विचार होगा।

कुछ माननीय सदस्य : अनुसूची के संशोधन कब लिये जायेंगे?

उपध्यक्ष महोदय : वे भी अभी लिये जायेंगे।

श्री के० पी० गौंडर (इरोड) : एक औचित्य प्रश्न पर। संविधान के अनुच्छेद २७४ के अन्तर्गत . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों ने अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप किया है। पहले मैं खंड ३४ के संशोधनों को लूंगा। औचित्य प्रश्न पर बाद में आऊंगा।

श्री यू० एस० दुबे श्री एच० एस० आग्रवाल तथा श्री टेक चन्द ने खंड ३४ के अपने संशोधन प्रस्तुत किये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब अनुसूची के संशोधन ।

श्री के० पी० गौंडर : संविधान के अनुच्छेद २७४ के अन्तर्गत "कोई विधेयक पर संशोधन... राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद् के किसी सदन में न तो पुरः स्थापित और न प्रस्तावित किया जायेगा" ।

उपाध्यक्ष महोदय : अनुच्छेद २७४ उस करारोपण से सम्बन्धित है जिसमें राज्यों का हित सम्बद्ध है ।

श्री के० पी० गौंडर: "....राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद् के किसी सदन में न तो पुरः स्थापित और न प्रस्तावित किया जाएगा ।"

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त कर ली गई है अथवा नहीं?

श्री के० पी० गौंडर : यदि राज्यों का हित सम्बद्ध है तो आप राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कर नहीं लगा सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय : "राज्यों का हित सम्बद्ध है" का अर्थ यह है कि उस कर से प्राप्त राशि का कुछ भाग राज्यों को मिलेगा । इसलिये माननीय सदस्य का कहना है कि इन संशोधनों में राष्ट्रपति की पूर्व-स्वीकृति सम्मिलित है । किन्तु माननीय वित्त मंत्री पहले ही अनुमति प्राप्त कर चुके हैं।

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : हमने राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त कर ली है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए अनुसूची के सरकारी संशोधनों के लिए समुचित स्वीकृति ली जा चुकी है ।

वित्त विधेयक के सम्बन्ध में, यदि कर कम करना हो, तो सरकार को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है । यह चीज संविधान के अनुच्छेद ११७ (१) में उपबन्धित है। क्या इसकी भाषा तथा अनुच्छेद २७४ (१) की भाषा में कोई अन्तर है ?

श्री के० पी० गौंडर: जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : अनुच्छेद २७४(१) की भाषा इस प्रकार है : "कोई विधेयक या संशोधन, जो जिस कर या शुल्क में राज्यों का हित सम्बद्ध है, उसको आरोपित या परिवर्तित करता है," माननीय सदस्य का यह कहना है कि इन संशोधनों से कर में परिवर्तन होगा । अनुच्छेद की भाषा मैंने बता दी है । क्या इसका यह मतलब है कि जब ये संशोधन प्रस्तुत किये जा रहे हों तब कर पहिले से ही लगे हों ?

श्री सी० डी० देशमुख : इसका अर्थ केवल वर्तमान विधान में संशोधन करना हो सकता है जिसके अन्तर्गत कर लगता है । हमारा सम्बन्ध तो कर लगाने तथा कर की दर निश्चित करने से है । यदि यह कर में परिवर्तन करने का प्रश्न है तो इससे कर में परिवर्तन करने वाले वर्तमान विधान का निर्देश हो सकता है ।

श्री के० पी० गौंडर : इन संशोधनों में तो कर लगाने का सुझाव है । या तो आप कर लगाइये या उसमें परिवर्तन करिये । किन्तु ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों बात ही न हों ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात ठीक है । माननीय वित्त मंत्री यह समझते हैं कि यह अनुच्छेद केवल कर लगाने के ही सम्बन्ध में है । और कर लगाने के लिये राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। कर में परिवर्त्तन करने का मतलब उस कर में परिवर्त्तन करना है जो कि पहिले से ही किसी अन्य कानून द्वारा लगा हो । वह कानून पहिले ही पारित किया गया हो और वह लागू भी हो तभी कर लग

[उपाध्यक्ष महोदय]

सकता है। अतः कर में परिवर्तन करने का प्रश्न करारोपण पर लागू नहीं होता।

श्री के० पी० गौंडर : प्रत्येक संशोधन में कर लगाने का सुझाव है और इनमें ५०,००० रुपये पर ५ प्रतिशत अथवा ७५,००० रुपये पर ७ १/२ प्रतिशत कर लगाने का सुझाव है।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः यह कर में परिवर्तन करना नहीं है किन्तु कर लगाना है। अभी कर लगाया नहीं गया है और यह तो अभी कर लगाने का प्रश्न ही है।

श्री एस० एस० मोरे : अनुच्छेद २७४ इस मामले के प्रसंगानुकूल है, क्योंकि अनुच्छेद २७४ (८) में "जिस कर या शुल्क में राज्यों का हित सम्बद्ध है" की परिभाषा दी हुई है। इसलिये अनुच्छेद २७४ इस मामले में बिल्कुल प्रसंगानुकल है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात को कौन नहीं मानता।

श्री एस० एस० मोरे : इस विशेष अनुसूची के जो कि सरकार के संशोधन के रूप में प्रस्तुत की गई है, सम्बन्ध में हम देखते हैं कि इसे राष्ट्रपति की भी स्वीकृति मिल गई है। अतः किसी संशोधन पर प्रस्तुत किये गये संशोधन के विषय में, जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है, यह नहीं कहा जा सकता कि वह अनुच्छेद २७४ के अन्तर्गत आता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो यह कह रहे हैं कि अनुसूची में वृद्धि करने वाला सरकार का संशोधन ठीक है क्योंकि उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है।

श्री एस० एस० मोरे : सरकार के संशोधन पर जो दूसरे संशोधन हैं उन्हें अवरोधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकार के संशोधन में ही कर लगाने का सुझाव है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का यह कहना है कि इन सशोधनों में १०,००० रुपये के स्थान पर १५,००० रुपये और ५०,००० रुपये के स्थान पर ७५,००० रुपये आदिष्ट करने का सुझाव है, किन्तु फिर भी इनमें कर लगाये जाने का सुझाव है।

श्री एस० एस० मोरे : सरकार के संशोधन पर जो सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं वे सरकार द्वारा प्रस्तुत करारोपण सम्बन्धी संशोधन में परिवर्तन करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने औचित्य प्रश्न उठाया था और आप उसे जानते हैं। आपका कहना यह है कि कर में परिवर्तन का प्रश्न केवल तब ही उठेगा जबकि कर पहिले से ही लगा हो। जब तक कोई कर न लगा हो तो यदि यह प्रस्ताव सरकार ने ही प्रस्तुत किया हो, उस मामले में यह समझा जायगा कि माननीय सदस्यों ने भी वह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसे किसी ने भी प्रस्तुत किया हो, यह है तो करारोपण का मामला।

श्री एस० एस० मोरे : सरकार ने अपने संशोधन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर ली है। अतः सरकार के संशोधन पर प्रस्तुत किये गये संशोधनों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करन का प्रश्न प्रसंगानुकूल न होगा।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : मैं समझता हूं कि जो औचित्य प्रश्न उठाया गया है उसका इस मामले से सम्बन्ध नहीं है। यहां तो एक ऐसा विधेयक या संशोधन है जिसमें करारोपण करन का सुझाव है और उसके लिये राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है। जिस कर के लगान का इनमें सुझाव दिया

गया है वह केवल प्रस्ताव के रूप में नहीं है बल्कि वह तो पहिले से ही लगा है।

उपाध्यक्ष महोदय : 'आरोपण करता है' शब्द विधेयक तथा संशोधन दोनों पर लग सकते हैं। संशोधन द्वारा भी करारोपण हो सकता है।

श्री राघवाचारी : केवल विधेयक से करारोपण हो सकता है, संशोधन तो केवल कर को परिवर्तित करता ह। मैं समझता हूं कि "जिसमें राज्यों का हित सम्बद्ध है" इन शब्दों से शायद केवल राज्य सूची अर्थात् कृषि सम्बन्धी सम्पत्ति का ही निर्देश हो। शेष के लिये, अनुच्छेद ११७ के परन्तुक का ध्यान रखना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : हम एक को दूसरे से अलग कैसे कर सकते हैं? राज्य सरकारों की भी इन सब बातों में रुचि है। सम्पदा शुल्क की एक पाई भी केन्द्रीय सरकार को नहीं मिलती। यदि केन्द्रीय सरकार इस सम्पद शुल्क को इकट्ठा करती है केवल तभी उसे वसूली का खर्चा मिलता है।

श्री एन० आर० एम० स्वामी (वान्दिवाश) : श्री गौंडर ने जो आपत्ति की है वह इस मामले में इस कारण ठीक नहीं है क्योंकि वित्त मंत्री ने इन दरों को लागू करने के लिये जो स्वीकृति प्राप्त की है उससे अन्य संशोधनों को भी लाभ होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कैसे?

श्री एन० आर० एम० स्वामी : खण्ड ३४ के अन्तर्गत दरों के सम्बन्ध में अनुसूची को प्रस्तुत करने के लिये जो स्वीकृति प्राप्त की गई है उससे अन्य संशोधन प्रस्तुत करने वालों को इसलिये लाभ होगा, क्योंकि उनमें से प्रत्येक राष्ट्रपति से अपने संशोधन के लिये स्वीकृति प्राप्त नहीं कर सकता। केवल एक बार स्वीकृति प्राप्त कर लेने से अन्य संशोधनों को भी फायदा हो जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्यों? क्या ऐसा इसलिये कि राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति कई बार देनी पड़ती है?

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : यह एक गम्भीर मामला है। जिस विधेयक में कर लगाने या उसमें परिवर्तन करने का सुझाव हो और जिसमें राज्यों का भी स्वत्व हो वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना किसी भी सदन में प्रस्तुत नहीं किया जायगा। इस विधेयक के द्वारा सम्पदा शुल्क लगेगा। यह अनुसूची जिसे वित्त मंत्री छूट के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर रहेह, प्रथम भाग में आ जाती है। इस विधेयक से अविभक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति के अतिरिक्त ७५,००० रुपये से अधिक की सम्पत्ति पर शुल्क लगेगा। किन्तु मेरा यह कहना है कि किसी संशोधन से कोई कर नहीं लगेगा और यह बात अनुच्छेद २७४ के अन्तर्गत भी नहीं आयेगी। अन्यथा हमारे सभी संशोधन अवरुद्ध हो जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : इसी कारण सब संशोधन अनियमानुकूल हैं।

श्री एन० सी० चटर्जी : इसका अर्थ तो यह होगा कि सदन शुल्क की दर पर विचार नहीं कर सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी को अपने प्रार्थना पत्र राष्ट्रपति को भेजने पड़ेंगे।

श्री एन० सी० चटर्जी क्या संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत ऐसा करना आवश्यक है? क्या इसका यह अर्थ है कि सदन के समक्ष विचारार्थ किसी विधेयक पर प्रस्तुत किये जाने वाले संशोधन पर भी राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, ऐसा ही है। आप अनुच्छेद ११७ देखिये।

श्री एन० सी० चटर्जी : "अनुच्छेद ११० के खण्ड (१) के (क) से (च) तक के

[श्री एन० सी० चटर्जी]

उपखण्डों में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिये उपबन्ध करने वाला विधेयक या संशोधन....." यह एक धन विधेयक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : "राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना प्रस्तावित नहीं किया जायगा ।" आप इसका परन्तुक भी तो देखिये ।

श्री एन० सी० चटर्जी : "परन्तुक किसी कर के घटाने या उत्पादन के लिये उपबन्ध बनाने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिये इस खण्ड के अधीन किसी सिफारिश की अपेक्षा न होगी ।"

उपाध्यक्ष महोदय । अनुच्छेद २७४ में ऐसा उपबन्ध नहीं है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : यह विधेयक करारोपण करने के लिये है, अतः यह उसके अन्तर्गत आता है । क्या संशोधन द्वारा भी कर लगेगा ? मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, संशोधन से कर लगेगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : आपने जो कहा है उससे यह बात पैदा होती है, अतः मैं इसे स्पष्ट करूंगा । मान लीजिये किसी विधेयक पर एक संशोधन प्रस्तुत किया जाता है जिसका करारोपण से कोई सम्बन्ध न हो । कोई सदस्य यह कह सकता है कि इस संशोधन में करारोपण का सुझाव है । हम एक ऐसे विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं जिस से करारोपण होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे स्पष्ट कर दूं । उदाहरणार्थ, हम वित्त विधेयक को लें । उसमें यदि हम यह कहें कि कार्डों पर कोई कर नहीं लगेगा किन्तु एक खास साइज के लिफाफे का दाम ३ आना होगा । क्या आपका यह कहना है कि यह वित्त विधेयक है अतः यह संशोधन राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना प्रस्तुत किया जा सकता है ?

श्री सी० डी० देशमुख । मैं समझता हूं कि जो मैंने कहा था वह यह नहीं है, क्योंकि इससे तो लिफाफों पर कर लगता है । हम तो सम्पदा पर शुल्क लगाने के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं । यदि हम यह कहें कि १,०००, ५,०००, १०,००० और १५,००० रुपये की सम्पत्ति पर शुल्क लगाया जाय तो हम बहुत दूर चले जायेंगे । इसलिये ये वर्ग इतने बड़े होने चाहियें जिनकी हम अच्छी प्रकार परिभाषा कर सकें । इस विधेयक का यह अभिप्राय किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर शुल्क लगाना है । यह अभिप्राय मुख्य विधेयक से ही सिद्ध होगा और खण्ड ३४ के अन्तर्गत ऐसा करना प्रक्रिया सम्बन्धी बात मानी जाती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे विधेयक का अंग समझेंगे और दूसरे विधेयक को प्रस्तुत करने की अपेक्षा हम इसे ही यहां रख रहे हैं । यह इस विधेयक का अंग बन गया है ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह तो केवल दरों का मामला है । यह मृत्यु के पश्चात् सम्पत्ति हस्तान्तरण होने पर कर लगाने का मामला नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : और तो इसमें कोई कर नहीं है । क्या आपका मतलब यह है कि यदि यह धन विधेयक हो तो इस पर स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं ?

श्री सी० डी० देशमुख । इसीलिये तो मैं कह रहा हूं कि मूल विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : दरों के मामले में भी राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक है ।

श्री सी० डी० देशमुख: यह एक ऐसा मामला है कि जिसका हम इस खण्ड की व्याख्या करके ही निश्चय कर सकते हैं। मेरा कहना यह है कि हम एक ऐसे संशोधन के विषय में बात कर रहे हैं जिसके द्वारा करारोपण करने वाला मूल कानून नहीं किया जायगा। यह तो एक ऐसे विधेयक द्वारा किया जा रहा है जिसे आवश्यक स्वीकृति मिल चुकी है। आपने अनुच्छेद ११७ का निर्देश किया। हमने अनुच्छेद ११७ (३) के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त की है। क्योंकि इसमें कुछ धन सम्बन्धी मामला भी है।

उपाध्यक्ष महोदय: इसे स्वीकृति तो मिल चुकी है किन्तु क्या उसमें यह सम्मिलित है?

श्री सी० डी० देशमुख: इससे हम यह नहीं समझ सकते कि स्वीकृति ११७ (१) के अन्तर्गत प्राप्त की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय: इसमें दो भिन्न बातें हैं। मैं समझता हूं कि इस मामले में स्वीकृति ११७(१) के अन्तर्गत प्राप्त की जानी चाहिये। और यदि स्वीकृति ११७ (३) के अन्तर्गत प्राप्त की गई है तो मैं इस बात पर विचार करूंगा कि यह संशोधन नियमानुकूल है या नहीं।

श्री सी० डी० देशमुख: हमने तो इस संशोधन के लिये दोनों अनुच्छेदों के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त की थी।

उपाध्यक्ष महोदय: इसीलिये आपका संशोधन नियमानुकूल है। मुख्य खण्ड ३४ के अन्तर्गत कर लगाये जाने का विचार है और इस अनुसूची में केवल दरों की बात है। तो क्या अनुसूची के लिये स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है?

श्री एस० एस० मोरे: कर तो खण्ड ५ के अन्तर्गत लगा ही दिया गया है और खण्ड ३४ के अन्तर्गत तो दर निर्धारित किये गये हैं और इसमें कर लगाने का सुझाव नहीं है।

श्री सी० डी० देशमुख: जहां तक प्रक्रिया का सम्बन्ध है हमने स्वीकृति प्राप्त कर ली है जो कि पूर्ण रूप से अनुच्छेद ११७ और २७४ के अन्तर्गत आ जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय: इसलिये कोई कठिनाई नहीं है।

श्री सी० डी० देशमुख: मैं अब भी कुछ संशोधनों में दिलचस्पी रखता हूं और इसीलिये मेरा कहना है कि अनुच्छेद २७४ तथा अनुच्छेद ११७ के प्रयोजनार्थ यह समझा जाये कि यह संशोधन कर नहीं लगा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या यह समझ लिया जाये कि माननीय मंत्री ने कर लगाने वाले विधेयक के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त कर ली है और इसलिये उन्हें अब इस बात के लिये सिफारिश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है कि कितना या किस दर से कर लगाया जाये? क्या आप इस तरह एक पैसे से लेकर एक करोड़ रुपये तक का कर लगा सकते हैं? मेरे विचार में कर लगाने तथा कितना कर लगाने—दोनों के ही सम्बन्ध में राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करने की आवश्यकता है।

श्री एस० एस० मोरे: अनुच्छेद में बतलाया गया है कि कर लगाने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करना आवश्यक है। खण्ड ५ का सम्बन्ध कर लगाने से है और उसके सम्बन्ध में राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त कर ली गई है।

उपाध्यक्ष महोदय: इसका यह अर्थ हुआ कि किसी भी तरह कर लगाया जा सकता है। मान लीजिये मंत्री जी ६ प्रतिशत का कर लगाना चाहते हैं। कोई अन्य सदस्य ७ प्रतिशत चाहता है तो उसे राष्ट्रपति की मंजूरी तो लेनी ही पड़ेगी। अनुच्छेद ११७ के

[उपाध्यक्ष महोदय]

परादिक के अनुसार कर की दर बढ़ाने के लिये राष्ट्रपति की मंजूरी लेना आवश्यक है। यद्यपि अनुच्छेद २७४ में इस प्रकार का कोई परादिक नहीं है, फिर भी, कर की दर घटाने के लिये राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता है।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : मेरे विचार में अनुच्छेद ११७ के परादिक की अनुच्छेद २७४ में व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि कोई संशोधन विधेयक में प्रस्तावित कर को हटाता है या कम करता है तो उसके सम्बन्ध में मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक 'परिवर्तन' करने का सम्बन्ध है तो वह तो किसी ऐसे ही कर में किया जा सकता है जो पहले ही से लगा हो। यदि कोई कर ही न होगा तो आप उसमें परिवर्तन कैसे कर देंगे। अतएव, मेरे विचार में यदि कोई संशोधन कर की दर में वृद्धि करता है तो उसके लिये राष्ट्रपति की मंजूरी लेना आवश्यक है। परन्तु जो संशोधन कर को हटाता है या उसकी दर में कमी करता है तो उसके लिये राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक नहीं है। क्योंकि आप कोई नया कर नहीं लगा रहे हैं जिसके लिये मंजूरी की आवश्यकता हो।

श्री सी० डी० देशमुख : मामला अब काफी स्पष्ट हो गया है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि किसी विशेष सीमा तक कर लगाने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त कर ली गई है। निस्सन्देह, इस सम्बन्ध में पहल सरकार ने ही ली थी किन्तु अब वह सदन के सामने है। आप यह नहीं कह सकते हैं कि केवल एक ही संशोधन प्रस्तुत किया जायेगा दूसरा नहीं क्योंकि वे एक से हैं। जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है--माननीय सदस्य न यह बात उठाई थी कि राष्ट्रपति को राज्यों के हितों का संरक्षण करना होता है--राष्ट्रपति ने इस बात पर विचार कर लिया है तथा उन्होंने एक सीमा तक इसे पुरः स्थापित करने की मंजूरी दे दी है।

अब हमें उस संशोधन को लेना चाहिये जिसके द्वारा यह दर रखी जा रही है। दो प्रकार के सदस्य हैं। एक तो वे जो यह कहते हैं कि कर कम दर पर लगा रहना चाहिये तथा इस सम्बन्ध में संशोधन का कोई प्रश्न ही नहीं है तथा दूसरे वे जो यह कहते हैं कि कर की दर बढ़ा दी जाये। यदि अनुच्छेद २७४ लागू भी होता है तो वह केवल उसी संशोधन पर लागू होगा जो करारोपण का स्तर बढ़ाना चाहता है किन्तु जहां तक उन संशोधनों का सम्बन्ध है जो कर को घटाना चाहते हैं तो सरकार ने पहले ही से अनुच्छेद ११७ के परादिक के अन्तर्गत सदन में संशोधन प्रस्तुत कर दिया है या हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह केवल एक निश्चित दर के लिये है। सरकार ने राष्ट्रपति की अनुमति एक विशेष दर सूची के लिये ली है।

श्री सी० डी० देशमुख : वे एक विशेष कर के लिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कर लगाने के लिये न कि विशेष दरों के लिये ?

श्री सी० डी० देशमुख : अनुच्छेद ११७ काफी व्यापक है।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु उसमें एक विशिष्ट प्रावधान है : यदि राज्यों को दिलचस्पी हो।

श्री के० पी० गौंडर : ऐसा प्रतीत होता है कि सदन इस धारणा को लेकर कार्य कर रहा है कि जब कभी भी हमें राज्यों के हितों के बारे में कुछ करना हो तो हमें राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी चाहिये।

श्री एन० सी० चटर्जी : राष्ट्रपति नहीं बल्कि संसद् की। मेरा तो केवल यह निवेदन है कि जब कोई कर पहले से लगा ही नहीं हुआ है तो उसमें हेर फेर करने का प्रश्न कहां उठता है। अतएव मेरी राय में इस खण्ड में कोई ऐसी बात नहीं है जो सदन से किसी विषय या संशोधन के गुणों के अनुसार उस पर विचार करने का अधिकार छीन लेती है।

श्री केलप्पन : संसद् सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न संस्था है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कब उसकी प्रभुता को कम करना चाहता हूं, किन्तु जब तक संघ संविधान रहता है तब तक राज्यों को हस्तान्तरित किये गये विषयों के सम्बन्ध में प्रभुता सीमित ही रहेगी।

श्री केलप्पन (पोन्नानी) : श्रीमान्, जो उपबन्ध संसद् की प्रभुता को कम करना चाहे उसकी व्याख्या कड़ाई से की जानी चाहिये। मैं तो यह कहता हूं कि जब एक बार राष्ट्रपति ने सदन में किसी विधेयक को पुर:स्थापित करने की मंजूरी दे दी है तो संसद् इस बात की क्षमता रखती है कि वह जिस प्रकार का चाहे और जितना चाहे कर लगा सकती है। यदि धन-विधेयक एक बार सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति उसे फिर से विचार करने के लिये नहीं भेज सकते हैं जैसा कि वह अन्य विधेयकों के सम्बन्ध में कर सकते हैं अतएव, मेरी समझ में नहीं आता है कि संसद् के अधिकारों को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है।

श्री रघुरामय्या (तेनालि) : इस समय दो प्रकार के संशोधन हैं एक तो सरकारी तथा दूसरे सदस्यों के। जो कुछ सरकारी संशोधनों के सम्बन्ध में लागू होगा वही अन्य सदस्यों के संशोधनों के सम्बन्ध में भी। खण्ड ५ तथा ३४ के साथ पढ़े जाने पर यह समझा जा सकता है कि यह संशोधन कर लगाते हैं जैसा कि संविधान के अनुच्छेद २७४ स अभिप्रेत है।

श्री सी० डी० देशमुख : यदि आप यह समझ भी लें कि अन्य संशोधन पास हो जाते हैं तो भी मैं दर घटाने वाले अपने संशोधन के सम्बन्ध में एक संशोधन रख सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति की मंजूरी लेना आवश्यक है।

श्री गाडगील (पूना मध्य) : क्या सदन को किसी विधेयक में परिवर्तन करने या उसे अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है ? यदि हां, तो राष्ट्रपति की मंजूरी लेना केवल प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यवाही है और कुछ नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात पर विचार कर रहा हूं कि यह केवल प्रक्रिया सम्बन्धी है अथवा नहीं। मेरे विचार में हमें पहले मंजूरी प्राप्त कर लेनी चाहिये। परन्तु कुछ ऐसे भी उपबन्ध हैं जिनके अनुसार अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम समझा जायेगा।

श्री पी० आर० नरसिंहन (कृष्णगिरी) : इस से विवाद के सूक्ष्मातिसूक्ष्म भाग पर प्रभाव पड़ता है। एक सदस्य कभी भी कुछ संशोधन रखने की बात सोच सकता है। इसी से संसदीय कार्यवाही की वैधता अनुच्छेद १२२ (१) के अधीन संरक्षित की गई है। हमें संशोधनों की नियमितता सम्बंधी कोई रुकावट बिना माने ही आगे बढ़ना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : तो हम कुछ भी अनियमितता कर सकते हैं। अच्छा यदि अनियमितता है तो उसे बना रहने दें। हम साधारणत: दरों की चर्चा नहीं कर रहे है।

श्री दाभी (कैरा उत्तर) : संविधि की व्याख्या में यह नियम माना जाता है कि विधान मंडल बिना कारण कुछ नहीं करता। अनुच्छेद ११७(१) के परन्तुक के

[श्री दाभी]

अनुसार संशोधन रखने के लिये राष्ट्रपति की पूर्व-सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, परन्तु अनुच्छेद २७४ में ऐसा परन्तुक न होने से स्पष्ट ही इस सिफारिश की आवश्यकता है ।

श्री आर० डी० मिश्र (जिला बुलन्द शहर) : श्रीमान, मेरा एक दूसरा औचित्य प्रश्न है कि चूंकि यह विधेयक एक नया कर आरोपित करता है, इस लिए क्या अब तक प्रस्तुत किए गए या अब प्रस्तुत होने वाले संशोधन वैध हैं या अवैध ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन विधि मंत्री के परामर्श से लाभ उठाए ।

विधि मंत्री (श्री बिस्वास) : दुर्भाग्य से यहां उपस्थित न होने के कारण यह प्रश्न उठने के बाद हुई चर्चा का मुझे कुछ ज्ञान नहीं है ।

श्री राघवाचारी : अनुच्छेद २६५ कहता है कि विधि के अधिकार के बिना कोई कर न लगाया जाएगा न इकट्ठा किया जाएगा । अतः सदन को पूरी बात पर विचार करना होगा ।

पंडित एस० सी० मिश्र (मुंगेर-उत्तर पूर्व): तीन बात हैं । पहले तो प्रायः सभी मानते हैं कि यह विधेयक अनियमित नहीं है । दूसरे कम से कम वित्त मंत्री और पंडित ठाकुर दास भार्गव मान चुके हैं कि दर कम करने वाले संशोधन नियमित होंगे, पर दर बढ़ाने वाले नहीं । परन्तु मेरा निवेदन है कि बात उलटी ही है । कुछ राज्यों में दूसरे दलों की सरकार होती है और केन्द्र में किसी और दल की तो उस स्थिति में राज्यों के स्वार्थों का संरक्षण करने के लिए राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है । उस दशा में संघर्ष चलते और इसी कारण राज्यों के राजस्वों को घटाने-बढ़ाने वाले प्रस्तावों के लिए यह सुरक्षा रखी गई है । अतः आज दर बढ़ाने वाले संशोधन ही नियमित ठहर सकेंगे और घटाने वाले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रस्तुत नहीं किए जा सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह गम्भीर विषय है । आज दोपहर बाद विधि-मंत्री की बात सुनने के बाद ही मैं विनिर्णय दूंगा । तब तक खंड ३४ के सभी प्रस्तुत संशोधनों पर चर्चा चलती रहेगी ।

श्री एस० एस० मोरे : मुझे यह औचित्य प्रश्न रखना है कि प्रक्रिया नियम ११० के अनुसार अनुसूचियों पर विचार संबंधित खंडों पर विचार हो जाने के बाद ही हो सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड अनुसूचियों का निर्देश करते हैं । इसी कारण इन अनुसूचियों को मानते हुए हम उन पर विचार करते हैं । आंध्र विधेयक की सप्तम अनुसूची को भी हमने पूरे विधेयक को एक इकाई मानते हुए ले लिया था ।

नियम ११० देखने पर पता चलता है कि खंड की भाषा के अतिरिक्त खंड ३४ और उस के संशोधनों से संबंधित कार्यवाही के आड़े और कुछ नहीं आता ।

श्री एस० एस० **मोरे** : श्री अग्रवाल का संशोधन (संख्या ६५८) दरों को बदलने के कारण अनुसूची को लेता है । इसी प्रकार श्री दामोदर मेनन का संशोधन (संख्या ६५९), श्री गुरूपादस्वामी का संशोधन (संख्या ६६०) . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : खंड ३४ को संशोधित किए बिना अनुसूचियों को संशोधित नहीं किया जा सकता । अभिप्राय यही था कि सदन जान जाता कि सरकार क्या चाहती है । मैं नियम निलंबित नहीं करता, अनुसूचियां

खडों के बाद ली जाएंगी। इस बीच विधि मंत्री और संभव हुआ तो महान्यायवादी से परामर्श करके मैं इस औचित्य प्रश्न पर निर्णय देना चाहता हूं, क्योंकि यह आगे भी काम आएगा।

अनुच्छेद २५५ भी हमारी सहायता नहीं करता, क्योंकि यद्यपि इस में बाद में पारित और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत विधेयक के विषय में पूर्वानुमोदन को छोड़ा जा सकता है, पर राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिलने पर हमारा श्रम व्यर्थ जाएगा। अतः यह अनुच्छेद न्यायालयों के समक्ष सदन की रक्षा तो करता है, पर नियमों की अवहेलना करने का अधिकार नहीं देता।

अस्तु, अनुसूचियों पर खंडों को निपटाने से पहले विचार नहीं हो सकता। दूसरे औचित्य प्रश्न पर मैं परामर्श करने के बाद निर्णय दूंगा। अब हमें खंड ३४ पर विचार करना चाहिए।

श्री टी० एन० सिंह (ज़िला बनारस पूर्व) : पर अनुसूचियों में पहले से ही संशोधन करने वाले संशोधनों पर विचार नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी संशोधन को अनुमत ठहरा चुका हूं। उठाई गई बातों को ले कर उन की संगतता का निर्णय बाद में होगा। वित्त मंत्री का क्या विचार है ?

श्री सी० डी० देशमुख : आप के भी विनिर्णय के अनुसार अभी मैं दरों वाले संशोधन संख्या ६३७ नहीं रखूंगा और ६३३ और ६३४ को ही लूंगा।

६३३ के संबंध में विशेष कुछ नहीं कहना है। संपदा शुल्क की दरें द्वितीय अनुसूची के अनुसार होंगी। इस की युक्तियुक्तता पर वास्तविक विचार द्वितीय अनुसूची पर विचार करते समय हो सकेगा।

संशोधन ६३४ के अनुसार छोटी सम्पदाओं में शामिल कृषि-संपत्ति को कुछ रियायत मिलेगी, क्योंकि इस के अनुसार उस पर कुछ सीमा तक कम दर से शुल्क ली जाएगी। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि भूमि वाली संपत्तियों के ऊपर कुछ रियायत देने के लिए जोर दिया जाता रहा है और संयुक्त राजतंत्र की विधि का उद्धरण भी दिया गया है, जहां कृषि-भूमि पर शुल्क की दर सामान्य दर का ५५ प्रति शत है।

अब विमुक्ति-सीमाओं का कुछ निर्देश कर दूं। जैसा मैं ने कल बताया था, ये वैसे ही अधिक हैं और इस शुल्क के लगाए जाने के फलस्वरूप ही भूमि छोटे टुकड़ों में न बट पाएगी। फिर भी मेरा विचार है कि २ लाख रूपए से अनधिक मूल-संपत्ति वाली छोटी संपदाओं पर कुछ रियायत देना उचित है। यह संशोधन ऐसी सपदाओं को २५ प्रति शत की रियायत देता है।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : संशोधन (संख्या ५८७) के द्वारा मैं चाहता हूं कि पृष्ट २१, पंक्ति ७ में ७५००० के स्थान पर १ लाख रूपये होने चाहिए। श्री गाडगिल ने उस दिन कहा था कि उस राशि को बढ़ाने की बात चल रही है, यदि मंत्री जी यह चाहते हैं, तो मुझे विशेष न कहना पड़ेगा।

मिताक्षरा परिवारों के लिए ५०,००० तथा अन्य परिवारों के लिए ७५,००० रुपये की विमक्ति रखी गई है, पर इस विभेद का आधार मेरी समझ में नहीं आता। यदि मितक्षरा और दायभाग दोनों ही के एक-एक परिवार में एक-एक ही पुत्र हो, तो विशेष अन्तर नहीं पड़ता। अतः दायभाग परिवार को तभी रियायत मिलेगी, जब उस के लिए यह राशि ७५ हजार से बढ़ाकर १ लाख रूपये कर दी जाएगी। यदि वित्त मंत्री सभी के लिए यह १ लाख कर दें तो मुझे आपत्ति नहीं, पर १ लाख बिना किए दायभाग परिवारों को कोई रियायत प्राप्त नहीं होती।

[श्री आर० के० चौधरी]

माननीय वित्त मंत्री ने विधवाओं और निवास-गृह संबंधी रियायतें नहीं मानीं, आशा है कि वह कम से कम इसे तो मान ही लेंगे। हमारी ओर एक ही अहाते में भीतर जाकर पुत्रों, विधवा बहिनों आदि के लिए पृथक् निवास गृह होते हैं। इस विमुक्ति को अक्षरशः लागू करने पर केवल मृत व्यक्ति वाले ही गृह को विमुक्ति मिलेगी, दूसरों को नहीं। अतः उस विषय में मंत्री जी भले ही कठोर रहे हों, आशा है इस बात को तो वह मान ही लेंगे।

श्री ए० एम० टामस (ऐरनाकुलम्): खंड ७ की चर्चा के समय मैं ने कहा था कि कराधान में समानता रखने के लिए यह सीमा कम से कम एक लाख रूपए करनी पड़ेगी। मैं श्री चौधरी का समर्थन करता हूं। अधिकांश संपत्तियां स्वयं उपार्जित होने के कारण खंड ३४ (१) (ख) के अंतर्गत आएगी और यह राशि बढ़ानी चाहिए। मध्य वित्त समाज ही राज्य का मेरू दंड है। हमें निम्न वर्गों को मध्य वित्त वर्ग तक पहुंचाना चाहिए न कि मध्य वित्त वालों को नीचे गिराना। माननीय मंत्री ने खंडशः चर्चा में कई उदारताएं दिखाई हैं, आशा है, वह इसे भी मान लेंगे। इस के मान लिए जाने पर मिताक्षरा को न मानने वाले अधिकांश लोगों की शिकायतें दूर हो जाएंगी।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन]

मैं दरों को उपाध्यक्ष महोदय के विनिर्णय की दृष्टि में न लूंगा, पर यदि हम मान लें कि अनुसूचि वाली दरें ही पारित हो जाएंगी, तो मैं इतना अवश्य कहूंगा कि इससे निम्न आय वाले वर्ग बुरी तरह प्रभावित होंगे। उन दरों को देखते हुए भी यही सिद्ध होता है कि विमुक्ति-सीमा कुछ बढ़नी चाहिए। आशा है, वित्त मंत्री श्री आर० के० चौधरी के इस युक्तियुक्त संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री एन० सी० चटर्जी: खण्ड ३४ पर जो वार्ता हो रही है उस से कोई लाभ न होगा जब तक कि हम अनुसूची सम्बन्धी संशोधनों पर विचार न करलेंगे और अनुसूची को हम उस समय तक संशोधित नहीं कर सकते जब तक कि नियम ११० निलम्बित न कर दिया जाय।

अस्तु मेरा निवेदन है कि नियम ११० का निलम्बन कर दिया जाय जिस से खण्ड ३४ के साथ ही साथ अनुसूची पर भी विचार किया जा सके और सारा कार्य एक साथ समाप्त हो जावे।

सभापति महोदय: उपाध्यक्ष महोदय ने नियम ११० के सम्बन्ध में, जो सुझाव दिया गया था, उस पर विचार किया और स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वह इस नियम का निलम्बन करने को तय्यार नहीं हैं।

श्री एन० सी० चटर्जी: आप को अध्यक्ष के सारे अधिकार प्राप्त हैं।

सभापति महोदय: अभी अभी उपाध्यक्ष महोदय ने, जब वे अध्यक्ष-पद पर आसीन थे, स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वे इस नियम का निलम्बन करने को तय्यार नहीं हैं। उन के जाते ही मैं इस प्रकार की सम्मति नहीं दे सकता हूं।

श्री एन० सी० चटर्जी: मेरा संशोधन है कि पृष्ठ २१ पर पंक्ति ५ में 'पचास हज़ार' रुपये के स्थान पर 'एक लाख रुपये' आदिष्ट कर दिया जाय तथा पृष्ठ २१ पर पंक्ति ७ में 'पच्छत्तर हज़ार रुपये' के स्थान पर, 'एक लाख पचास हज़ार रुपये' आदिष्ट कर दिया जाय। मेरा अभिप्राय यह है कि बड़े बड़े नगरों में भूमि का मूल्य

कृत्रिम रुप से बढ़ गया है। इस लिये मुसलमानों, ईसाइयों, पार्सियों तथा हिन्दुओं की पृथक सम्पत्ति के लिये जो ७५,००० रुपये की विमुक्ति सीमा रक्खी गई है वह बहुत कम है ।

आप जो विधि बना रहे हैं वह आने वाली पीढ़ियों के लिये है। वास्तव में ७५,००० रुपये की इस मुक्ति सीमा से कोई भी मकान नहीं बच पायेगा । यदि एक साधारण, ग़रीब, मध्यवर्गीय परिवार के पास कलकत्ता, बम्बई या मदरास में एक मकान हो, जिस का मूल्य बीस वर्ष पूर्व ३०,००० या ४०,००० रुपये लगाया जाता था तो आज उसी का मूल्य एक लाख रुपये लगाया जायेगा। इसलिये यदि कोई अपने मकान में रहता हो और उसके पास पोस्ट आफ़िस के सेविंग्ज़ बैंक या इन्श्योरेंस कम्पनी में भी कुछ रुपया हो तो उसे एक लाख से भी अधिक पर सम्पदा शुल्क देना पड़ेगा ।

अमरीका में १९३२ के अधिनियम के अनुसार सम्पदा शुल्क की दर एक प्रतिशत थी और यह दर, मुक्ति सीमा से ऊपर १०,००० डालर की धनराशि पर लागू होती थी । अधिकतम दर एक करोड़ डालर पर ४५ प्रतिशत थी । परन्तु इस अधिनियम के आधीन अमरीका में मुक्ति सीमा पचास हज़ार डालर थी । मैं ने हिसाब लगाया है अमरीका में ६०,००० डालर की सम्पत्ति पर १०० डालर का शुल्क लगाया जाता था । इस का अर्थ यह हुआ कि ढाई लाख रुपये की सम्पत्ति पर केवल चार सौ रुपये का शुल्क देना पड़ता था । यदि आप इतना नहीं कर सकते हैं तो विमुक्ति सीमा डेढ़ लाख या एक लाख रुपये तो अवश्य कर दी जाये ।

हमें वे सुविधायें प्राप्त नहीं हैं जो पश्चिमी देशों में लोगों को प्राप्त हैं, जैसे, बुढ़ापे की पेन्शन, बेरोज़गारी का बीमा, बीमारी का बीमा, तथा विधवा हो जाने का बीमा । अतः मध्यमवर्गीय व्यक्तियों के लिये इस देश में यह अत्यन्त आवश्यक है कि उन के आश्रितों के लिये कुछ सम्पत्ति का सहारा हो जो मुसीबत पड़ने पर उन के काम आवे । इस अधिनियम में नियंत्रक को, मूल्यांकन करने के बहुत बड़े अधिकार दिये गये हैं। वह एक लाख या डेढ़ लाख मूल्यांकन कर सकता है । मध्यवर्गीय परिवारों के लिये उसका विरोध करना कठिन होगा क्योंकि वे मुकदमे बाज़ी का भार नहीं उठा सकते हैं । अतः इस शुल्क की अदायगी के लिये उन के पास मकान बेचने के अतिरिक्त और कोई साधन न होगा । कितने ही मध्यवर्गीय परिवार नष्ट हो जायेंगे । अस्तु मेरा निवेदन है कि विमुक्ति सीमा कम से कम एक लाख रुपये होनी चाहिये । यदि कोई हिन्दू, मुसलमान या ईसाई जिस के पास पांच लाख रुपये की सम्पत्ति है मर जाता है और उस के तीन लड़के हैं तो उस को ५२,५०० रुपये का शुल्क देना पड़ेगा । यदि वही परिवार मिताक्षरा के अधीन तथा संयुक्त परिवार हो तो यह शुल्क केवल ४,३७५ रुपये होगा । और यदि उस की सम्पत्ति केवल २ लाख रुपये की हो तो ५०,००० रुपये की विमुक्ति सीमा के होते हुए भी उसे एक पाई भी शुल्क न देना पड़ेगा । परन्तु यदि वह मुसलमान या ईसाई हो या मिताक्षरा हिन्दू हो जिस की सम्पत्ति पृथक सम्पत्ति हो या दाय भाग हिन्दू हो तो उस को इस सम्पदा पर १०,००० रुपये का शुल्क देना पड़ेगा । इस विषमता को दूर करने का भी उपाय यही है कि विमुक्ति सीमा को बढ़ा दिया जाय या स्लेब घटा दिया जाय ।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य) : सभापति जी, मैं अपने संशोधन की वास्तविकता पर बोलने के पूर्व यह कह देना चाहता हूं कि मेरी यह इच्छा नहीं है , और मेरे

[श्री झुनझुनवाला]

संशोधन का यह अर्थ नहीं है कि मैं यह चाहूं कि एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दी जाये और न मुझे दायभाग वालों से कोई डाह ही है कि अगर उन की एक लाख की लिमिट कर दी जाय मेरे मिताक्षर के लोगों की लिमिट भी एक लाख की कर दी जाय । मेरा यह कहना है कि जो लोग मिताक्षर से गवर्न होते हैं उन के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है और अभी अभी जो डैथ ड्यूटी लगाई जा रही है उस में उनके साथ भेद होता है । वे लोग अब तक बहुत ही असुविधा में रहे हैं । मैं आप को एक उदाहरण देता हूं । मान लीजिये कि कोई एक सज्जन हैं जो कि मिताक्षर से गवर्न होते हैं, उन के दो तीन भाई हैं और चार लड़के है । एक दूसरे सज्जन हैं जो दायभाग से गवर्न होते हैं । उन के तीन चार भाई हैं और दो लड़के हैं । अब आप देखिये कि इस एस्टेट ड्यूटी का क्या असर पड़ेगा । जो सज्जन मिताक्षर को मानते हैं उन की जो प्रापर्टी है उस के ऊपर, उन के जो लड़के हैं और वह जो पैदा करते हैं उस के ऊपर और जो कुछ उनके पिता जपैदा करते हैं उस के ऊपर, सब को मिला कर के जो कुछ पैदा होता है उस के ऊपर आप ड्यूटी लगाते हैं, और उस को एग्ज़ेम्पशन आधा है यानी पचास हज़ार रुपये पर मिलता है और मिताक्षरा वालों के घर में किसी की भी मृत्यु होने पर टैक्स लग जाता है जो दाय भाग में नहीं होता । मैं ने जो ऐमेन्डमेन्ट दिया है कि ७५ हज़ार के ऊपर कर दी जाय, तो वह मैं ने इस लिये दिया था कि सरकार का सुझाव था कि जो कि मिताक्षर से गवर्न नहीं होते हैं उन को ७५ हज़ार दिया जाय । परन्तु अभी मैं नें सुना है कि वह चीज़ एक लाख के ऊपर की जा रही है । ठीक है, यदि सरकार की समझ में यह आये कि एक लाख ठीक है तो ज़रूर आप एक लाख कर दीजिये परन्तु जब दायभाग या मिताक्षर को छोड़ कर आप किसी कानून को मानने वाले हैं उन लोगों को एक लाख का एग्ज़ेम्पशन दिया जाता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि मिताक्षर वालों को क्यों कम दिया जाता है । अभी तक जैसा हमारे भाई टेक चन्द जी ने कहा था और उन्होंने फ़िगर्स भी दिये थे कि शुरू से मिताक्षर फ़ैमिली पर इस तरह से टैक्स लगाया जाता है कि वह सिस्टम, वह जो हमारी चाल थी, वह एक दम से टुकड़े टुकड़े हो कर खत्म, हो गई । ज्वायन्ट फ़ैमिली सिस्टम से सम्मिलित परिवार से हमें बहुत लाभ था, किस प्रकार से लोग सुख से रहते थे और किस तरह से वह साथ काम किया करते थे, अब वह इस इन्कम टैक्स की वजह से, इस में जो तरह तरह के रेट्स कर दिये गये, उस से मिताक्षर फ़ैमिली पर बड़ा भारी बोझा पड़ा और मजबूर हो कर उन को आपस में टुकड़े कर देने पड़े । मान लीजिये एक घर में तीन चार भाई रहते हैं, वह एक साथ व्यापार इत्यादि करते हैं, सब कुछ काम एक साथ करते हैं, सम्मिलित रहते हैं, खाते पीते हैं और उन का प्रेम बना रहता है, परन्तु इस इनकम टैक्स ने ऐसा किया कि वे लोग अब बिल्कुल अलग अलग हो गये । यह तो हमारी उस पुरानी सरकार की नीति थी कि जो भी हमारी पुरानी संस्था हो, पुरानी संस्कृति हो उस का नाश कर दे । इस चाल को चल कर ही उन्होंने अब तक हमारे ऊपर राज्य किया था । परन्तु अब तो हमारी सरकार आ गई है । मैं यह नहीं कहता कि जो आप की इनकम है सो या जो आप की पैदावार है सो घटावें और इस लिये मिताक्षर की एग्ज़ेम्पशन की लिमिट बढ़ावें, या इनकम टैक्स जिस

प्रकार से लगाते हैं उस में सुधार करें, परन्तु मेरा यह कहना है कि इस वजह से जो हमारा ज्वाइंट फ़ैमिली सिस्टम है उस का नाश कर दिया गया है और अब भी जो कुछ हो रहा है वह आप का इनकम टैक्स का जो तरीका है उस की वजह से होता है और उस की वजह से जो स्थिति आज है वह हो गई है। पहले तो यह था कि एक घर में पांच लड़के थे उन में से चार पैदा करते थे और एक घर का काम देखता था और उस को भी उतना ही हक था जितना कि औरों का था, परन्तु उस का मान सम्मान वैसा ही होता था जैसा कि जो पैदा करते थे उन का होता था। अब तक वह बेचारा घर का समूचा काम देखता था और सम्मिलित तरह से रहता था। अब आप के इनकम टैक्स ने यह कर दिया है कि सबों को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। सब लोग एक दम से आज दिक्कत में पड़ गये हैं। अब हमारी सरकार आ गई है, हमारे सभापति जी जो हैं वह इस प्रश्न को पच्चीस वर्षों से इस हाउस में ले रहे हैं। बहुत कहते कहते जो एग्ज़ेम्पशन लिमिट थी वह अब एक इन्डिविजुअल की तो है ४ हज़ार २ सौ और ज्वाइंट फ़ैमिली की हो गई है ८ हज़ार। परन्तु इस से कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ा है। उन के लिये जो असुविधा थी और जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वह उसी प्रकार से है और लोगों को उसी तरह का भय पड़ा हुआ है। आज उन लोगों से अपनी इनकम . . .

श्री गाडगील (पूना मध्य) : कुटुम्ब को ज्वाइंट स्टाक कम्पनी बनाइये।

श्री झुनझुनवाला : हमारे गाडगिल साहब कहते हैं कि ज्वाइंट स्टाक कम्पनी बनाइये और उस में गाडगिल साहब को डाइरेक्टर या मैनेजिंग एजेन्ट कर दिया जाय जिससे कि जो धन है वह समूचा खत्म हो जाय। उन को प्रेम तो है नहीं उस फ़ैमिली से। जो ज्वाइंट फ़ैमिली है उस में पिता है, भाई है, बेटा है। उन में कम से कम प्रेम तो है। गाडगिल साहब का क्या है? उन को मैनेजिंग एजेन्ट रख दिया जाये जिस में सभी कुछ उन्हीं के आराम में खर्च हो जाये। उन के शेअर होल्डर जितने हैं सब को खा जायें। परन्तु मैं अपने वित्त मंत्री साहब से और जो हमारे डिप्टी मिनिस्टर हैं उन से यह कहूंगा कि इस चीज़ को वह अच्छी तरह देखें कि कितना रुपया आज ज्वाइंट फ़ैमिली से आप ने लिया है।

और यह महल आदि जो आप देख रहे हैं उन से इनकम टैक्स ले कर बनाया है और इस ज्वाइंट फ़ैमिली सिस्टम का आप ने नाश किया है। अब भी यदि आप इस चीज़ को सुधार कर काम करें तो लोगों में अभी भी ज्वाइंट फ़ैमिली सिस्टम की तरह से रहने की प्रवृत्ति है और नहीं है तो वह फिर से आ सकती है।

मैं विशेष कुछ कहना नहीं चाहता। जो हमारे लायक सभापति जी हैं जिन्होंने जैसा मैं ने कहा कि पच्चीस वर्ष से यह प्रश्न उठाया है, वह बड़े योग्य हैं उन से ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। जब वह यहां पर आयेंगे और डिप्टी स्पीकर साहब चेअर पर होंगे तो शायद वे भी कुछ कहें। मैं इतनी ही आप से अपील करूंगा कि इस प्रश्न के ऊपर आप ज़रूर विचार करें। मुझे दायभाग से कोई डाह नहीं है। मैं तो इतना ही चाहता हूं कि जितनी लिमिट उन की है वही मिताक्षर की हो जाय। जो सुविधा उन को दी जाती है वही मिताक्षर को भी दी जायें।

श्री सी० डी० पांडे (ज़िला नैनीताल व ज़िला अलमोड़ा—दक्षिण पश्चिम व ज़िला बरेली—उत्तर) : दायभाग और मिताक्षरा के वाद विवाद को ले कर काफ़ी भ्रम फैला

[श्री सी० डी० पांडे]

हुआ है। इस अधिनियम में किसी सम्पत्ति के दायभाग या मिताक्षरा होने से कोई अन्तर नही पड़ता है। अन्तर तो इस बात से पड़ता है कि वह सम्पत्ति संयुक्त परिवार सम्पत्ति है स्वयं अर्जित की हुई सम्पत्ति है। यदि वह सम्पत्ति स्वयं अर्जित की हुई सम्पत्ति है तो ७५,००० रुपये की मुक्ति सीमा उस पर लागू होगी। किसी के पास दोनों प्रकार की सम्पत्ति हो सकती है। डाक्टर प्रोफ़ेसर या वकील या इसी प्रकार के धन्धा करने वाले अपने कौशल से जो धन अर्जित करते हैं वह संयुक्त परिवार की ही आय में नहीं मिलाया जाता है।

स्वयं अर्जित की हुई सम्पत्ति पर उसी मात्रा में शुल्क नहीं आरोपित करना चाहिये जितना उस सम्पत्ति पर जो वंशानुक्रम से, पीढ़ी दर पीढ़ी, लोगों को मिलती जाती है, क्योंकि इस के अर्जन करने में उन्होंने कोई परिश्रम नहीं किया है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : माननीय सदस्य का विचार अशुद्ध है। संयुक्त परिवार सम्पत्ति तो केवल एक केन्द्रस्थल होता है वह सम्पत्ति १० रुपये की हो या १०० रुपये की। संयुक्त परिवार सम्पत्ति होने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरित होती रही हो।

श्री सी० डी० पांडे : कौशल से प्राप्त धन जमा हो जाने पर सम्पत्ति बन जाता है। हो सकता है कि उसके पास संयुक्त परिवार सम्पत्ति भी हो और वह मिताक्षरा के आधीन हो। परन्तु जो कुछ उसने अपने कौशल से कमाया है वह आय-कर के प्रयोजनों के लिये उस की स्वयं अर्जित की गई सम्पत्ति कहलाती है। अतः यह भ्रम सर्वथा निराधार है कि कोई ऐसी छूट दी गई है जो केवल दायभाग वालों के लिये है।

श्री टी० एन० सिंह : पहले जो विधि का रूप था उस में दायभाग या मिताक्षरा का कोई विभेद नहीं किया गया था। यह विभेद प्रवर समिति में किया गया था और उसी के कारण इतना मतभेद पैदा हो गया है। मैं अनुभव करता हूं कि कुछ समय से हम जो भी विधि बनाते हैं उन का लक्ष्य संयुक्त परिवार प्रणाली को छिन्न भिन्न करना है। परन्तु हमारा देश एक निर्धन देश है। ऐसे अनेकों व्यक्ति हैं जिन के लिये संयुक्त परिवार ही एक प्रकार का बीमा है। हम संयुक्त परिवार को ख़त्म कर सकते हैं परन्तु उस से कोई सुधार होने की आशा नहीं करना चाहिये विशेष कर जब बेरोज़गारी बढ़ रही है। इस विभेद के कारण अनेकों संयुक्त परिवार टूट जायेंगे। यदि एक भाई अधिक सम्भापन्न है और अधिक कमाता है तो वह चाहेगा कि उसकी सम्पत्ति प्रथक हो जिससे उसे और अधिक विमुक्ति सीमा का लाभ मिले।

यदि आप देहातों में जायें तो आप को ऐसे संयुक्त परिवार मिलेंगे जिस में बीस बीस सदस्य है उस में कोई पान वाला है कोई दुकानदार है। यदि हर सदस्य सौ डेढ़ सौ रुपया मासिक कमा लेता है तो सब मिला कर ३००० रुपये प्रति मास की आय हो जाती है और उस परिवार की आय पर अधिकर लगने लगता है हालांकि एक सदस्य की व्यक्तिगत आय, जिस के साथ उसकी स्त्री दो बच्चे, और सम्भवतः उसका सगा या चचेरा, ममेरा या मौसेरा भाई भी हो केवल १५० रुपया है फिर भी वह सरकारी ख़ज़ाने में रुपया देता रहा है। जब अधिकर लगाया गया था तो मिताक्षर या दायभाग का कोई प्रश्न नहीं उठाया गया था। इसी प्रकार जब संयुक्त परिवारों को कुछ रियायतें देने का प्रश्न आया तो भी ऐसा कोई विभेद

नहीं किया गया । तब इस अधिनियम के बनाने में ही क्यों ऐसा विभेद किया जा रहा है । मान लीजिये दो परिवार एक मिताक्षरा और एक दायभाग--पास पास रहते हैं । मान लीजिये दायभाग परिवार का पिता चार लड़के छोड़ कर मरता है और उस के पास ६०,००० रुपये की सम्पत्ति है तो कोई भी आय-कर आरोपित न होगा । पर उसी का पड़ोसी जिस के तीन लड़के हैं और जो दुर्भाग्य से मिताक्षरा के आधीन हैं और वह ६०,००० रुपये की सम्पत्ति छोड़ कर मरता है तो उस को आयकर देना पड़ता है । दायभाग प्रणाली में सम्पत्ति का केन्द्रीकरण प्रोत्साहित किया जाता है तथा अच्छा समझा जाता है । मिताक्षरा ' का अर्थ है अपखंडन । वही लोग जो कल सम्पन्न तथा समृद्धशाली थे आज निर्धन हो गये हैं । मेरा परिवार स्वयं लगभग १०० वर्ष पुराना है जिस के पास पन्द्रह बीस गांव थे । आज मेरे परिवार में ६०, ७० सदस्य हैं परन्तु हमारे पास तीन एकड़ से अधिक भूमि नहीं है । पूर्वी उत्तर प्रदेश, केन्द्रीय उत्तर प्रदेश या बिहार कहीं भी आप जाइये आप को यही हालत मिलेगी । अस्तु मैं विभेद करने का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि ५०,००० या ७५,००० रुपये की जो विमुक्ति सीमा है वह भी हटा दी जाये ।

श्रीमती जयश्री (बम्बई—उपनगर) : मैं ने जो संशोधन रक्खा है उस के द्वारा मैं चाहती हूं कि विनोबा जी के भूदान यज्ञ में जिन व्यक्तियों ने अपनी भूमि दान में दे दी है उस पर आरोपित किये जाने वाले सम्पदा शुल्क में पछत्तर प्रतिशत कटौती दी जाय । हमारे देश के लिये यह बहुत संकट का समय है । और विनोबा जी जसा सन्तपुरुष भूमि की समस्या को हल करने के लिये एक प्रयोग कर रहा है । विनोबा जी को काफ़ी सफलता मिल रही है । जिस कटौती की मैं ने मांग रक्खी है वह बहुत छोटी है । आज हमारे देश के सामने जो समस्यायें हैं उन को हल करने के लिये दो चीज़ों की आवश्यकता है एक तो इस विधेयक की, दूसरे विनोबा जी के प्रयास की । यदि सरकार भी इस महान आन्दोलन से सहानुभूति दिखाना चाहती है तो मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगी कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लें ।

श्री बी० पी० सिंह (मुंगेर सदर व जमूई) : सभापति महोदय, मैं संशोधन नम्बर ७०१ और ७०३ का समर्थन करता हूं जो वित्त मंत्री के संशोधन नम्बर ६३४ को संशोधित करना चाहते हैं । वित्तमंत्री महोदय ने कृषि भूमि पर अपने संशोधन ६३४ के द्वारा मत्युकर में २५ प्रतिशत छट देना स्वीकार किया है । इस से प्रकट होता है कि वित्त मंत्री ने सिद्धान्ततः ऐग्रीकलचरल लैंड पर सहूलियत देने की बात को क़बूल कर लिया है ।

धारा ३३ पर कल वित्त मंत्री के संशोधन से पता चला कि कृषि भूमि को मृत्युकर में इसलिये सम्मिलित किया है ताकि सम्पत्ति की योग मात्रा अधिक हो जाय जिससे दूसरी तरह की सम्पत्ति पर अधिक कर लग सके । मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, मैं तो यह चाहता हूं कि आज जो यह संशोधन २५ प्रतिशत कमी का है और जिस सिद्धान्त को हमारे वित्त मंत्री महोदय ने क़बूल किया है, उस सिद्धान्त की ओर वह ज्यादा अग्रसर हों ताकि वह पूरा हो सके । भूमि, एग्रीकलचरल लैंड स्टेट के अधिकार में है और स्टेट के अधिकार में बाधा न देने का काम केन्द्र का होना चाहिये, हमको अपने संविधान का सम्मान करना चाहिये और यह देखना चाहिये कि जहां पर हमारा शासन के विकेन्द्रीकरण करने का लक्ष्य

[श्री वी० पी० सिंह]

होना चाहिये, वहां हम केन्द्रीकरण की ओर न आयें ।

इस तरह से ऐग्रीकलचरल लैंड को इस में ले कर मैं समझता हूं कि देश में विकेन्द्रीकरण की भावना को प्रोत्साहन दे कर आप केन्द्रीकरण की ओर जा रहे हैं । मेरा उन से नम्र निवेदन है कि वह मेरे संशोधन के अनुसार उस में ७५ प्रतिशत की छूट दें । ७५ प्रतिशत की छट देने से केन्द्र की कोई हानि नहीं है, कारण यह है कि इस प्रकार की भूमि से जो भी कर प्राप्त होगा चाहे वह केन्द्र द्वारा वसूल हो चाहे वह राज्य द्वारा वसूल हो, वह पैसा राज्य का ही होगा । साथ ही साथ यह भी खयाल माननीय मंत्री को रखना चाहिये कि जिस से वह समझते हैं कि उन की सम्पत्ति की संख्या अधिक हो जायेगी, मेरा नम्र निवेदन है कि उस पर वह जरा गहराई से विचार करें । मैं समझता हूं कि यहां पर कोई निर्णय नहीं हो सकता कि संविधान की धारा २६९ और १४ के मुताबिक जो भूमि कर इस बिल में रक्खा गया है उस की यह विधान पुष्टि नहीं करता है । कलं मतदान के सम्बन्ध में जो दृश्य देखने मे आये उस से तो मुझे यही प्रतीत हुआ कि हमारे वित्त मंत्री को वोट के द्वारा हाथ का सहयोग तो प्राप्त है लेकिन सदस्यों के हृदय का सहयोग प्राप्त नहीं है । आज मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री को सदस्यों के हाथ के सहयोग के साथ साथ हृदय का सहयोग भी प्राप्त करना चाहिये । ऐसा करना बहुत श्रेयस्कर होगा । केन्द्र का भी इस में कोई घाटा नहीं है । यदि इस के ज़रिये से कुछ रुपया आयेगा तो वह केन्द्र को थोड़े ही मिलेगा । वह तो केवल राज्य को ही जायेगा । तो अगर राज्य मनासिब समझेगा तो वह दूसरी तरह का कर उस जमीन पर लगा सकेगा । इस के लिये राज्य के ऊपर कोई पाबन्दी नहीं है । साथ ही साथ यह भी पाया जाता है कि यहां पर यदि आप ने कर की दर अधिक रक्खी और राज्यों ने कर अधिक न लगाया तब तक ठीक है, लेकिन बहुत से राज्यों में ऐग्रिकल्चरल टैक्स के रूप में टैक्स लगा हुआ है । चाहे आप के टैक्स की जो भी दर हो, उन राज्य में जो अभी टैक्स लगे हुए हैं उन को मिला कर कृषि भूमि पर इतना ज्यादा टैक्स हो जायगा कि किसान दब जायेगा ।

मैं ने बार बार मंत्री महोदय से निवेदन किया कि हमें एक मध्यम स्तर स्थिर करना चाहिये और जो लोग मध्यम स्तर के हों उनको न छेड़ा जाय । आप समझते हैं कि आज जो हमारा जीवन स्तर है वह कैसा है । इस लिये जिस स्थान पर हम लोगों को रखना चाहते हैं नीचे स्तर के लोगों को वहां ले आयें और जो ऊपर के स्तर के लोग हैं उन को हम वहां तक नीचे ले आयें तो बहुत श्रेयस्कर होगा । इसलिये मेरा खयाल है कि वित्त मंत्री साहब को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये । इस प्रकार जो कल विधान की खींचा तानी हुई और जिस के आधार पर कि वह संशोधित धारा ३३ पास हुई उस से समझ लेना चाहिये कि आज मेम्बरों का हृदय आप के साथ नहीं है, केवल हाथ की सहायता से वोट प्राप्त कर कोई नियम बनाना देश के लिये लाभकर न होगा । आज जो हमारी भावना है कर द्वारा अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की वह तो ठीक है । मैं कहता हूं कि जिस के पास पैसा है उससे पूरा पूरा ले कर आप नीचे के स्तर पर लाना चाहते हैं यह तो ठीक है, लेकिन आज इस कर के द्वारा जो मध्यम स्तर के लोग हैं, जो मिड्ल क्लास के लोग हैं, उन के ऊपर यह भारस्वरूप होता है और आज जब कि आप के देश में उत्पादन इतना कम है और

आज आप उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, इस कर के द्वारा उस में बहुत हानि पहुंचेगी । इस लिये वित्त मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जो मेरा संशोधन है उसे वह कबूल कर लें क्योंकि उसके सिद्धान्त को उन्होंने कबूल कर लिया है । आप पच्चीस प्रतिशत छूट की बात कहते हैं, मैं ७५ प्रतिशत की छूट की बात कर रहा हूं । फिर वह पैसा तो राज्य सरकार के पास जायेगा । यदि राज्य सरकार समझेगी कि कर कम है तो ज्यादा कर लगा कर वह और भी पैसा जनता से ले लेगी । आप को राज्य सरकार को इतनी छूट तो देनी चाहिये अन्यथा यह ख़याल होगा कि आप कहते तो हैं कि भूमि कर लगाने का अधिकार राज्यों को है, लेकिन जनता पर पहले से ही अधिक से अधिक कर लगा कर आप उस को मजबूर कर देते हैं । क्या आप समझते हैं कि राज्य की सरकारें इतनी नाबालिग हैं कि अपने राज्य की परिस्थिति को नहीं समझ सकती हैं । आप को मौका देना चाहिये कि वह अपने प्रान्त की परिस्थिति को समझें और परिस्थिति के अनुसार भूमि पर कर लगावें । मैं फिर भी वित्त मंत्री महोदय से इस बात को निवेदन करूंगा कि जिस सिद्धान्त को आप ने कबूल कर लिया है, उस सिद्धान्त के अनुसार मेरे संशोधन में जो ७५ प्रति शत छूट देने की बात कही गई है उस को स्वीकार करने की कृपा करें ।

श्री गाडगील : यदि किसी ग़रीब आदमी की आय में एक रुपया भी कम कर दिया जाता है तो वह अमीर के १० प्रतिशत कमी से भी बढ़कर होगा । अब ७५,००० रुपये से मूल्य सीमा को १,००,००० रूपये तक बढ़ाने का प्रश्न आता है । ऐसा कर देने से सरकार को बहुत हानि उठानी पड़ेगी । मेरे आदरणीय मित्र श्री रोहनी कुमार चौधरी ने इस मुक्ति सीमा को ७५,००० रुपये से बढ़ाकर १,००,००० रुपये कर देने के लिये संशोधन रखा है । सरकार इस पर विचार करेगी किन्तु निर्णय क्या होगा, यह कह सकना कठिन है । इस प्रकार प्रत्येक १,००,००० रूपये की सम्पत्ति पर १,२५० रुपये का घाटा सरकार को होगा और यदि पूर्ण सहायता दी गई तो सम्पूर्ण १२५० रुपये की हानि उठानी पड़ेगी । किन्तु यदि प्रथम के तीन वर्गों में क्रमशः ३, ६ तथा ९ प्रतिशत कमी कर दी जाती है तथा अन्य ज्यों के त्यों रहते हैं तो यह उचित एवं न्यायपूर्ण सहायता होगी । वास्तव में देखा जाय तो सारा झगड़ा सम्पत्ति वालों का ही है, चाहे वह किसी भी परिवार अथवा समाज के हों ।

यदि यह हम लोगों पर छोड़ दिया जाता तो हम लोग इस मुक्ति सीमा को ५०,००० रुपये से घटाकर २०,००० रुपये कर देते जैसा कि इंगलैण्ड में है और इसी प्रकार अन्य सीमाओं में भी कमी कर देते । प्रवर समिति ने, जिस का मैं भी सदस्य था यह निश्चय किया था कि ये सीमायें ५०,००० रुपये तथा ७५,००० रुपये होनी चाहियें । दूसरे वर्ग से कुछ आय को इस ओर लाने के सम्बन्ध में चाहे कुछ भी विचार धारा हो किन्तु समाज तथा देश की वर्तमान देश को देखते हुए इन विमुक्ति सीमाओं को बढ़ाने वाले सभी संशोधनों का मैं विरोध करता हूं ।

भारत के कर दाता ऐसोसियेशन ने यह मांग की है कि यह सीमा ५,००,००० रुपये तक बढ़ा दी जानी चाहिये । अब मिताक्षरा तथा अमिताक्षरा सम्पत्ति का प्रश्न नहीं है । दोनों ही कानून ज्यों के त्यों हैं उन के कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । क्या इतनी बड़ी छट किसी व्यक्ति को दे देना न्यायोचित है ? कृषि सम्पत्ति पर २,००,००० रुपये तक कुछ अपहार दिया गया है । अतः

[श्री गाडगील]

किसी व्यक्ति को जिस की कृषि सम्पत्ति १,००,००० रुपये है, अन्ततोगत्वा कम एसे कम ९१८ रुपये तो देने ही पड़ेंगे। यह प्रवर समिति का विचार सर्वोत्तम है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं समझता हूं कि खण्ड ३४ के उपबन्धों को समझने में कुछ कठिनाई रह जाती है। उदाहरण स्वरूप दो प्रकार के परिवारों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जायेगा। हिन्दू परिवार की स्त्रियों के लिये यह कहा जाता है कि पति की मृत्य के पश्चात् उनको यह मिलना चाहिये या ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये किन्तु एक बेचारी मुसलमान बहू को कुछ भी नहीं मिल पाता। उसके लिये एक मात्र उपाय रह जाता है कि किसी अन्य वर की खोज करना।

मैं उस संशोधन के पक्ष में हूं कि यह विमुक्ति सीमा ७५,००० रुपये से बढ़ाकर १,००,००० रुपये कर दी जाय किन्तु यह तब तक नहीं होना चाहिये जब तक कि ऐसी ही विमुक्ति सीमा संयुक्त हिन्दू परिवारों के लिये भी लागू नहीं की जाती।

दायभाग परिवार वालों को २० वर्ष में कर देना होता है जब कि संयुक्त हिन्दू परिवार को प्रत्येक तीन या चार वर्ष में एक बार कर देना पड़ता है। अतः संयुक्त हिन्दू मिताक्षरा परिवार तथा दायभाग परिवार में विभेद है। मैं समझता हूं कि इस से कोई भी सहमत न होगा कि दायभाग परिवार वालों, मुसलमानों, ईसाइयों तथा पारसियों को प्रधानता हिन्दूओं का गला काट कर दी जाय। यदि विमुक्ति देनी ही पड़े तो दोनों को समान दीजिये और यदि स्वयं प्राप्त सम्पत्ति पर कर लगता है-तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं किन्तु बार-बार उस पर कर लगाना ठीक नहीं।

श्री के० के० बसु : यह दोनों में ही लागू है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : दायभाग में ऐसा नहीं है। पिता की सम्पूर्ण सम्पत्ति होने के कारण उसकी मृत्यु पर कर लगता है। पुत्र की मृत्यु पर कुछ भी न होगा। उसके पश्चात् पुत्र सम्पत्ति के मालिक बन जाते हैं। इसमें सम्पत्ति के सह-स्वामी होने का प्रश्न नहीं उठता।

मिताक्षरा के अतिरिक्त अन्य सभी लोगों के साथ एक ही सा व्यवहार होता है। आज के करारोपण का प्रमुख ध्येय अधिकाधिक सामाजिक सुरक्षा है। आज भारत में यह संयुक्त परिवार प्रणाली बहुत समय से चली आ रही है। यदि इसके प्रति लोगों में श्रद्धा या विश्वास न होता तो अब तक समाप्त हो गई होती। अतः केवल इस छट दिये जाने के जो उचित पात्र नहीं हैं, उनके अतिरिक्त सभी के लिये समान व्यवस्था की जानी चाहिये।

श्री टेक चन्द (अम्बाला-शिमला) : मैं आदर्शवाद को यथार्थवाद में परिणत करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा संशोधन जो ५०,००० रुपये की विमुक्ति सीमा को दुगना कर एक लाख तथा ७५,००० रुपये की विमुक्ति सीमा को दुगना कर डेढ़ लाख के विषय में है स्वीकार किया जाये। १९४६ में प्रवर समिति ने अपना निर्णय यह दिया था कि यह सीमा १,००,००० रुपये होनी चाहिये। कृषि सम्पत्ति को उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था। अब रुपये का मूल्य बढ़ने के बजाये गिर ही गया है। जब तक उस मकान को जिस में कोई व्यक्ति रहता है तथा ऐसी मृत्युओं के मामले जो दूसरों

द्वारा अपराध रूप में हुई हों, इन पर विचार नहीं किया जायेगा, तो मेरा संशोधन व्यर्थ हो जायगा । अतः मुक्ति सीमायें बढ़ा देना अत्यन्तावश्यक है जैसा कि १९४६ के विधेयक को बनाने वाले ने बतलाया था ।

शब्द सम्बन्धी अतथ्यता के कारण अनावश्यक विवाद होने से बड़ा भ्रम उत्पन्न हो गया है । दायभाग तथा मिताक्षरा में भेद व्यर्थ ही लागू किया गया है । दोनों ही में कुछ अच्छाईयां तथा कुछ बुराइयां हैं । असमांशिता में सारा निर्देश दायभाग शब्द के प्रयोग में किया जाता है, क्योंकि यह अनन्य नहीं होता । अतः इस में सदैव कर्त्ता अर्थात् पिता की मृत्यु के पश्चात्, ही कर लगेगा, प्रत्येक मृत्यु पर नहीं । अतः एक ओर तो केवल एक ही मृत्यु से बड़ा धक्का पहुंचेगा और दूसरी ओर समांशिता के सभी सदस्यों पर इस का प्रभाव पड़ेगा । अतः यह विमुक्ति सीमा दुगनी हो जानी चाहिये । हमें अन्य देशों की नकल नहीं करनी है क्योंकि हमारे यहां की स्थिति भिन्न है । अन्य देशों में अनेक प्रकार की अन्य सुविधायें भी तो दी जाती हैं जो हमारे देश में नहीं हैं । वहां आयु अधिक होने के साथ ही केवल एक बार ही औसतन कर देना पड़ता है किन्तु हमारे देश में एक ही परिवार पर दो बार कर लगाया जायगा । हमारे यहां अधिक तथा शीघ्र मृत्युयें होने से अन्य देशों की अपेक्षा वित्त मंत्रालय को अधिक लाभ भी होगा ।

इसके अतिरिक्त इंगलैण्ड तथा अमरीका में प्रत्येक व्यस्क धनोपार्जन करता है और हमारे यहां बहुत से लोगों को सेवा योग्य होने पर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती । स्त्रियों के सम्बन्ध में तो कुछ कहना ही व्यर्थ होगा । अतः निम्न आय वाले प्रत्येक व्यक्ति पर इस प्रकार कर लगाना उचित नहीं ।

इतना ही नहीं गांवों में तथा अन्य सभी जगहों के उन व्यक्तियों की मृत्यु का पता लगाना भी बड़ा दुस्तर कार्य है जिन की सम्पत्ति ५०,००० रुपये की है ।

इस प्रशासन सम्बन्धी कठिनाई के अतिरिक्त एक कठिनाई यह भी है कि कुछ लोग व्यर्थ ही उन व्यक्तियों को परेशान करेंगे और अच्छी अच्छी रकमें मारेंगे जो बेचारे अशिक्षित हैं तथा इन नियमों को नहीं जानते हैं । इस प्रकार सरकार को भी ठगेंगे और जनता तथा सरकार दोनों को ही कठिनाई उठानी पड़ेगी । अतः इस पर सरकार को भली भांति विचार कर लेना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त संयुक्त परिवार प्रणाली भारत में हिन्दूओं की सुरक्षा का अन्तिम अस्त्र है । इससे ही अनाथों, विधवाओं, आजन्म रोगियों अथवा असहायों आदि का जीवन चलता है । अभाग्यवश हम लोग अधिक सन्तान उत्पन्न करने वाले भी हैं । यदि सामाजिक सुरक्षा का अधिकार भी हमसे छिन गया तो फिर हमारे पास रह ही क्या जायगा । अतः यदि संयुक्त परिवार प्रणाली को भंग कर दिया गया तो देश में बेकारी, बीमारी, अशिक्षा तथा नैतिक पतन की ही वृद्धि होगी । अतः संयुक्त परिवार प्रणाली की रक्षा होनी चाहिये । और कुछ सहायता या छूट दी जानी चाहिये ।

आपको तो यह देखना है कि आप किस प्रकार लोगों पर कर लगाने जा रहे हैं । हमारे वे नियम अथवा प्रणालियां जो देश के लिये हितकर हैं, उनको समाप्त करके कठिनाइयों को बढ़ा लेना बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती । आज यदि मध्यम वर्ग को निकाल दिया जाय तो राष्ट्र की आत्मा ही समाप्त हो जायेगी और उसको बलशाली बनाने से राष्ट्र भी सुदृढ़ होगा यदि वर्तमान ५०,००० रुपये की छट सीमा से किसी

[श्री टेकचन्द]

पर विपरीत प्रभाव पड़ने जा रहा है तो वह है मध्यम वर्ग। ये ही वे लोग हैं जिन पर राष्ट्र आधारित है। यदि ये डगमगा गये तो सम्पूर्ण राष्ट्र नष्ट भ्रष्ट हो सकता है अतः इन पर यदि कर लगाना ही है तो न्यायोचित सीमा तक लगाइये जिससे उनकी रक्षा होती रहे। मुझे अपने संशोधन संख्या २७९ तथा २८० पर तो बस इतना ही कुछ कहना है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपने संशोधन संख्या २७८ के बारे में भी अभी कह दूं। यह संशोधन दरों के पुनरीक्षण से संगत तो नहीं है, परन्तु इसका खंड ३४ से बहुत सम्बंध है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपने तीसरे संशोधन पर भी अपने तर्क प्रस्तुत कर दें।

श्री टेकचन्द : इस संशोधन से मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि सरकार की आय कम हो। मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि यदि मृत व्यक्ति की संपत्ति उसके किसी नज़दीकी रिश्तेदार को मिले तो कर की दर कम हो और इसके विपरीत यदि संपत्ति उसके किसी दूर के संबंधी को मिले तो कर अधिक लिया जाये। इसके विरुद्ध यह आपत्ति की जा सकती है कि इसका अर्थ तो यह होगा कि उत्तराधिकार शुल्क का सिद्धांत मान लिया जायेगा और मृत्यु शुल्क के सिद्धांत को ठुकरा दिया जायेगा। इसके उत्तर में मैं यह कहूंगा कि इन दो सिद्धांतों के बीच कोई स्पष्ट भेद नहीं किया जा सकता। कुछ बातों में हमने उत्तराधिकार शुल्क के सिद्धांत का अनुकरण किया है; फिर इस मामले में भी किया जा सकता है। आप कृषि संपत्ति पर कर की दर कम रख रहे हैं; इसी प्रकार यहां भी किया जा सकता है। भारत में इस बात की आवश्यकता इसलिये भी अधिक है कि यदि कोई व्यक्ति छोटे छोटे बच्चे छोड़ कर मर जाता है तो उन बच्चों के भरण-पोषण तथा शिक्षण की ज़िम्मेदारी परिवार पर ही है। अतएव मैं चाहता हूं कि मेरा यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाये।

श्री बी० बी० गांधी : मेरा संशोधन संख्या २८३ इस प्रकार है :–

पृष्ठ २१ में, पंक्ति ७ के पश्चात निम्न लिखित निविष्ट किया जाये :

> "(1A) The rates of estate duty may be increased by a surch rge for purposes of the Union according to such scales as may be fixed by an Act of Parliament."

> ["(१क) संपदा शुल्क की दरें संघ प्रयोजनों के लिये एक अधिभार द्वारा ऐसे अनुमाप के अनुसार, जो संसद् के एक अधिनियम द्वारा निश्चित किया जाये, बढ़ाई जा सकती है।"]

संविधान के अनुच्छेद २६९ से तथा योजना आयोग की कुछ सिपारिशों से कुछ ऐसी धारणाएँ बन गई प्रतीत होती हैं कि यह संपदा शुल्क केवल राज्यों के उपयोग के लिये अभिप्रेत है तथा इसका संघ सरकार से कोई ताल्लुक ही नहीं है। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। यह तो सच है कि ये संपदा शुल्क राज्यों को सौंप दिये जायेंगे, परन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि संघ सरकार, यदि वह चाहे इसमें से कुछ भी नहीं ले सकती है। स्वयं संविधान के अनुच्छेद २७१ में यह उपबन्धित है :

"अनुच्छेद २६९ और २७० में किसी बात के होते हुए भी संसद् उन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट शुल्कों या करों में से किसी की भी किसी समय संघ के प्रयोजनों के लिये अधिभार द्वारा वृद्धि कर सकेगी तथा ऐसे किसी अधिभार के समस्त आगम भारत की संचित निधि के भाग होंगे ।"

सभापति महोदय : जब संविधान के अनुच्छेद २७१ द्वारा यह अधिकार दिया गया है फिर माननीय सदस्य अपना संशोधन क्यों रखना चाहते हैं ?

श्री वी० बी० गांधी : मेरा वास्तविक अभिप्राय यह है कि इस अनुच्छेद की उपेक्षा न की जाये और देश तथा सदन का ध्यान विशेष रूप से इस अनुच्छेद की ओर, जिसमें कि यह उपबन्ध है, दिलाया जा सके ।

सभापति महोदय : तो आप इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद २७१ पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं ।

श्री वी० बी० गांधी : यदि आप ऐसा समझते हैं तो मैं अभी कुछ मिनट में ही भाषण समाप्त कर दूंगा ।

सभापति महोदय : यदि आप किसी अन्य संशोधन पर बोलना चाहते हैं तो शौक से बोल सकते हैं ।

श्री वी० बी० गांधी : तो फिर मैं खंड ३४ के संबंध में सामान्य रूप से कुछ कहूंगा । जिन देशों में ऐसा उपबन्ध नहीं किया गया है—जैसा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद २६९ में है—वहां आज बहुत सी जटिलताऐं मौजूद हैं । परन्तु हमारे यहां इस अनुच्छेद के उपबन्धों की वजह से ये कठिनाइयां नहीं हैं ।

मेरा एक मात्र अभिप्राय यह है कि हम संघ सरकार के उस अधिकार को न भूलें जो उसे संविधान के अनुच्छेद २७१ द्वारा प्रदत्त है ।

सदन में प्रायः यह कहा जाता है कि हमें उस अनुमाप के अनुसार संपदा शुल्क लगाने का कोई अधिकार नहीं है जो इस विधेयक में दिया गया है । यह भी कहा जाता है कि हमें इस संबंध में संयुक्त राजतंत्र की तुलना भी नहीं करनी चाहिये क्योंकि वहां सरकार सामाजिक सुरक्षा संबंधी सुविधायें अधिक देती है । इस संबंध में मुझे केवल इतना कहना है कि सरकार से हम उतनी ही सेवा की आशा कर सकते हैं जितना कि हम करों के रूप में उसे दे रहे हैं । हम संयुक्त राजतंत्र की बातें तो करते हैं, परन्तु यह याद नहीं रखते कि वहां ६० वर्ष तक मृत्यु शुल्क लगे रहने के पश्चात् ही सामाजिक सुरक्षा संबंधी सुविधायें दिया जाना संभव हो सका था ।

श्री तुलसीदास : मैं नें एक संशोधन माननीय वित्त मंत्री के संशोधन संख्या ६३४ के संबंध में रखा है । मेरा संशोधन संख्या ७२६ है । इस संशोधन का अभिप्राय यह है कि खंड ३४ के संशोधन के रूप में जो संपदा शुल्क दर विधेयक सम्मिलित किया गया है उसमें दो लाख रुपये की जो सीमा रखी गई है वह न रखी जाये । मेरी समझ में नहीं आता कि यदि यह सीमा न रखी जाये तो कृषि-भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में किस प्रकार बंट जायेगी । मेरी समझ में यह भी नहीं आता कि दो लाख रुपये की यह सीमा आखिर क्यों रखी गई है । चाहे कृषि-भूमि ऐसी सम्पदा में सम्मिलित हो जिसका मुल्य १ करोड़ रुपये हो या चाहे ऐसी में जिसका मूल्य ५०,००० रुपये हो, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता । मैं चाहता हूं कि संपदा चाहे अधिक मूल्य की हो या कम मूल्य की, उसमें सम्मिलित कृषि-भूमि के संबंध में यह छूट दी जानी चाहिये । यह छुट बिना किसी भेद-भाव के सब कृषि-भूमियों के संबंध में दी जाय ।

[श्री तुलसीदास]

हम कृषकों की दशा सुधारने की बात करते हैं। हम यह भी कहते हैं कि कृषि-भूमि के छोटे छोट टुकड़े नहीं होने चाहियें। परन्तु मुझे आशंका यह है कि यदि यह दो लाख रुपये की सीमा रखी गई तो उस दशा में कृषि-भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े होने की और भी अधिक सम्भावना रहेगी। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री मेरे इस संशोधन पर विचार करेंगे और उसे स्वीकार करेंगे।

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : सम्पदा शुल्क के सिलसिले में जो विमुक्तियां दी जानी हैं, उनके बारे में भारी मतभेद है। एक वर्ग तो यह चाहता है कि विमुक्ति सीमा कुछ घटा दी जाय; उधर, दूसरा वर्ग यह कहता है कि विमुक्ति सीमा बढ़ा कर मिताक्षरा परिवारों में ७५,००० या १००,००० रुपये तथा दायभाग परिवारों में १५०,००० या २००,००० रुपये कर दी जाये। मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न पर आगे विचार करने से पूर्व यह देखा जाये कि यहां जितने मूल्य की सम्पदा पर शुल्क लगेगा उसका देश की प्रति व्यक्ति औसत आय से क्या अनुपात है। भारत में प्रति व्यक्ति औसत आय २५० रुपय है। तो अनुपात मिताक्षरा परिवारों में २०० गुना और दायभाग परिवारों में ३०० गुना फैलता है। इंग्लैण्ड में यह अनुपात १० गुने से भी कम है। अमेरिका में यह अनुपात प्रति व्यक्ति औसत आय का ३० गुना है। मेरा कहना यह है कि इतना अनुपात होने पर इस शिकायत के लिये कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है कि इस विधेयक द्वारा निर्धारित विमुक्ति सीमा कम है। मेरा अपना ख्याल तो यह है कि विमुक्ति सीमा के बढ़ाये जाने की अपेक्षा तो कर की दर कम किया जाना अधिक अच्छा होगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि इससे गरीब लोगों को परेशानी होगी। मैं कहता हूं कि इस देश में जिसके पास ५०,००० रुपये की सम्पत्ति हो उसे गरीब नहीं कहा जा सकता और हमें उससे अधिक रियायत नहीं देनी चाहिये जितनी कि इस विधेयक द्वारा दी गई है। विमुक्ति सीमा तो ज्यों की त्यों रहनी चाहिये, हां, दायभाग परिवारों के प्रयोजन के लिये यह उपबन्ध कर दिया जाये कि ७५,००० रुपये से १ लाख रुपये तक की सम्पदा पर शुल्क की दर में कुछ कमी कर दी जायेगी। जहां तक मेरा ख्याल है सम्पदा शुल्क देने वाले व्यक्तियों की संख्या आयकर देने वाले व्यक्तियों की संख्या से कम होगी क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत से व्यक्ति आय-कर तो दे रहे हैं, परन्तु उनके पास सम्पत्ति २५,००० रुपये की भी नहीं है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

अतएव मेरा निवेदन यह है कि वर्तमान विमुक्ति सीमा कायम रखी जाये और कोई अधिक रियायत न दी जाये। जिनके पास सम्पदाएं हैं उन्हें यह नहीं समझना चाहिये कि वे सम्पदा पर शुल्क देंगे, बल्कि यह समझना चाहिये कि राज्य को सम्पदा शुल्क दे कर वे अपनी एक जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। सम्पदा शुल्क से सम्पदाएं छिन्न-भिन्न नहीं बल्कि सुरक्षित रहेंगी। इस दृष्टि से वर्तमान विमुक्ति सीमा कायम रहनी चाहिये।

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, इन दोनों प्रकार के परिवारों में कोई भेद है या नहीं और यदि है तो उसे निपटाने के लिये हमारे पास क्या उपाय है, इस जटिल समस्या पर मैं पहले ही बहुत सी बात कह चुका हूं प्रत्येक बार नया दृष्टांत लेकर चलने पर नया निष्कर्ष निकलता है। अतः इस समस्या पर सामान्यतः विचार करना चाहिये और सभी

किसी व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचना चाहिए कि प्रस्तावित योजना साधारणतः उचित है या नहीं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ऐसी वस्तुस्थिति में यदि किसी को इन प्रभावित हिन्दू अविभाजित परिवारों के आंकड़ों और उनके स्वरूप का ज्ञान हो, तो सम्भव है कि उनको प्रस्तुत स्तरों से कुछ लाभ मिलता हुआ प्रतीत हो। मैं श्री त्रिवेदी का वह तर्क नहीं मानता जब वह हिन्दू अविभाजित परिवार में मृत्युओं की अभीक्षणता की बात करते हैं, क्योंकि मेरा कहना यह है कि यदि परिवार छोटा है, तो वह कम होगी और उसके बड़े होने पर अधिक। अतः यदि प्रति तीसरे वर्ष मृत्यु होने जितनी अभीक्षणता है तो परिवार में कदाचित् दस समांशी हैं और इस कारण यह ५ लाख रुपए की सम्पदा का प्रश्न है और मुझे कोई कारण नहीं दीखता कि अन्य परिवारों की तुलना में इतने बड़े परिवार का समर्थन क्यों किया जाए। सामान्य आकार की एक लाख आदि की सम्पदा के विषय में चिन्ता वस्तुतः ठीक है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनमें हिन्दू अविभाजित परिवारों को कुछ लाभ मिला हुआ है।

अब ऐसे मामले होंगे, जहां यह लाभ इतना सुस्पष्ट न हो, समांशी पिता और पुत्र न हों बल्कि भाई ही हों। सब प्रकार के मामलों पर विचार करना होगा। सम्पत्ति के स्वरूप का अर्थात् यह अधिकांश कृषि-भूमि है आदि का भी ध्यान रखना होगा और उसे लेकर राज्य-राज्य में अन्तर होगा। यह भी ध्यान में रखना होगा कि साथ ही किस प्रकार की पृथक् सम्पत्ति संलग्न है और इस कारण मेरे विचार से यह ऐसा प्रश्न है जिसका ठीक-ठीक अन्दाज़ नहीं लगाया जा सकता।

मैंने विभिन्न माननीय सदस्यों के अनुरोधों पर पूरा विचार किया है और यद्यपि मेरे ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि मैं अपने कान बन्द रखता हूं और मुख खुला, तथापि मेरा विचार है कि जहां तक अहिन्दू अविभाजित परिवारों का सम्बन्ध है, सीमावधि ७५,००० से बढ़ा कर १ लाख रुपए कर दी जाए, अतः मैं संशोधन २८२ स्वीकार करता हूं।

अनुसूची वाले प्रश्न का निर्णय उपाध्यक्ष महोदय करेंगे, यद्यपि अभी हम जो कुछ कह रहे हैं उसका भी विवादाधीन प्रश्न पर प्रभाव पड़ेगा। पर आपने हमें संशोधन रखने की अनुमति दी है और उन पर चर्चा हुई है और हम मतग्रहण की स्थिति तक पहुंच गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह १ लाख की विमुक्ति-सीमा मूल विधेयक में थी ?

श्री सी० डी० देशमुख : नहीं श्रीमान्, १९४६ के विधेयक में, जिससे संविधान की दृष्टि से हमें कोई सम्बन्ध नहीं है, कोई सीमावधि नहीं है। चूंकि मुझ से विधेयक में ही कुछ विमुक्ति-सीमा रखने के लिये अनुरोध किए गए थे, इसी से प्रवर समिति ने उस समय उस पर विचार किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रवर समिति को भेजते समय भी कोई सीमा न थी ?

श्री सी० डी० देशमुख : नहीं श्रीमान्, राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित और सदन में पुरःस्थापित विधेयक में यह उपबन्ध न था, बस राष्ट्रपति के ध्यान में कुछ विमुक्ति-सीमा थी।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कहां पर है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मूल विधेयक के खंड ३२ में कहा गया था :

[श्री सी० डी० देशमुख]

"विमुक्तियां, कटौतियां और रूपभेद : केन्द्रीय सरकार, सरकारी सूचनापत्र में अधिसूचना, द्वारा, सम्पत्ति के किसी वर्ग या किसी वर्ग के व्यक्तियों की सम्पत्ति के पूर्णांश या एकांश के पक्ष में सम्पदा शुल्क के विषय में दर सम्बन्धी कुछ विमुक्ति, कटौती या कुछ अन्य रूपभद कर सकेगी।"

शुल्क की दरों का निर्देश करने वाला खंड ३४ इस प्रकार था :

"सम्पदा शुल्क की दर उस मापदंड के अनुसार होंगी, जो संसद् के अधिनियम द्वारा निश्चित की जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : यह साधारण उपबंध है।

श्री सी० डी० देशमुख : वहां यह आग्रह किया गया था कि मैं अपने मन में स्थित विमुक्ति सीमाओं का संकेत करदूं, इसी कारण हमने पुराने विधेयक के उपबन्ध को ले लिया यद्यपि उसे भिन्न रूप में लिया। हमने हिन्दू अविभाजित परिवारों और दायभाग परिवारों का भेद स्वीकार किया और दो विमुक्ति सीमाएं मानीं।

मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस सुझाव को मानते हुए सीमा बढ़ाने की बात युक्तियुक्त है। अतः मैं पहले रखे गए संशोधन २८१ और पहले अनुमोदित संशोधन २८७ दोनों को ही मान रहा हूं।

और मुझे विशेष कुछ नहीं कहना है। मैं भूदान यज्ञ का निर्देश कर चुका हूं और बता चुका हूं कि वह विधान के स्तर पर नहीं है, जिससे उसके लिए विशेष रियायत रखना उचित ठहराया जा सकता।

फिर कृषि सम्पत्तियों को और विमुक्ति देने की बात है। अन्य संशोधन ऐसी विमुक्ति का विरोध करते हैं। मैं बता चुका हूं कि कुछ मूल्य-सीमा अर्थात् २ लाख रुपए से नीचे की कृषि सम्पदाओं को कुछ रियायत देना मैंने क्यों ठीक समझा था।

अतः संशोधन २८१ और ५८७ के अतिरिक्त मैं शेष संशोधनों का विरोध करता हूं और अपने संशोधनों का अनुमोदन करता हूं।

श्री टी० एन० सिंह : मुझे एक औचित्य प्रश्न रखना है कि आपने कहा था कि नियम ११० के कारण अनुसूचियों को संशोधित करने वाले संशोधन अभी नहीं लिए जा सकते। तो क्या अनुसूची को बदलने वाले इस खंड के संशोधनों पर मत लिया जाएगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अनुसूची से सम्बन्धित और खंड ३४ से सम्बन्धित संशोधनों में भेद करना होगा, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित मूल विधेयक में खंड ३२ के उपबंध के अधीन प्रवर-समिति ने अनेकों विमुक्तियां रखी हैं, और यह उसका विस्तार ही है। खंड ३२ (२) साधारण शक्ति देता है। खंड ३४ भी विमुक्ति सा ही है। अतः विमुक्तियों के प्रदान की शक्ति सरकार को देने वाले राष्ट्रपति के साधारण अनुमोदन की दृष्टि से मैं इस विषय में पुनः अनुमोदन आवश्यक नहीं समझता। न मैं सीमा घटाने-बढ़ाने वाले संशोधनों को ही अवरुद्ध मानता हूं। कुछ सम्पत्ति वर्ग के लिये संसद् तत्काल कुछ निदेश देने जा रही है और राष्ट्रपति के अनुमोदन के अनुसार ही शेष को छोड़ देना चाहती है।

श्री टी० एन० सिंह : पर ५०,००० के स्थान पर ७५,००० रुपए रखने पर अनुसूची में भी दरों में तत्संवादी रूपभेद होगा। इसी से नियम ११० के अनुसार मैं इसे उचित नहीं

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, यहां वे संशोधनों का तत्संबादी फल अनुसूची पर पड़ता है। दरें अनुसूची का अंग हैं। सवेरे के औचित्य प्रश्न पर अभी विधि मंत्री की बात सुनने के बाद निश्चय होना है। इस समय हम पारित हुए खंड ३२ की आनुषंगिक बातें ही ले रहे हैं।

पंडित ठाकूरदास भार्गव : खंड ३४ के परन्तुक में दी गई राशियां ५०,००० और ७५,००० हैं। हम उस खंड का ही संशोधन कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः दूसरी बात के विषय में आपत्ति का अभी निर्णय नहीं हुआ है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : आज सवेरे से पैदा हुई बात से इतना प्रकट है कि अनुसूचियों का संशोधन आप जो विनिर्णय देंगे, उस पर निर्भर होगा। माननीय मंत्री ये संशोधन मान लें, कोई बात नहीं। पर इससे अनुसूचियों में भी अन्तर पड़ता है। अतः हम इतना कैसे कह सकते हैं कि हम यह खंड स्वीकृत करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : एक विधि का प्रश्न है, दूसरा वांछनीयता का।

श्री टी०टी० कृष्णमाचारी : आपत्ति वस्तुतः अनुच्छेद २७४ के 'परिवर्तित करता है' शब्द को लेकर है, जिसका निर्वचन इस रूप में किया जा रहा है जैसे यह सभी राजकोषीय उपबन्धों के विषय में कार्यपालिका को दिये गए न्यायोचित अधिकारों को परिसीमित करता हो और वैसे यह सम्बन्धित पक्ष के लाभ के लिए तो परिवर्तन कर सकता हो, पर राज्य के लाभ के लिए नहीं। मेरे विचार से अनुसूची की चर्चा तक के लिए न छोड़ कर इस प्रश्न को यहीं निपटा दिया जाए। 'परिवर्तित करता है' का अर्थ कम या अधिक करना है। कराधान सम्बन्धी यह माना हुआ सिद्धान्त है कि कार्यपालिका को कमी करने का अधिकार दिया जाता है और भले ही अनुच्छेद २७४ का बड़ा दृढ़ निर्वचन माना जाए, यह नहीं कहा जा सकता कि यह सदन केवल अनुमोदक पात्र है और वह नहीं कर सकता जिसे करने की शक्ति कार्यपालिका को मिली हुई है।

अनुच्छेद २७४ का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधान को यह सदन पलट सकता है। सदन सरकारी विधेयक को भी अस्वीकृत कर सकता है और इसलिए उसे पृष्ठानुमोदक मात्र नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रपति की स्वीकृति सम्बन्धी उपबन्ध प्राइवेट सदस्य द्वारा प्रस्ताव आरम्भ करने पर एक बंधन है। राष्ट्रपति की स्वीकृति का अर्थ बस यही है कि विधेयक में उल्लिखित शुल्क की दर बढ़ाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार को रखना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : पर सरकार को भी राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होगी।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वह प्रस्तावारम्भ कार्य कार्यपालिका के ही हाथों छोड़ देने का बहाना है। सारी दुनिया में यही रीति है और इसी से हमने अपने संविधान में उसे रख लिया है। मेरे विचार से जब सदन को पराधान सम्बन्धी किसी प्रस्ताव को पूर्णतः अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है, तो उसे शुल्क दर कम करने का भी अधिकार है और अनुच्छेद २७४ के 'परिवर्तित करता है' का निर्वचन यह नहीं हो सकता कि कम न किया जा सके। करदाता की हानि करते हुए इसे ऊपर की ओर परिवर्तित नहीं किया जा सकता, पर इसे निश्चय ही कम किया जा सकता है। और करदाता के लाभ के लिये शुल्क दर में कभी भी परिवर्तन करने की कार्यपालिका की अवशिष्ट शक्ति की दृष्टि में, अनुच्छेद ११७ और २७४ के उपबन्ध ऊपर बढ़ाने की

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

सीमा को रोकते हैं, नीचे करने की सीमा को नहीं। अन्य देशों में भी यही चलन है और सब यही समझते हैं। 'परिवर्तित करता है' का अर्थ ऊपर की ओर परिवर्तन रोकना है और राज्य के हित का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सदन पूरे विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है। राज्य राजस्व के कारण इस विधेयक में रुचि ले रहा है। परन्तु जब तक सदन न चाहे, यह विधि नहीं बन सकता और राजस्व प्राप्त नहीं कर सकता। मेरे विचार से पूरी बात को कर सम्बन्धी विधेयक को स्वीकृत करने में और दर घटाने में सदन के प्रभुत्व की दृष्टि से देखना चाहिए। प्रस्तुत खंड पर सविशिष्ट स्वीकृति देने और दूसरी बात को अनुसूची की चर्चा तक छोड़ देने की अपेक्षा एक साथ ही दोनों बातों को निपटाना अच्छा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अर्थात् इस विषय को ही थोड़े समय के लिए स्थगित करना होगा?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, जैसा श्री एच० एन० मुकर्जी ने उचित ही कहा था कि एक बात को दूसरे से पृथक् नहीं किया जा सकता। दोनों अंतर्बद्ध हैं और अध्यक्ष को दोनों को पृथक् न करके इकट्ठे ही विनिर्णय दे देना चाहिए। वह पूरे प्रश्न पर लागू होना चाहिए।

श्री एच० एन० मुकर्जी : हमारा हित तो बहुत सी दरों में बढ़ने ही में है। यदि सदन को विधेयक में परिवर्तन करने का अधिकार है, तो वह अनुसूची को भी परिवर्तित कर सकता है।

श्री टी० एन० सिंह : 'परिवर्तित करना' शब्द न केवल शुल्क की दरों की दृष्टि में प्रयुक्त किया गया है, बल्कि एक वर्ग का दूसरे से विभेद करके शुल्क के पदों को परिवर्तित करने के लिये भी किया गया है और उस दशा में मेरे विचार से राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। मैं यह मानता हूं कि यदि दर में सभी के लाभ के लिए कुछ कमी की जाए तो इसमें कोई आपत्ति न होगी, क्योंकि यह राष्ट्रपति द्वारा दी गई स्वीकृति में आ जाता है। पर ७५,००० से १ लाख करके जब हम आयुवर्गों में विभेद करते हैं, तो यह उसके प्रतिकूल है।

श्री के० पी० गौंडर : यदि सदन को विधेयक अस्वीकृत करने का अधिकार है, तो उसे दरें कम करने का भी अधिकार है। यदि यह सदन विधेयक को अस्वीकार करता है तो राज्य विधान मंडल विधान बना सकेंगे। यदि आप दरें कम करेंगे, तो राज्य विधान मंडल उससे वंचित रहगे, यही भेद है।

उपाध्यक्ष महोदय : विधि मंत्री से मैं आज ही तो चार बजे से पहले-पहले परामर्श कर रहा हूं। अतः मैं किसी स्वतन्त्र निश्चय पर पहले ही पहुंच जाऊं, इसकी जल्दी नहीं है।

पहले में ७५,००० रुपए को घटाने-बढ़ाने वाले संशोधनों को छोड़ कर अन्य अर्थात् सीमावधि परिवर्तित करने वाले संशोधनों को निपटा लूं। क्या माननीय वित्त मंत्री द्वारा रखे गए कुछ अन्य संशोधन हैं?

श्री सी० डी० देशमुख : ६३३ और ६३४।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि केन्द्रीय अधिनियम अब इसी अधिनियम में समेट लिया गया है अतः खंड ३४ के शीर्षक में "शुल्क की दरें केन्द्रीय अधिनियम के अनुसार होंगी" के स्थान पर "३४. कृषि भूमि समेत सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क की दरें" यह परिवर्तन आवश्यक हो गया है। यह संशोधन अनुसूची की दरों का निर्देश मात्र करता है।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ २० में पंक्ति ४८ से ५० तक के लिए आदिष्ट करिए :

"34. *Rates of estate duty on property including agricultural land.*—(1) The rates of the estate duty shall be as mentioned in the Second Schedule."

["३४. **कृषि भूमि समेत सम्पति पर सम्पदा शुल्क की दरें.**—(१) सम्पदा शुल्क की दरें उस रूप में होंगी जो द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं।]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अब मैं संशोधन सख्या ६३४ के संशोधनों ७०२, ७०३, ७०४ और ७२६ को सदन के सम्मुख रखता हूं।

चारों संशोधन अस्वीकृत हुए।

श्रीमती जयश्री और श्री वी० पी० सिन्हा ने अपने संशोधन पर आग्रह नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ २१ में, पंक्ति १९ के पश्चात् निविष्ट करिए :

In page 21,

after line 19 *insert*:

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) and the Second Schedule, where any property passing on the death of any person consists wholly or in part of agricultural land and the principal value of the estate does not exceed rupees two lakhs, there shall be allowed by way of rebate—

(a) in the case of an estate which consists wholly of agricultural land, a sum representing one-forth of the estate duty payable; and

(b) in the case of an estate which consists in part only of agricultural land, a sum representing one-fourth of the estate duty payable on that part of the estate which consists of agricultural land, the duty on such part being a sum which bears to the total amount of estate duty the same proportion as the value of the agricultural land bears to the value of the estate."

["(३) उपधारा (१) तथा द्वितीय अनुसूची में कोई भी बात होते हुए भी, जहां कि किसी व्यक्ति की मृत्यु पर मिलने वाली संपत्ति पूर्ण या आंशिक रूप से कृषि भूमि है तथा सम्पदा का मुख्य मूल्य एक लाख से अधिक नहीं है, वहां छूट के रूप में यह अनुमति दी जाएगी—

(क) ऐसी सम्पदा के विषय में जो पूर्ण रूप से कृषि भूमि की हो देय सम्पदा शुल्क की एक चौथाई राशि; और

(ख) ऐसी सम्पदा के विषय में जो केवल आंशिक रूप से कृषि भूमि की हो, तो उस के कृषि भूमि भाग पर देय सम्पदा शुल्क का एक चौथाई भाग, और इस राशि का सम्पदा शुल्क की कुल राशि से वही अनुपात होगा

[उपाध्यक्ष महोदय]

जितना कि कृषि भूमि के मूल्य का सम्पदा शुल्क से है।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इस के पश्चात् सदन की बैठक चार बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।

सदन की बैठक चार बजे पुनः समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य-मंत्री (श्री बिस्वास) : श्रीमान्, प्रातः जो प्रश्न उठाया गया है यदि मैं उसे भली भांति समझ सका हूं तो वह यह था कि क्या कुछ संशोधन जो कि प्राइवेट सदस्यों ने माननीय मंत्री के संशोधन के सम्बन्ध में अथवा स्वयं इस विधेयक के सम्बन्ध में पेश किये हैं, इस दृष्टि से उचित माने जा सकते हैं कि राष्ट्रपति ने उन की सिपारिश नहीं की है । इस सम्बन्ध में दो अनुच्छेदों का अर्थात् अनुच्छेद ११७(१) तथा २७४(१) का ज़िक्र भी किया गया ।

जहां तक अनुच्छेद ११७(१) का सम्बन्ध है, आप देखेंगे कि इस का सम्बन्ध अनुच्छेद ११० के साथ है तथा यह उस अनुच्छेद के उप-खंड (क) से ले कर (च) तक में दिए गए मामलों की ओर निर्देश करता है । यदि आप उस अनुच्छेद के खंड (१) के उप-खंड (क) को देखेंगे तो आप को पता चलेगा कि वहां शब्द 'कर' का अर्थ कोई 'चालू' कर अथवा कोई 'नया' कर समझा गया है । जब करारोपण का शब्द आता है तो उस का अर्थ नया कर लगाना समझा जा सकता है और जब 'फेर बदल' की बात आती है तो उस का आशय यह है कि किसी वर्तमान कर में फेर बदल होगी । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अनुच्छेद ११७ के परन्तुक में जो शब्द 'कर' आया है उस का भी यही अर्थ लिया जाना चाहिये । दूसरे शब्दों में, परन्तुक में उल्लिखित संशोधन का अर्थ उस संशोधन से है जो कि किसी वर्तमान कर में अथवा इस विधेयक में प्रस्थापित किसी नये कर में कमी करने का विचार रखता हो अथवा किसी ऐसे कर को समाप्त कर देना चाहता हो ।

अब मैं अनुच्छेद २७४ पर अपने विचार प्रकट करता हूं । इस अनुच्छेद में कोई तत्स्थानीय परन्तुक नहीं है जैसे कि अनुच्छेद ११७ में विद्यमान है । खंड २७४ की शब्द-रचना भी कुछ भिन्न है । जहां अनुच्छेद ११७ में कई बार "अमुक अमुक बात का उपबन्ध रखता है" शब्द आये हैं, वहां अनुच्छेद २७४ में "imposes or varies" ["करारोपण अथवा उस में परिवर्तन"] जैसे शब्द आए हैं । इस में "उपबन्ध रखता है" जैसे शब्द नहीं आये हैं । इस में कहा गया है कि "कोई विधेयक या संशोधन, जो जिस **कर या शुल्क** में राज्यों का हित सम्बद्ध है, उस को **आरोपित या परिवर्तित** करता है ..." अब प्रश्न यह है कि क्या 'कर अथवा शुल्क' यहां कोई चालू कर अथवा शुल्क है या कोई नया कर अथवा शुल्क है जिस की कि विधेयक में प्रस्थापना की गई हो । पहली बात जो ध्यान में रखनी होगी वह यह है कि कोई संशोधन, कर अथवा शुल्क आरोपित अथवा परिवर्तित नहीं कर सकता है जब तक कि विधेयक में इस का उपबन्ध न हो तथा वह विधेयक पास हो के कानून नहीं बन गया हो। "विधेयक" अथवा "संशोधन" यह दो शब्द साथ साथ जाते हैं । इस लिए इस अनुच्छेद में किसी विधेयक अथवा किसी संशोधन के सम्बन्ध में जो भी शब्द प्रयोग में लाये जायें वह समान रूप से दोनों पर लागू होने चाहियें ।

राज्य सरकारों को तो सम्पदा शुल्क में गहरी दिलचस्पी है क्योंकि उन्हें इस से आय प्राप्त होगी। अब प्रश्न यह है कि किसी कर (अथवा शुल्क) के साथ यदि "आरोपित अथवा परिवर्तित" के शब्द आ जाते हैं तो उस का क्या अर्थ होता है। क्या शब्द 'कर' किसी नये कर की ओर निर्देश करता है अथवा किसी वर्तमान कर की ओर। शब्द 'आरोपित' में नया कर लगाने की ही बात आ जाती है। वर्तमान कर तो आरोपित नहीं होता है। यदि ऐसी बात है तो कोई कारण नहीं कि क्यों न हम शब्द "कर" अथवा "शुल्क" को भी जबकि इसे शब्द "परिवर्तित" के प्रसंग में पढ़ लिया जाये वही अर्थ दें। इस तरह से शब्द "परिवर्तित" को भी नये कर की ओर निर्देश करना चाहिये अर्थात जिस कर की कि विधेयक में पहली बार प्रस्थापना की गई हो। (**अन्तर्वाधा**)। हो सकता है कि मेरा कहना गलत हो। परन्तु मेरा ऐसा ही विचार है।

मैं यह स्पष्ट कर रहा था कि शब्द "आरोपित" नये कर के आरोपण की ओर निर्देश करता है। यदि किसी वर्तमान कर में वृद्धि की जाय तो यह बात भी इस में आ सकती है। जिस हद तक कर में वृद्धि हुई हो उस हद तक यह नया करारोपण है। इस प्रसंग में शब्द "परिवर्तित" को भी वर्तमान कर अथवा नये कर की ओर निर्देश करना चाहिये। आप पहले ही लगे हुए कर में परिवर्तन कर सकते हैं अथवा आप उस कर में परिवर्तन कर सकते हैं जिस की कि विधेयक में प्रस्थापना की गई हो। श्रीमान्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अनुच्छेद २७४ (१) में शब्द "कर" अथवा शुल्क का सामान्य अर्थ लिया जाना चाहिये। तथा इसे वर्तमान कर अथवा नये कर तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिये।

मुझे मालूम नहीं कि किन संशोधनों के सम्बन्ध में औचित्य का यह प्रश्न उठाया गया है। क्या इन का उद्देश्य दरों में परिवर्तन करना है, अथवा नये कर लगाना है, यह मुझे मालूम नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री दोनों संशोधनों पर प्रकाश डालें। माननीय वित्त मंत्री ने एक दर-अनुसूची दी है। दूसरे माननीय सदस्य ने एक भिन्न अनुसूची दी है। दो प्रकार के संशोधन हैं, एक का आशय शुल्क की उस दर में परिवर्तन करना है जिस का कि माननीय वित्त मंत्री ने सुझाव दिया है, दूसरे का आशय कर-मुक्ति की सीमा पहले मामले में ५०,००० रुपये तथा दूसरे मामले में ७५,००० रुपये रखना है, माननीय मंत्री ने स्वयं ५०,००० का सुझाव दिया है तथा दूसरे मामले में उन्हों ने यह सीमा ७५,००० से बढ़ा कर एक लाख कर दी है। मैं माननीय विधि मंत्री से इस समय एक प्रश्न पूछता हूं। अनुसूची के एक भाग के सम्बन्ध में दो प्रकार के संशोधन हैं—एक का संबंध शुल्क से है तथा दूसरे का सम्बन्ध कर-मुक्ति सीमा से है।

श्री बिस्वास : मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि जो संशोधन सदन ने स्वीकृत किए हैं चाहे उन के लिए राष्ट्रपति की सिपारिश अपेक्षित हो अथवा नहीं, वह तो स्वीकृत हुए हैं, तथा मेरे विचार में हमें उन पर चर्चा जारी रखने की आवश्यकता नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले पर इस समय चर्चा करना अनावश्यक है।

श्री बिस्वास : तो श्रीमान्, मैं उन विभिन्न संशोधनों पर अपने विचार प्रकट करूंगा जो कि दरों के सम्बन्ध में पुरःस्थापित किये गए हैं। मैं देखता हूं कि पृष्ठ १९ से ले कर आगे को अन्तिम संयोजित सूची (सूची नम्बर ४) में कई गैर-सरकारी संशोधन विद्यमान हैं जिन का उद्देश्य कि

[श्री बिस्वास]

माननीय वित्त मंत्री द्वारा सुझाई गई दरों में परिवर्तन करना है। खंड ३४ के सम्बन्ध में पेश किय गये संशोधन के परिणामस्वरूप जो फेर बदल हुए हैं उन का प्रभाव श्री देशमुख के संशोधन के भाग २ की पहली दो मदों पर पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधनों का तीसरा प्रकार भी है जिन का उद्देश्य कि शुल्क की दर बढ़ाना है। तो इस तरह से कुछ संशोधनों में दरों में कमी करने की बात कही गई है, कुछ में यह बढ़ा देने की बात कही गई है तथा कुछ में कर-मुक्ति सीमा का ज़िक्र आया है।

श्री बिस्वास : श्रीमान, मैं ने विभिन्न संशोधनों को सविस्तार नहीं देखा है। किन्तु जिन सिद्धान्तों की मैं ने व्याख्या की है, वह संशोधनों पर लागू होने चाहियें। कुछ भी हो, मैं ने निवेदन किया है कि कुछ संशोधनों में अधिकतम सीमा यथावत् रखी गई है। कुछ में यह सीमा ४० प्रतिशत से बढ़ा कर ५० प्रतिशत अथवा उस से अधिक रखने की मांग की गई है। यह बात अधिकांश रूप से मान ली गई है कि राष्ट्रपति की सिपारिश के बिना किसी संशोधन द्वारा शुल्क की उन दरों को बढ़ाया नहीं जा सकता है जिन का कि सरकार ने सुझाव दिया हो। वास्तव में राष्ट्रपति की सिपारिश के बिना आप कोई भी ऐसा संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं जिस का उद्देश्य करदाता पर कर-भार बढ़ाना है। यह सिद्धान्त माना गया है तथा मेरे माननीय मित्र श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने भी इस का उल्लेख किया है। संविधान की भाषा तथा सामान्य सिद्धान्तों को दृष्टि में रखते हुए मैं निवेदन करता हूं कि इन संशोधनों को तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है जब तक कि राष्ट्रपति ने इन के सम्बन्ध में सिपारिश नहीं की हो।

जहां तक दरों में कमी करने का प्रश्न है, यह कर-मुक्ति सीमा बढ़ा कर अथवा दूसरे तरीकों से कम किये जा सकते हैं। खंड ३४ में जो फेर बदल हुए हैं उन का कर-मुक्ति सीमा पर प्रभाव पड़ा है। यदि यह सीमा ७५,००० रुपये से बढ़ा कर एक लाख रुपये कर दी जाये तो इस का मतलब यह होगा कि शुल्क-दर में कमी होगी। और जहां कमी की बात आती हो वहां संशोधन नियमित है तथा उस के लिये राष्ट्रपति की सिपारिश की आवश्यकता नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूं। यदि आप एक लाख रुपये की उपरिसीमा नियत करें तो क्या इस का यह अर्थ नहीं होता कि आप उस उपरिसीमा से कम प्रत्येक राशि की स्वीकृति दे देते हैं--५० हज़ार, ६० हज़ार, या ७० हज़ार की ? ऐसे करों के मामले में जिन में राज्यों का हित सम्बद्ध है, आप को क्यों राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है ? राष्ट्रपति--दूसरे शब्दों में सरकार--यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उपरिसीमा बढ़ाई नहीं जाए। काफ़ी विचार के पश्चात वह इस परिणाम पर पहुंची है कि उपरिसीमा दर्शाते हुए एक निश्चित राशि होनी चाहिये। सही या गलत, यह वहां मौजूद है और यह ठीक नहीं है कि किसी गैर-सरकारी सदस्य के संशोधन द्वारा इसे बढ़ाया जाए। सरकार इसे अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। यही कारण है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : एक औचित्य प्रश्न पर। विधि मंत्री जी सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्यों के संशोधनों में भेद-भाव कर रहे हैं। सरकार ने कोई बात पहले से निश्चित कर ली हो तो क्या किसी गैर-

सरकारी सदस्य के संकल्प अथवा संशोधन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ? यह उचित नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि उन्होंने इस प्रकार का अंतर किया है । एक गैर-सरकारी सदस्य, यदि उसे पर्याप्त संख्या का समर्थन प्राप्त हो, सरकारी सदस्य बन सकता है । संविधान कोई अंतर नहीं करता तथा सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार के सदस्यों को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करनी होती है । इसलिए कोई भेद नहीं है । इस सम्बन्ध में कोई गलत-फहमी नहीं होनी चाहिये ।

श्री बिस्वास : मुझे खेद है कि मेरे वक्तव्य से माननीय सदस्य को ऐसी धारणा हुई । मेरे मस्तिष्क में यह बात बिलकुल नहीं थी । यहां पहल सरकार के हाथ में है । इसलिए जब कि कोई गैर-सरकारी सदस्य उपरिसीमा को बढ़ाने की अपेक्षा करता है तो यह ठीक ही है कि सरकार को उस पर विचार करने का अवसर हो । इसी लिए ऐसे संशोधन के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की स्वीकृति अपेक्षित है । किन्तु इस का यह अर्थ नहीं है कि गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा व्यक्त मतों पर ध्यान नहीं दिया जाता । सरकार को भी इस प्रकार के संशोधनों के लिये राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होती है । अन्तर कोई भी नहीं है । आखिर, अन्तिम निर्णय तो विधान-मण्डल के हाथ में है । वह चाहे तो विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है । इसलिए प्रत्येक दशा में संसद का ही प्रभुत्व है, जिस की सरकार उपेक्षा नहीं कर सकती ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि कर राष्ट्रपति की पूर्व-स्वीकृति के बिना नहीं बढ़ाया जा सकता । दूसरे, छूट की सीमा में वृद्धि करना अप्रत्यक्ष रूप से कर में कमी करना है और कर को कम करने के लिये राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है । किन्तु मेरा प्रश्न यह है । यदि कर में कमी करने के लिये राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है तो अनुच्छेद ११७ के साथ एक परन्तुक का उपबन्ध क्यों है ? यदि कर की कमी के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है तो फिर अनुच्छेद ११७ के साथ, परन्तुक रखने की क्या आवश्यकता है ?

श्री बिस्वास : यदि मैं आप का आशय ठीक प्रकार समझ सका हूं, तो आप का कहना यह है कि अनुबन्ध ११७ में परन्तुक क्यों है जब कि इसी प्रकार के अनुच्छेद २७४ में परन्तुक नहीं है और फिर भी दोनों अनुच्छेदों का परिणाम एक ही होता है ? प्रश्न यह है कि अनुच्छेद २७४ में व्यक्त रूप से ऐसा परन्तुक इसलिए नहीं रक्खा गया है कि उस से प्राप्त परिणाम भिन्न हो ? किन्तु बात यह है कि यह वह परन्तुक वहां मौजूद नहीं है तो इस का अर्थ नहीं हुआ कि वह सिद्धान्त भी वहां लागू न होता हो । यह तो एक सामान्य सिद्धान्त है और इस का कोई कारण नहीं कि यह अनुच्छेद २७४ के अंतर्गत लागू न हो । इस का एक विशेष कारण था कि यह व्यक्त रूप से अनुच्छेद ११७ में यह परन्तुक रक्खा गया । अनुच्छेद २२४ राज्यों के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों से सम्बन्धित है तथा यह मान्य संवैधानिक सिद्धान्त है कि यदि लक्ष्य करदाता का भार कम करना है तो कोई अनुमति अपेक्षित नहीं है । दूसरे मामले में, उपबन्ध कर दिया गया है क्योंकि यह वित्त विधेयकों पर लागू होता है जो कि एक बिलकुल भिन्न वर्ग में आते हैं । वित्त विधेयकों के साथ बहुत से अन्य प्रश्न सम्बद्ध हैं । इसलिए सावधानी के बतौर इस परन्तुक को अनुच्छेद ११७ में रख दिया गया है ।

श्री बिस्वास : मैं खंड ३२ की ओर ध्यान आकर्षित करना तो भूल ही गया । मूल विधेयक में सरकार को कई बातें करने का अधिकार दिया हुआ था । क्या यह समझ लेना ग़लत है कि राष्ट्रपति ने विधेयक की इस रूप में सिफारिश करते समय यह भी सिफारिश की है कि शुल्क दर में सम्भव कमी की जा सकती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक खण्ड ३४ तथा अनुसूची के संशोधनों का सम्बन्ध है, तीन बातें उठाई गई हैं । राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना दर में कोई कमी न की जाय; बिना पूर्व मंजूरी के कोई वृद्धि न की जाये तथा बिना पूर्व मंजूरी के छूट में परिवर्तन न किया जाये ।

जहां तक वृद्धि करने का सम्बन्ध है यह तो सभी की राय है कि राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना कर-दाताओं पर और अधिक भार नहीं डाला जा सकता है । कोई भी ऐसा दृष्टान्त मेरे सामने नहीं रखा गया है जिस में ऐसा किया गया हो । जहां तक कमी करने का सम्बन्ध है । मेरा ध्यान अनुच्छेद ११७ की ओर आकर्षित किया गया है । इस अनुच्छेद के परादिक के अन्तर्गत कुछ विशेष मामलों में बिना राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के कमी की जा सकती है । अनुच्छेद २७४ में परादिक का न होना इस प्रकार बतलाया गया है । राष्ट्रपति तो केवल एक उच्चतम सीमा निर्धारित कर देते हैं तथा उस सीमा तक कोई भी कमी की जा सकती है । जहां तक अनुच्छेद ११७ का सम्बन्ध है उस के बारे में यह सदन कमी या वृद्धि कर सकता है । केन्द्रीय राजस्व के सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रियों से सलाह ले किन्तु जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है अनुच्छेद २७४ में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी ली जाये क्योंकि शायद उसे राज्यों की सलाह लेनी पड़ती है यद्यपि यह बात स्पष्ट रूप से नहीं रखी गई है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस संबंध में भारत शासन अधिनियम तथा संविधान में काफी अन्तर है । भारत शासन अधिनियम के अन्तर्गत सपरिषद् राष्ट्रपाल को अपने विवेक के अनुसार मंजूरी देनी पड़ती थी जब कि राष्ट्रपति मंजूरी देने के लिये केवल अपने मंत्रियों से परामर्श करते हैं । अतएव पहल लेने के सम्बन्ध में उन का क्षेत्र बहुत सीमित हो जाता है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : राष्ट्रपति को मंजूरी देने से पहले विधेयक या संशोधन के सम्बन्ध में हर तरह से संतुष्ट हो लेना पड़ता था । यह बात हमारे संविधान में जान कर नहीं रखी गई है ।

श्री रघुरामय्या : वास्तव में अन्तर है । यह एक ऐसा मामला है जिस में राज्यों को भी दिलचस्पी है । यह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह राज्यों से परामर्श करते हैं अथवा नहीं । मंजूरी देते समय वह इस बात को ध्यान में रखेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपाल को इस बात की छूट थी कि वह अपने सदस्यों की राय ले या न ले । परन्तु जहां तक प्रान्तों का सम्बन्ध था उसे उन से परामर्श करना ही पड़ता था । परन्तु हमारे संविधान् में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है । मुझे इन सब बातों पर विचार करने के लिये समय चाहिये क्योंकि इस सम्बन्ध में दिया गया निर्णय भविष्य में भी काम आयेगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं चाहता हूं कि अपना निर्णय देने से पहले आप इस बात पर विचार कर लें कि इस समय जो कुछ हम अनुच्छेद २७४ के अन्तर्गत कर

रहे हैं क्या वह कर में परिवर्तन करना है, चाहे कर की कोई परिभाषा क्यों न हो। यदि हम इस निश्चय पर पहुंचते हैं कि ऐसा करना परिवर्तन करना नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ निर्धारित नहीं की गई है—तो हमारे सामने सारा ही क्षेत्र खुला हुआ है .....

उपाध्यक्ष महोदय : विधि मंत्री इस से सहमत नहीं हैं।

श्री सी० डी० शमुख : मैं केवल सुझाव रख रहा हूं। जब आप बोल रहे थे तो आप ने इस का उल्लेख नहीं किया था। मैं केवल यह चाहता हूं कि आप इस का भी ध्यान रखें।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां। सरकार की ओर से रायों में फर्क है। मैं ने तो विधि मंत्री को यह कहते सुना था कि परिवर्तन करने का सम्बन्ध न केवल उस कर से है जो अलग हुआ है बल्कि उस से भी जो लगाया जाने वाला है। मुझे इस महत्वपूर्ण मामले पर विचार करना होगा।

श्री बिस्वास : मैं ने यह कहा था कि 'परिवर्तन' शब्द वर्तमान कर तथा पहली बार लगाये जाने वाले नये कर दोनों पर ही लागू होता है।

श्री **एच० एन० मुकर्जी** : मेरे विचार में राष्ट्रपति को उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं करनी चाहिये तथा वित्त मंत्री को सदन की राय को ध्यान में रखते हुए मंजूरी प्राप्त करनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : उच्चतम सीमा तो वैसे ही वर्तमान रहती है। जब आप कर-दाताओं पर भार बढ़ाना चाहते हैं तो आप को मंजूरी लेनी ही पड़ेगी। वैसे तो वित्त मंत्री सदन की राय राष्ट्रपति के सामने रखेंगे ही। यदि सदन उच्चतम सीमा में वृद्धि करना चाहता है तो वित्त मंत्री अवश्य राष्ट्रपति के सामने इस बात को रखेंगे।

श्री **एस० एस० मोरे** : क्या इस का यह अर्थ हुआ कि हम अपने संशोधन कर में वृद्धि करने के लिये भी रख सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं। आप उस के बारे में यहां पर केवल चर्चा कर सकते हैं।

हम इस विषय पर चर्चा करते हुए अब लगभग ३ घंटे हो गये हैं। यदि कोई माननीय सदस्य अब भी यह समझते हैं कि वह कुछ और कहना चाहते हैं तो वे मेरे पास लिख कर भेज सकते हैं। अन्तिम निर्णय देने से पूर्व मैं उन सब बातों पर विचार करूंगा।

अतएव, यह सरकारी संशोधन उठा रखा जायेगा। जहां तक उन संशोधनों का सम्बन्ध है जो दर में वृद्धि करने के बारे में नहीं हैं, उन को सदन के मतदान के लिये रखा जायेगा।

श्री बर्मन का संशोधन संख्या ६५५; श्री कृष्ण चन्द्र के संशोधन संख्या ६४२, ४२१; श्री उदय शंकर दुबे का संशोधन संख्या १३८; श्री बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला का संशोधन संख्या ६६८; श्री सी० आर० इय्युनी का संशोधन संख्या ४४२; श्री श्री चन्द सिंघल का संशोधन संख्या १४२; श्री वी० बी० गांधी का संशोधन संख्या २८३; श्री शोभा राम का संशोधन संख्या १४४; श्री एस० वी० रामस्वामी का संशोधन संख्या १४५; श्री होतीलाल अग्रवाल का संशोधन संख्या ६५६; श्री टेकचन्द के संशोधन संख्या २७८ तथा २८४ अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार अब केवल वही संशोधन बच रहे हैं जो खण्ड (ख) में छूट की सीमा में वृद्धि या कमी करना

[उपाध्यक्ष महोदय]

चाहते हैं । यदि विचार करने के पश्चात् मैं इस निश्चय पर पहुंचता हूं कि राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है तो मैं उन्हें सदन के सम्मुख रखूंगा; अन्यथा वे उस समय तक उठा रखे जायेंगे जब तक कि राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त नहीं कर ली जाती है ।

खंड ३५ (मुख्य मूल्य इत्यादि)

श्री एच० जी० वैष्णव : मेरा प्रस्ताव यह है :

पृष्ठ २१ की पंक्ति २२ में,

शब्द "property" ["सम्पत्ति"] के पश्चात् " except agricultural lands " ["कृषि भूमियों के अतिरिक्त"] निविष्ट किया जाये ।

श्री **पाटस्कर** : मेरा प्रस्ताव है :

पृष्ठ २१ की पंक्तियों २२ तथा २३ में,

"in the opinion of the controller " ["नियंत्रक के मतानुसार"] शब्द विलोपित किये जायें ।

पृष्ठ २१ की पंक्तियों २३ और २४ में,

"of the deceased's death"["मृत व्यक्ति की मृत्यु के"] शब्दों से स्थान पर "when the duty is determined" ["जबकि शुल्क निश्चित की जाये"] रखा जाये ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: मेरा प्रस्ताव है :

पृष्ठ २१ की पंक्ति २४ में, अन्त में यह जोड़ा जाये :

"after taking in to consideration that the whole of the property may have to be placed on the market at one and the same issue." ["इस बात को ध्यान में रख कर कि कदाचित् सारी सम्पत्ति को एक बार में ही बिक्री के लिए रखना पड़े"]

श्री एच० जी० वैष्णव : मेरा प्रस्ताव है :

पृष्ठ २१ की पंक्ति २४ में, यह जोड़ा जाये :

"Provided that where it is proved to the satisfaction of the Controller that the value of the property has depreciated by reason of the death of the deceased in the depreciation will be taken into account in fixing the price."

["परन्तु यदि नियंत्रक के समक्ष संतोषजनक रीति से यह सिद्ध कर दिया जाये कि मृतव्यक्ति की मृत्यु हो जाने के कारण सम्पत्ति का मूल्य गिर गया है तो मूल्य निश्चित करते समय इस कमी को ध्यान में रखा जायेगा।"]

श्री एच० जी० वैष्णव : मेरा प्रस्ताव है :

पृष्ठ २१ में पंक्तियों २५ से ३४ के स्थान पर यह आदिष्ट किया जाय :

"(2) The principal value of the agricultural land will be estimated at the fixed rate of twenty times the land revenue as value chargeable thereof for the purpose of levying estate duty."

["(२) सम्पदा शुल्क लागू करने के लिए मूल्य निर्धारित करते समय कृषि भूमि का मुख्य मूल्य लगान से बीस गुना अनुमानित किया जायेगा ।"]

श्री तुलसीदास : मेरा प्रस्ताव है :

पृष्ठ २१ में पंक्तियों २५ से ३० तक के स्थान पर यह आदिष्ट किया जाये :

"(2) In estimating the principal value under this section the Controller shall fix the price of the property according to the market price at the time of the deceased's death and shall make reasonable reduction in the estimate on account of the fact that the whole property is to be placed on the market at one and the same time and further where it is proved to the satisfaction of the Controller that the value of the property has depreciated by reason of the death of the deceased, such depreciation shall also be taken into account in fixing the price."

["(२) इस खंड के अन्तर्गत मुख्य मूल्य का अनुमान करते समय नियंत्रक सम्पत्ति का वही मूल्य निश्चित करेगा जो कि मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय का बाज़ार मूल्य था और उस अनुमान में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सारी सम्पत्ति को एक बारगी ही बेच दिया जाता है वह कमी कर देगा और इससे अग्रेतर यदि नियंत्रक के समक्ष सन्तोषजनक रीति से यह सिद्ध कर दिया जाये कि मृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के कारण सम्पत्ति का मूल्य गिर गया है, तो मूल्य निश्चित करते समय इस कमी को भी ध्यान में रखा जायेगा ।"]

श्री सी० आर० मुदलियर (कुम्बकोणम): मेरा प्रस्ताव है :

पृष्ठ २१ की पंक्तियों २७ से ३० तक में से यह विलोपित कर दिया जाये :

"and shall not make any reduction in the estimate on account of the estimate being made on the assumption that the whole property has to be placed on market at one and the same time."

["और इस आधार पर कि अनुमान इस कल्पना पर लगाये गये थे कि समस्त सम्पत्ति को एक साथ ही बेच दिया जाना है, कोई कमी नहीं की जायेगी ।"]

श्री वी० पी० सिंह : मेरा प्रस्ताव है :

पृष्ठ २१ में पंक्ति ३४ के बाद यह जोड़ा जाये :

"(3) valuation of the agricultural land for estate duty shall be ten or twenty times of its rental value."

["(३) सम्पदा शुल्क के लिए कृषि भूमि का मूल्यांकन उसके लगान की रक़म का दस या बीस गुना होगा ।"]

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मेरे समक्ष उन मध्यवर्ती परिवारों का चित्र है जिन की छोटे नगरों में सम्पत्तियां हैं । अधिक सम्पत्ति रखने वालों की सम्पत्ति देश में चारों ओर फैली होती है और इससे उन पर इस खंड का प्रभाव नहीं पड़ेगा । छोटे स्थानों में यदि अधिक सम्पत्ति का एक साथ विक्रय होता है तो मूल्य एक दम कम हो जाते हैं । यह निश्चित है कि ऐसा नहीं होने दिया जाना चाहिये ।

श्री तुलसीदास : मैं अपने संशोधन पर प्रकाश डाल रहा हूं। खंड में इस बात को स्वीकार किया गया है कि जबकि समस्त सम्पत्ति बाज़ार में बेची जायेगी तो मूल्य गिर जायेंगे। संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन में भी ऐसे ही एक विधान के कारण कुछ छोटे छोटे व्यवसायों को बहुत कठिनाई उठानी पड़ी थी और उस समय राष्ट्रीय निर्माता संघ में इंग्लैण्ड ने आन्तरिक राजस्व अधिकारियों के समक्ष यह प्रतिनिधान किया था कि इस धारा के अनुसार नियंत्रक उस मूल्य का ध्यान नहीं रखता है जो कि किसी व्यवसाय विशेष को बाज़ार में चढ़ा देने से मिलेगा। छोटे व्यवसायी को इतना शुल्क देना होगा कि उसे समस्त व्यवसाय को ही बेच देना होगा। इसीलिये मैंने यह सुझाव दिया है कि यदि सम्पत्ति को एक बार ही बाज़ार में चढ़ा देना है तो इसके कारण मूल्यों में जो कमी आयेगी उसका ध्यान भी उसको रखना चाहिये। मूल विधेयक में ऐसी परिस्थिति में सहायता प्राप्त होने के स्थान पर अधिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। और यह कठिनाइयां छोटे व्यवसायियों के लिए बहुत विषम होंगी। इसीलिये मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है।

श्री पाटस्कर : मेरा संशोधन यह है कि मूल पाठ में से यह शब्द "in the opinion of the Controller" ["नियंत्रक के मतानुसार"] निकाल दिये जायें। यह खंड इंग्लैण्ड के अधिनियम से ज्यों का त्यों ले लिया गया है। केवल 'आयुक्त' के स्थान पर यहां 'नियंत्रक' रख दिया गया है। इसका कारण यह है कि जब मामला किसी अफ़सर विशेष के विवेक तथा सम्मति पर छोड़ दिया जाता है तो न्यायालय को केवल यही ज्ञात करना होता है कि क्या वह वास्तव में उसकी सम्मति थी। इसके अतिरिक्त जब तक निर्णय के विरुद्ध अपील करने का प्रावधान न हो तब तक उससे लाभ नहीं हो सकता है। इन शब्दों को बाद को ग़लत तरीक़े से समझा जायेगा। यदि अपील में एक बार यह सिद्ध हो गया कि नियंत्रक की यह सम्मति थी तो फिर इसके विरुद्ध कहना कठिन होगा। मूल्यांकन का कार्य नियंत्रक करेगा। आशय केवल यही है कि उसकी सम्मति इस सम्बन्ध में अन्तिम बात नहीं होनी चाहिये। अंगरेज़ी अधिनियम में ज़िला अदालतों तथा उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। वहां के विधेयक में इस जैसा एक उपबन्ध रखा तो गया है पर तो भी उसकी समस्त योजना एक दम भिन्न है। वहां किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर मूल्यांकन के सम्बन्ध में ज़िला अदालतों में तथा कुछ विशिष्ट मामलों में उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अतः यदि शब्दों को रखा गया तो इनका दुरुपयोग किया जायेगा क्योंकि स्वयं अधिनियम के अनुसार इस सम्मति को माना ही जाता है।

एक बात और भी है और उसे मैंने संशोधन के अन्तिम भाग में स्पष्ट किया है। मान लीजिये कि कोई व्यक्ति सन् १९५४ में मरता है, उस समय सम्पदा शुल्क लागू होती है। एक दूसरे खंड के अनुसार बारह वर्ष के भीतर सम्पदा शुल्क की वसूली सम्बन्धी कार्यवाही की जा सकती है। कार्यवाही एक वर्ष तक चल सकती है। और उस समय वह मूल्य निश्चित होगा जो १३ वर्ष पहले उस सम्पत्ति का हो सकता था, और यह निश्चय करना बहुत कठिन है। मेरा सुझाव यह है कि सम्पदा शुल्क वसूल करते समय ही उस सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जाये। अतः प्रश्न केवल यह है कि किस मूल्य के आधार पर शुल्क लगाया जाये—मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय आज से १२ वर्ष पहले के मूल्य पर कर लगाया जाये अथवा उस मूल्य पर कर लगाया जाये जो कर निर्धारण के समय था। सरकार तथा करदाता दोनों के ष्टिकोण

से जब कर निर्धारित किया जाये उसी समय मूल्य निर्धारित किया जाना वांछनीय है । ऐसे मूल्य पर जो कई वर्ष पहले मिल सकता था कर निर्धारण करना ठीक नहीं है । भारत की आर्थिक स्थिति बहुत डांवाडोल हो रही है । कोई नहीं कह सकता कि दस वर्ष बाद मूल्य चढ़ेंगे या गिरेंगे । इस सम्बन्ध में सन् १९१० में इंग्लैण्ड में जो कुछ किया गया था उसका अंधानुकरण करना ठीक नहीं है । अतः मेरा निवेदन है कि सरकार के हित को देखे तथा करदाता के हित को देखे उसी मूल्य पर कर निर्धारित किया जाना चाहिये जो कि कर निर्धारण के समय उस सम्पत्ति का हो ।

श्री एस० एस० मोरे : मुख्य मूल्य कौन निश्चित करेगा ।

श्री पाटस्कर : नियंत्रक । मेरा तो यही निवेदन है कि उसकी सम्पत्ति ही अन्तिम बात नहीं होनी चाहिये ।

श्री एस० एस० मोरे : खंड ४ के उपखंड (३) में यह उपबन्ध है कि केन्द्रीय सरकार कुछ मूल्यकों को नियुक्त करेगी जो कि सरकारी नियंत्रण से मुक्त रह कर अपना कार्य करेंगे और कोई उलझा हुआ मामला आ जाने की दशा में नियंत्रक की सम्मति ज्ञात कर सकते हैं ।

श्री पाटस्कर : नियंत्रक द्वारा मूल्य निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु इस खंड का यह आशय भी लिया जा सकता है ऐसे मामलों में उसकी सम्मति अन्तिम होगी । अतः यदि इन शब्दों को रखा जायेगा तो इन से परेशानी बढ़ जाने की अधिक सम्भावना है, और मुझे विश्वास है कि कार्यपालिका के हाथों इसे सदैव ही समुचित रीति से काम में नहीं लाया जायेगा ।

श्री टेकचन्द : मैं पूर्व वक्ता के कथन का अक्षर अक्षर समर्थन करता हूं । यदि बाज़ार मूल्य निश्चित करने का दायित्व केवल नियंत्रक पर ही रखा गया तो लोगों की अपेक्षा सरकार के समक्ष अधिक खतरा रहेगा । ऐसा प्रश्न उठने पर यह निर्धारित करना आवश्यक होगा कि क्या नियंत्रक के मतानुसार वही बाज़ार मूल्य था । साथ ही नियंत्रक को ऐसे अधिकार दे दिये गये हैं जो कि राजस्व परिषद् तक को नहीं दिये गये हैं ।

मान लीजिये एक सम्पत्ति का बाज़ार मूल्य एक लाख रुपये है, कोई नियंत्रक को घूस देकर उसका बाज़ार मूल्य चालीस हज़ार निर्धारित करा लेता है, तो सरकार को इतने राजस्व की हानि उठानी पड़ेगी । सरकार द्वारा अपील किये जाने पर राजस्व परिषद् साफ़ कह देगा कि बाज़ार मूल्य निश्चित करना नियंत्रक का काम है और उसी को इसका अधिकार है । इस प्रकार आप कर निर्धारक अधिकारियों को बाज़ार मूल्य निश्चित करने के अधिकार से वंचित करते हैं । इसका परिणाम यह होगा कि राजस्व परिषद् के लिए ऐसी अवस्था में जब कि मूल्यों को जान बूझ कर या तो अतिशय बढ़ा दिया गया होगा या अतिशय कम कर दिया गया होगा, वास्तविक बाज़ार मूल्य ज्ञात करना, बहुत कठिन होगा ।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि उपखंड (१) तथा (२) परस्पर विरोधी हैं । उपखंड (१) में इस बात पर बल दिया गया है मूल्य मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय के बाज़ार मूल्य के आधार पर निश्चित किये जाने चाहियें । यदि बाज़ार मूल्य ही रखने हैं तो एक व्यक्ति की सम्मति के अनुसार उसमें पक्षपात क्यों किया जाये । उपखंड (२) में कहा गया है कि समस्त सम्पत्ति एक साथ ही बाज़ार में चढ़ा दी जायेगी । ऐसा करने से

[श्री टेकचन्द]

मूल्य खुले बाज़ार का न रह कर बन्द अथवा सीमित बाज़ार का होगा । समस्त सम्पत्ति के एक साथ बाज़ार में चढ़ा देने से खुले बाज़ार का मूल्य ज्ञात करना सम्भव नहीं हो सकेगा ।

मान लीजिये सम्पत्ति किसी ऐसे गांव में है जिसमें केवल एक ही व्यक्ति धनी है और शेष सब निर्धन हैं । सारी सम्पत्ति के एक साथ बाज़ार में चढ़ा देने से गांव वाले उसे ख़रीद ही नहीं सकेंगे क्योंकि मूल्य चुकाने के लिये उनके पास पैसा ही नहीं होगा । परिणाम यह होगा कि सम्पत्ति का बाज़ार मूल्य वसूल नहीं होगा । मूल्य एक दम से गिर जायेंगे ।

दूसरा उदाहरण लीजिये । किसी छोटे से नगर में कोई संक्रामक रोग फैलता है और बहुत से व्यक्ति मर जाते हैं । उनकी सम्पत्तियां बाज़ार में चढ़ा दी जायेंगी और नतीजा यह होगा कि मूल्य एक दम गिर जायेंगे ।

तीसरा उदाहरण लीजिये । ईश्वर न करे हमारे देश में क्वेटा जैसा भूकम्प आ जाये । सैंकड़ों व्यक्ति मर जायेंगे । और क्योंकि खरीदारों की संख्या नहीं के बराबर होगी इसलिये सम्पत्ति का मूल्य मिट्टी बराबर हो जायेगा । परन्तु इस खंड के अनुसार इस परिस्थिति पर विचार नहीं किया जायेगा । इससे निम्न वर्ग को ही अधिक हानि होगी । बम्बई जैसी महानगरी में यदि कोई करोड़पति मर जाये तो उसकी सम्पत्ति को ख़रीदने वाले अनेकों करोड़पति मिल जा सकते हैं, इसलिये मूल्य गिरने की ये आशंका प्रकट की गई है वह कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली जैसे शहरों के लिए निरर्थक है । तो यदि खुले बाज़ार मूल्य ही अभीष्ट हैं तो उस पर इतनी पाबन्दियां क्यों । सारी सम्पत्ति के बाज़ार में चढ़ जाने से तो खुला बाज़ार रहेगा नहीं । अत: यदि आप सभी कुछ नियंत्रक के विवेक पर ही छोड़ देना चाहते हैं तो कृपया खुले बाज़ार की बात न कीजिये ।

श्री एच० जी० वैष्णव : यदि खेती की ज़मीन पर बाज़ार मूल्य का सिद्धान्त लगाया जायगा तो इस से ज़मीन के मूल्य निर्धारण करने में बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि गांव की दशाओं तथा अन्य बातों के कारण प्रत्येक गांव में ज़मीन का मूल्य भिन्न होगा । इसी लिये मैंने अपने संशोधन में यह सुझाव रखा है कि इन ज़मीनों पर सरकार जो राजस्व निर्धारण करती है उसी के आधार पर ही ज़मीन का मूल्य निर्धारण किया जाना चाहिए । मैं ने यह भी सुझाव रखा है कि सम्पदा शुल्क के सम्बन्ध में ज़मीन का मूल्य किसान द्वारा सरकार को दिये जाने वाले भू-राजस्व का बीस गुना होना चाहिये । इस से ज़मीन के मूल्य में शीघ्र परिवर्तन नहीं होंगे और इस प्रकार का मूल्य निर्धारण प्रशासन की दृष्टि से भी सुविधाजनक होगा ।

एक माननीय सदस्य : माफ़ी वाली ज़मीन के बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री एच० जी० वैष्णव : ऐसी ज़मीन पर सरकार कर निर्धारण करती है किन्तु वह लिया नहीं जाता । कोर्ट फीस अधिनियम के अन्तर्गत कोर्ट फीस के लिये भी दिये जाने वाले राजस्व के आधार पर ही जमीन का मूल्य निर्धारित किया जाता है । मकानों और बागों के मामले में बाजार मूल्य ही कोर्ट फीस का आधार होता है और इस मामले में बाजार मूल्य का आसानी से निर्धारण किया जा सकता है ।

इस उपाय का सुझाव मुख्य रूप से मैं ने इस कारण दिया है क्योंकि गांवों में सम्पत्ति, विशेषकर ज़मीन का मूल्य निर्धारण उचित रूप से नहीं किया जाता । सरकार द्वारा

नियुक्त किये गये मूल्यांकक तथा नियंत्रक अधिकतर शहरों के रहने वाले होंगे जिन में से बहुत से गांवों की दशा से अपरिचित होने के कारण ज़मीन का मूल्य, ठीक प्रकार से निर्धारित नहीं कर सकेंगे। इस लिये ज़मीन का मूल्य राजस्व के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिये। इस से सभी ज़मीनों के मूल्य स्थिर हो जायेंगे।

एक और कठिनाई है। कई राज्यों में भूमि सुधार किया गया है। इस भूमि सुधार के अनुसार सरकार ज़मीन के बारे में एक अधिकतम सीमा निर्धारित कर देगी और जिस के पास उस अधिकतम सीमा से अधिक भूमि होगी उसे सरकार क्षतिपूर्ति देकर अपने कब्ज़े में ले लेगी। किन्तु सरकार कितनी क्षति-पूर्ति देगी ? हैदराबाद सरकार राजस्व से १० या १५ गुना अधिक क्षतिपूर्ति देगी। इस प्रकार किसी ज़मीन को राजस्व यदि २० रुपया है तो उस पर ३०० रुपया क्षतिपूर्ति दी जायगी। बाजार मूल्य के आधार पर मूल्यांकक इसे प्रति एकड़ १,००० रुपया निर्धारित करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने खंड ५ पारित कर दिया है इसलिये संशोधन संख्या ३९० अवरुद्ध हो गया है जिस के द्वारा आप खेती की ज़मीन के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति को छोड़ देना चाहते हैं। क्या ऐसा करना उस के विपरीत नहीं होगा जो हम ने पहिले ही पारित कर दिया है ?

श्री एच० जी० वैष्णव : मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि इस का मूल्यांकन कैसे किया जाय। इस का मूल्यांकन भू-राजस्व के निर्धारित दर पर किया जाय, जिसे सरकारी अधिकारी ज़मीन की किस्म का ध्यान रखते हुए निर्धारित करते हैं। यदि ऐसा कोर्ट फीस के मामले में किया जाता है तो मैं नहीं समझ पाता कि सम्पदा शुल्क निर्धारण करने के मामले में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से उन किसानों की जिन्हें यह नहीं पता कि उन की ज़मीन का मूल्यांकन किस प्रकार किया जायगा, कठिनाई भी दूर हो जायगी।

प्रायः सभी राज्यों में काश्तकारी सम्बन्धी कानून हैं, जिन के अन्तर्गत मालिक अपनी ज़मीन का पूरा फायदा नहीं उठा सकता। क्योंकि यदि एक बार वह अपनी ज़मीन को किसी किसान को पट्टे पर दे देता है तो वह कुछ खास कानूनों के अन्तर्गत उसे बेदखल नहीं कर सकता। उसे काश्तकारी सम्बन्धी कानून के अन्तर्गत कुछ नियमों के अनुसार आपस में किये गये समझौते के अनुसार कुछ क्षति-पूर्ति मिलती है। हैदराबाद काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत ज़मीन के मालिक को अधिक से अधिक भू-राजस्व का आठ गुना मिलेगा। १० रुपये भू-राजस्व वाली ज़मीन पर उसे ८० रुपये का मुआवजा प्रति वर्ष मिलेगा, जब कि बाजार मूल्य के अनुसार उस का मूल्यांकन १०,००० या १५,००० रुपया हो सकता है। अतः मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार के मूल्यांकन से उसे क्षति-पूर्ति देना ज़मीन के मालिक के हित में न होगा। अतः खेती की ज़मीन के मूल्यांकन के सम्बन्ध में कुछ रियायत देना बहुत आवश्यक है।

जिन व्यक्तियों का पूरा जीवन खेती के काम में बीता है वे भी ज़मीन का मूल्यांकन ठीक तरह से नहीं कर सकते। किसी समय किसी ज़मीन का मूल्य १०,००० रुपया हो सकता है और कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसका मूल्य १,००० रुपया ही आंका जाय। इसी कारण मैं ने यह सुझाव दिया है कि इन सब कठिनाइयों का सामना करने की अपेक्षा क्या यह बात सरकार के हित में नहीं होगी कि वह इन सब कठिनाइयों को दूर करके

[श्री एच० जी० वैष्णव]

सम्पदा शुल्क के मामले में ज़मीन का मूल्य भू-राजस्व का बीस गुना निर्धारित कर दे ? मैं समझता हूं कि ऐसा करने से सभी बातें गरीब किसान के अनुकूल हो जायेंगी और सरकार की प्रशासन सम्बन्धी कठिनाइयां भी दूर हो जायेंगी ।

मेरे तीसरे संशोधन सख्या ३९१ का सम्बंध इस बात से है कि खंड ३५ में यह दिया हुआ है कि यद्यपि मालिक की मृत्यु के बाद सम्पत्ति का मूल्य कम हो जाता है, किन्तु कर निर्धारण के मामले में इस प्रकार सम्पत्ति का जो मूल्य कम हो जायगा उस का ख्याल नहीं रखा जायगा । मेरा निवेदन यह है कि ऐसा करना बहुत अनुचित है विशेष कर ज़मीन के मामले में बहुत ही अनुचित है क्योंकि मालिक की मृत्यु के बाद ज़मीन या सम्पत्ति का मूल्य कम हो ही जाता है । सम्पदा-शुल्क लगाने के मामले में इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिये ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): मैं पाटस्कर की कुछ बातों का समर्थन करता हूं । उन्होंने कहा कि "नियंत्रक की सम्मत्ति में" शब्दों को छोड़ दिया जाय क्योंकि इस से कर-दाताओं को कठिनाई होगी । हम जानते हैं कि जीवित व्यक्ति को मृत व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति पर सम्पदा-शुल्क देना पड़ेगा । इस सम्बन्ध में हमें यह बात रखनी चाहिये कि मृत व्यक्ति की मृत्यु तथा सम्पदा शुल्क लगाये जाने के बीच कुछ समय का अन्तर होता है और इस बीच में कई नई बातें पैदा हो सकती हैं । हमें इस सम्बन्ध में और भी बातों का ध्यान रखना चाहिये । अतः किसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य निर्धारण करना बड़ा जटिल काम है तथा मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय ज़मीन के बाजार मूल्य पर निर्भर करना भी कठिन है । शुल्क लगाते समय ही बाजार मूल्य का पता लगाना अच्छा है । मैं समझता हूं कि उप-खंड (२) का परन्तुक अनावश्यक है । इस के सम्बन्ध में मैं यह नहीं समझ पाता कि किसी व्यक्ति की मृत्यु पर किसी सम्पत्ति का मूल्य कैसे कम हो जाता है । यह मूल्य तो बाजार तथा सम्पत्ति की मांग पर और यदि यह जमीन है तो यह उस के उपजाऊ होने पर निर्भर करेगा ।

श्री ए० एम० टामस : कम्पनियों या फर्मों के बारे में क्या होगा ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : कम्पनी या फर्म का मूल्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वह किस प्रकार का व्यापार करते हैं और किस प्रकार का माल बेचते हैं । इस लिये मैं समझता हूं कि इस परन्तुक को हटा देना चाहिये ।

मैं समझता हूं कि "यदि नियंत्रक सन्तुष्ट हो" शब्द अनावश्यक हैं । इन को इस में रखने का परिणाम यह होगा कि धनी लोग नियंत्रक को रिश्वत दे कर अपना मतलब हल कर सकते हैं । इस से मध्य वर्ग के व्यक्तियों को हानि होगी । अतः इन शब्दों को हटा देना चाहिये ।

श्री एम० सी० शाह : इस पर काफी चर्चा हो चुकी है । मेरा निवेदन है कि अब इस विषय पर चर्चा समाप्त की जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"इस विषय पर चर्चा समाप्त की जाय"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

श्री सी० डी० देशमुख : उपाध्यक्ष महोदय, हम ने यह उपबन्ध इंगलैण्ड के अधिनियम से लिया है । हमें तो सम्पत्ति के उस समय के मूल्य से प्रयोजन है जो मृत्यु के समय आंका जाय । यहां कुछ

नियम दिये गये हैं और मैं डायमण्ड की पुस्तक के पृष्ठ ५६० से कुछ कुछ अंश आप को सुनाता हूं । वह कहता है :

"जब सम्पत्ति, मृत्यु के कुछ ही समय पश्चात्, वास्तव में, खुले बाज़ार में बेच दी गई हो तो प्राप्त होने वाली कुल धनराशि ही सामान्य रूप से, उस सम्पत्ति का मूल्य, समझा जायगा ।"

जहां तक मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाले अन्तर का सम्बन्ध है पृष्ठ २३५ पर लिखा है :

"जब इंग्लैण्ड के राजस्व के आयुक्तों के सामने यह प्रमाणित कर दिया जाय कि स्वामी की मृत्यु के कारण सम्पत्ति का मूल्य कम हो गया है तो मूल्य निर्धारण करने में ऐसे अवक्षयण (Depreciation) का ध्यान रक्खा जायगा । उदाहरण के लिये मृतक के अभूतपूर्व व्यक्तित्व की हानि से या उन विशेष सेवाओं के अभाव के कारण जो उस के द्वारा किसी कम्पनी या सम्पत्ति को प्राप्त होती थीं कुछ अवक्षय होना संभव है"

अतः जब हम ने यह उपबन्ध बनाया था तो इस प्रकार के मामले हमारे विचार में थे ।

श्रीमान्, आश्चर्य तो इस बात का है कि क्या इसी प्रकार के व्याख्यान हुए होते यदि राष्ट्रीयकरण के लिये सम्पत्ति अर्जन के सम्बन्ध में हम सम्पत्तियों के मूल्यांकन पर विचार कर रहे होते । आशा तो यह है कि जो तर्क अभी दिये गये हैं उस दशा में उस के ठीक उलटे तर्क दिये गये होते अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति ने इस उपखण्ड (२) का सहर्ष स्वागत किया होता । यदि किन्हीं परिस्थियों में यही बात ठीक हो सकती थी तो, मेरा विचार है, आज की परिस्थिति में भी यह बात ठीक है । अधिकतर माननीय सदस्यों ने—और मेरा विचार है सभी ने—जिन्हों ने इन संशोधनों का समर्थन किया है ऐसे उदाहरण दिये हैं जो अपवाद कहे जा सकते हैं । किसी ने सोचा है मृत्यु के तेरह वर्ष बाद । किसी न सोचा है कि एक भूकम्प आ जायगा जिस से सभी मकान नष्ट हो जायेंगे, सभी निवासी मर जायेंगे और उस हालत में वह प्रश्न पूछता है, "उस समय सम्पत्ति का क्या मूल्य होगा ?" मेरा कहना है "ऐसी हालत में क्योंकि सम्पत्ति ही न रहेगी तो सम्पत्ति के मूल्यांकन का प्रश्न ही नहीं उठता है" । अतः सामंजस्य स्थापित करने के लिए, मेरा विचार है, कि हमें अपने को साधारण उदाहरणों तक ही सीमित रखना चाहिये और साधारणतः हमें न तो महामारी की आशा करनी चाहिये, न भूकम्प की और न असाधारण विलम्बन की । साधारणतः मृत्यु तथा सम्पत्ति के मूल्यांकन में बहुत अधिक समय बीतने की आशा नहीं है ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि प्रासंगिक बिन्दु पर सदन का निर्णय हो जाने के बाद भी, माननीय सदस्य इसी विचार पर बारबार जोर दे रहे हैं कि, मूल्यांकन के विरुद्ध न्यायालय में किसी प्रकार का पुनर्वाद प्रस्तुत करने का अधिकार होना चाहिये । मेरी समझ में नहीं आता है कि आप, वास्तव में, नियन्त्रक के मूल्यांकन के बिना काम कैसे चला सकते हैं । मूल्यांकन तो नियंत्रण के द्वारा ही होता है वह चाहे उस के मत के अनुसार हो या उस के सन्तोष के अनुसार हो । जैसे ही आप कहते हैं कि मूल्यांकन तो वही होगा जैसा कि वह वास्तव में है, आप नियंत्रक का मूल्यांकन करने का अधिकार खतम कर देते हैं । आप न्यायालय के पुनर्वाद के लिये इस मामले को अनिश्चित छोड़ देते हैं । पुनर्वाद सम्बन्धी खण्ड में—खण्ड ६१—इन शब्दों का प्रयोग किया गया है : "जैसा कि नियंत्रक द्वारा निश्चय किया जाय" । अस्तु मुझे जान पड़ता है पहला क़दम यह है कि नियंत्रक

[श्री सी० डी० देशमुख]

अपनी बुद्धि के अनुसार निश्चय करेगा—क्योंकि और किसी के बुद्धिबल के प्रयोग का यहां प्रश्न ही नहीं है—केवल उस को छोड़ कर जो मैं मूल्यांकन के सम्बन्ध में कहने जा रहा हूं। और मेरा विचार है कि माननीय सदस्यों ने जो आपत्तियां उठाई हैं उस का यही पर्याप्त उत्तर है।

जहां तक मूल्यांकन का प्रश्न है व्याख्यान देने वाले अन्तिम सदस्य ने कहा है कि डर इस बात का है कि कहीं सम्पत्ति का अल्पांकन न हो। यह तो ऐसी बात का डर है कि जिस का ध्यान वित्त मंत्री को रखना चाहिये; परन्तु मुझे सन्देह है कि ऐसे उदाहरणों की बारंबारता इतनी अधिक नहीं होगी कि वित्त मंत्री एक ऐसा संशोधन स्वीकार कर लें जो इस विषय के मूल को ही प्रभावित करता है।

जहां तक इस मूल्यांकन का प्रश्न है, सब से पहले तो मूल्यांकनकर्ता तथा नियंत्रक इस का मूल्यांकन करेंगे और ऐसा हो सकता है कि नियंत्रक एक मूल्यांकनकर्ता से इस का मूल्यांकन करने को कहे। यदि तत्सम्बन्धी व्यक्ति को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत हो तो इस के लिये आवश्यकता यह है कि मूल्यांकनकर्ताओं का ध्यान विशेष रूप से निश्चित रीति से उस बात की ओर निर्दिष्ट किया जाय। इस लिये, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि, अधिकतर दशाओं में तो, नियंत्रक यहां तक कि मण्डली के हाथ से भी यह विषय बाहर होगा और इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करने वाली आवाज़ केवल मूल्यांकनकर्ताओं की होगी। अब विवाद ग्रस्त विषय केवल इतना है कि उन का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा तथ्यों के आधार पर न्यायालय में पुनर्वाद करने का भी अधिकार हो। हम इस निर्णय पर पहुंचे कि कम से कम प्राथमिक स्थितियों में हमें उसी मूल्यांकन पर संतोष करना चाहिये जो मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा कर दिया जाय।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि शब्द "खुला" बाजार के प्रयोग में कुछ अदृढ़ता है। उन्हों ने कहा कि खण्ड (१) खतम कर देता है.....

श्री टेकचन्द : इस में पारस्परिक विरोधाभास है।

श्री सी० डी० देशमुख : हो सकता है। विधान मण्डल को यह अधिकार प्राप्त है कि किसी शब्द को किसी अर्थ में विशिष्ट कर दे। दूसरे शब्दों में यह तो केवल एक द्वन्दात्मक विषय है। हम शब्द 'उचित' बाजार का प्रयोग कर सकते हैं। हम केवल 'बाजार मूल्य' कह सकते हैं। केवल इतना स्पष्ट किया गया है कि बाज़ार मूल्य वह है जिस में परिस्थितियां अबाध तथा खुली हुई हों परन्तु खण्ड २ में हम ने एक अपवाद निश्चित कर दिया है। इस लिये इस में विरोधाभास का कोई प्रश्न नहीं है।

अब मैं उन संशोधनों के सम्बन्ध में कहूंगा जो माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किये गये हैं। मेरा विचार है सब से अच्छा यह होगा कि मैं पहले उन संशोधनों के सम्बन्ध में कहूं जो आखिर में प्रस्तावित किये गये हैं क्योंकि वे कृष्य सम्पत्ति से सम्बन्धित हैं। माननीय सदस्य, श्री वैष्णव ने, जो मेरे पीछे बैठे हैं, अनेक संभव कठिनाइयों की ओर निर्देश किया है और उन्हों ने कहा है कि यह ज्यादा अच्छा हो कि एक ऐसा सूत्र हो, जिस से सारी कठिनाइयां दूर हो जायं। मेरा तो विचार है, श्रीमान्, कि इन तर्कों के आधार पर इन सर्वथा प्रतिकूल निर्णय पर पहुंचते हैं। यदि यह विषय इतना पेचीदा है, या इस प्रकार परिवर्तित होने वाला है तो क्या यह वास्तविक करदता अर्थात सम्पत्ति, या समाज, अर्थात

राज्य, के दृष्टिकोण से उचित होगा कि हम एक कठोर सूत्र बना लें ? इस स्थिति में मूल्यांकन को सांद्रमुद्रित या रूढ़िग्रसित बनाने का कोई भी प्रयत्न हमारे लिये विशेष रूप से दुर्भाग्य का विषय होगा क्योंकि हम ऐसे युग में हैं जब भूधारणाधिकार के अनेकानेक सुधार किये जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भूमि में किसी एक प्रकार या वर्ग के हितों का हस्तान्तरण होने जा रहा है। देश भर में भूसम्बन्धी अनेकानेक हित हैं जिन का हस्तांतरण होगा और यही हित प्रचलित विधियों द्वारा परिवर्तित किये जा रहे हैं। मेरी समझ में इस बात को तै करने के लिये यह एक निर्णायक तर्क है कि जिस के आधार पर हमें कोई कठोर सूत्र स्वीकार नहीं करना चाहिये। उदाहरण के लिये कल एक माननीय सदस्य ने, एक छोटी कृष्य सम्पत्ति के विमुक्त करने या समान्य विमुक्त सीमा के सम्बन्ध में बताया था कि भारत के कुछ भागों में भूमि का मूल्य १५,००० रुपया हो सकता है। मेरे समझ में नहीं आता कि एक ऐसा सूत्र जिस के अनुसार भूमि का मूल्य भूराजस्व का बीस गुना माना जाता है इस प्रकार के उदाहरण के सम्बन्ध में कैसे प्रयुक्त हो सकता है। दोनों ही बातें नहीं हो सकतीं। मेरा निजी विचार भी यही है कि भूमि का मूल्य अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न है। यदि आप नदी के मुहानों में जायें, कोई भी नदी हो, तो आप पायेंगे कि भूमि के मूल्य अकल्पित रूप से अत्यधिक हैं इसलिये कोई कठोर सूत्र स्वीकार करना जैसा कि अमुक माननीय सदस्य का सुझाव था सब से अधिक अनुचित होगा।

दूसरे संशोधन यह हैं : एक संशोधन १४६ है। जैसा कि मैं बता चुका हूं यह उपबन्ध इंग्लैण्ड के अधिनियम से लिया गया है; और यह आवश्यक है कि हम, तत्सम्बन्धी सम्पत्ति के एकबारगी बाजार में रख दिये जाने से उत्पन्न होने वाले संभव परिणामों के उस के स्वामी के मृत्यु के समय के वास्तविक मूल्य पर होने वाले प्रभाव की ओर कोई ध्यान न दें। उस के पश्चात् एक संशोधन संख्या १४८ श्री तुलसीदास का है। जैसा कि मैं कह चुका हूं मुझे यह विश्वास नहीं है कि कोई ऐसा भी अवसर आ सकता है जब कि बहुत सी सम्पत्तियां एक साथ बाज़ार में विक्रय के लिये रख दी जायेंगी। इस खण्ड में उपबन्ध है कि प्रधान मूल्य का आगणन करने में नियंत्रक कोई कटौती नहीं करेगा। और इस सम्बन्ध में हालांकि हम ने इंगलैण्ड के विधि का अनुसरण किया है हम इंग्लैण्ड के व्यावहारिक अनुभव का ध्यान रक्खेंगे। जहां तक हम समझते हैं इंगलैण्ड के आयुक्तों की व्यवहार पद्धति यह है कि वे उस दशा में कुछ रियायत करते हैं जब कि मृतक की किसी विशेष प्रकार की सम्पत्ति इतनी भारी हो कि मृत्यु के बाद ही उस का शुल्क शीघ्र वसूल करने के कारण बाज़ार के गिर जाने की शंका हो। और इतनी बात को छोड़ कर मेरा विचार है कि इस खण्ड को जैसा है उसी स्थिति में रखना सब के हित में होगा।

मैं चारों संशोधनों के सम्बन्ध में कह चुका और मुझे खेद है कि मैं उन में से एक भी स्वीकार करने को तय्यार नहीं हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या मैं जान सकता हूं कि यदि पुनर्वाद की दशा में मण्डली यह स्वीकार न करे कि नियंत्रक का मूल्यांकन ठीक है तो वह अपना मूल्यांकन करा सकेंगी ? दूसरी बात यह कि क्या मण्डली राजनैतिक घटनाओं की दशा में रियायत कर सकेगी या उस दशा में रियायत कर सकेगी जब कि उसी के बीच में विधि में परिवर्तन हो जावे ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह तो खण्ड ६१ के अर्थ लगानें का प्रश्न है।

श्री पाटस्कर : खण्ड ३५ के साथ पढ़े जाने पर ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह ठीक है परन्तु जब तक मैं खण्ड ३१ पर न पहुंचूं मैं यह उचित नहीं समझता कि उस का अर्थ करने लगूं ।

खण्ड ६१ के अनुसार मण्डली, पुनर्वाद का निर्णय करने के लिये ऐसी जांच करा सकती है जैसी कि वह आवश्यक विचार करे और बहस सुनने के पश्चात् उपखण्ड (४) के उपबन्धों का ध्यान रखते हुए ऐसा निर्णय कर सकती है जैसा कि वह आवश्यक समझती हो । कोई पुनर्वाद न होने पर नियंत्रक का मूल्यांकन ही अन्तिम मूल्यांकन होगा । पुर्नवाद केवल उसी दशा में प्रस्तुत किया जा सकता है जब मूल्यांकन के सम्बन्ध में कोई विवाद हो । उपखण्ड (४) के अनुसार मण्डली यदि चाहे तो, और पुनर्वाद करने वाले की प्रार्थना पर अनिवार्य रूप से, मूल्यांकन सम्बन्धी विवाद-ग्रस्त विन्दु को दो मूल्यांकन कर्ताओं की मध्यस्थता में दे देगी जिन में से एक का नामनिर्देशन मण्डली द्वारा किया जायगा ।

श्री पाटस्कर : तो, वित्त मंत्री के विचार से वे, नियंत्रक के मत को स्वीकार करने के लिये बाध्य न होंगे ।

श्री सी० डी० देशमुख : उदाहरण के लिये यदि नियंत्रक केवल इतना कहता है कि, "मैं यह मूल्य निर्धारित करता हूं" और किसी बात की ओर निर्देश नहीं करता है तो यह मान्य न होगा । कुछ निश्चित बातों की ओर उसे ध्यान देना चाहिये और कुछ विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिये ।

श्री टेकचन्द : क्या यदि नियंत्रक इन सारी बातों तथा परिस्थितियों का ध्यान करते हुए कोई मत निर्धारित करे और वह केन्द्रीय राजस्व मण्डली के मत से दूषित हो तो क्या मण्डली उस के मत को बदल सकेगी ?

श्री सी० डी० देशमुख : हां ।

श्री दाभी : क्या मैं उपखण्ड (२) के सम्बन्ध में यह जान सकता हूं कि नियंत्रक सारी सम्पत्ति का मूल्यांकन किस आधार पर करेगा—इस आधार पर कि वह सब की सब एक साथ बेची जाय या थोड़ी थोड़ी कर के ?

उपाध्यक्ष महोदय : यही मान लेने की क्या आवश्यकता है कि जैसे ही कोई मरेगा उस की सारी सम्पत्ति बेच दी जायगी ? अब मैं संशोधनों को निपटाऊंगा ।

श्री एच० जी० वैष्णव, श्री पाटस्कर, श्री टी० एस० ए० चेट्टियार, श्री सी० आर० मुदलियार तथा श्री बी० पी० सिन्हा ने अपने अपने संशोधन सदन की अनुमति से वापस ले लिये ।

श्री तुलसीदास द्वारा प्रस्तुत संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३५ विधेयक का अंग बना लिया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३५ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ३६ (अंशों का मूल्यांकन आदि)

उपाध्यक्ष महोदय : एक संशोधन (संख्या १५१) श्री तुलसीदास किलाचन्द का है । किन्तु समवाय के सन्था सम्बन्धी नियम वहां पर समुचित नहीं जान पड़ते । सन्था सम्बन्धी नियमों के निर्देश से मूल्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाय ?

श्री तुलसीदास : मैं इस की व्याख्या करूंगा श्रीमान्, मैं प्रस्तावित करता हूं :

पृष्ठ २१ पर, पंक्ति ३८ में,

"निर्देश" के पश्चात्, निविष्ट कीजिये

"समवाय के सन्था सम्बन्धी नियम अथवा ।"

समवाय अधिनियम के अनुसार, जो समवाय विधेयक द्वारा संशोधित किया जाने वाला है, लेखा परीक्षकों द्वारा आयव्यय विवरण पत्र पर हस्ताक्षर करते समय अंशों का मूल्य निश्चय किया जाता है । अतः समवाय के सन्था सम्बन्धी नियमों के अनुसार प्रति वर्ष मूल्य निर्धारित किया जाता है । निजी कम्पनियों के सन्था सम्बन्धी नियमों में अंशों के मूल्यांकन के तरीकों तथा अंशों का मूल्य निश्चित करने के सम्बन्ध में नियम दिये रहते हैं । मूल्य निर्धारण के कार्यों में यह प्रणाली मान्य होनी ही चाहिये । अनेक प्रतिबन्धों के कारण अंशों का मूल्यांकन समवाय की आस्तियों के आधार पर करना बड़ा कठिन हो जाता है । अतः यह समवाय के सन्था सम्बन्धी नियमों में यह उपबन्ध है कि आयव्यय विवरण पत्र को पारित करते समय अंशों का मूल्य भी लगा लेना चाहिये ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह मूल्य निर्धारित करने का बड़ा बनावटी तरीका हो जायगा । इस सब के अतिरिक्त वहां अच्छे लेखापरीक्षक, निरपेक्ष लेखापरीक्षक, तथा गरीब लेखापरीक्षक होते हैं और उन पर काफी प्रभाव भी पड़ सकता है, वह प्रभाव कम्पनी का भी हो सकता है और हम इस को मूल्य का अन्तिम निर्धारण नहीं मान सकते ।

(श्री तुलसीदास का संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।)

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड ३७ में कोई भी संशोधन नहीं किये गए हैं अतः मैं खण्ड ३६ तथा ३७ को एक साथ रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"खण्ड ३६ तथा ३७ विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३६ और ३७ विधेयक के अंग बना लिये गए ।

नया खण्ड ३७ क

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड ३७ क पर आते हैं । क्या वित्त मंत्री इस खण्ड को प्रारम्भ करेंगे ।

[**पंडित ठाकुरदास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २२ में,

पंक्ति ९ के पश्चात्, निविष्ट कीजिये :

"37A. *Valuation of interest in coparcenary property ceasing on death.*— (1) The value of the benefit accruing or arising from the cesser of a corparcenary interest in any joint family property governed by the Mitaksha a school of Hindu law which ceases on the death of a member thereof shall be the principal value of the share in the joint family property which would have been allotted to the deceased had there been a partition immediately before his death.

[श्री सी० डी० देशमुख]

(2) In determining under sub-section (1) the share would have been allotted to the deceased, a member of a coparcenary who had not completed the age of eighteen years at the time of the death of the deceased, and who has a father or other male ascendant in the male line who is a coparcener of the same family, shall be deemed not to have been entitled to any interest in the joint family property.

(3) The value of the benefit accruing or arising from the cesser of an interest in the property of a *tarwad* or *tavazhi* governed by the Marumakkattayam rule of inheritance or of a *kutumba* or *kavaru* governed by the Aliyasantana rule of inheritance which ceases on the death of a member thereof shall be the principal value of the share in the property of the *tarwad* or *tavazhi* or, as the case may be, the *kutumba* or *kavaru* which would have been allotted to the deceased had a partition taken place immediately before his death.

(4) In determining under sub-section (3) the share which would have been allotted to the deceased, a member of a *tarwad* or *tavazhi* or, as the case may be, the *kutumba* or *kavaru* who had not completed the age of eighteen years at the time of the death of the deceased shall be deemed not to have been entitled to any interest in the property of the *tarwad* or *tavazhi* or, as the case may be, the *kutumba* or *kavaru.*

(5) For the purpose of estimating the principal value of the joint family property of a Hindu family governed by the Mitakshara, or Marumakkattayam or Aliyasantana law in order to arrive at the share which would have been allotted to the deceased had a partition taken place immediately before his death, the provisions of this Act, so far as may be, shall apply as they would have applied if the whole of the joint family property had belonged to the deceased."

"[**३७ क. मृत्यु पर समाप्त हो जाने वाली समांशी सम्पत्ति में हित का मूल्यांकन—** (१) हिन्दू विधि के मिताक्षरा वर्ग द्वारा शासित किसी संयुक्त परिवार सम्पत्ति में, जिस का उस के एक सदस्य की मृत्यु पर अवसान हो जाता है, एक समांशी हित के अन्त से प्रोदभूत या उत्पन्न लाभ का मूल्य

उस संयुक्त परिवार सम्पत्ति के अंश का मुख्य मूल्य होगा, जो मृतक को आवटित होती यदि उस की मृत्यु के शीघ्र पूर्व विभाजन हुआ होता।

(२) उपधारा (१) के अन्तर्गत उस अंश का निश्चय करने में, जो मृतक को आवटित किया गया होता, समांशी का एक सदस्य, जो मृतक की मृत्यु के समय पूरे अठारह वर्ष का नहीं था और जिस का पिता अथवा पितृ परम्परा में अन्य कोई पुरुष अधिरोही है, जो उसी परिवार का एक समांशी है, संयुक्त परिवार सम्पत्ति के किसी भी हित का अधिकारी नहीं समझा जायगा।

(३) मरुमक्कट्टयम उत्तराधिकार नियम द्वारा शासित किसी तरबाद या तवज्जी अथवा अलियसन्तान उत्तराधिकार नियम द्वारा शासित कुटुम्ब या कबाडू की, जिस का उस के एक सदस्य की मत्यु पर अवसान हो जाता है, सम्पत्ति के हित के अन्त से प्रोदभूत या उत्पन्न लाभ का मूल्य, उस तरबाद या तबज्जी अथवा, यथा स्थिति, कुटुम्ब या कबाडू के अंश का मुख्य मूल्य होगा, जो मृतक को आवटित होती यदि उस की मृत्यु के शीघ्र पूर्व विभाजन हुआ होता।

(४) उपधारा (३) के अन्तर्गत उस अंश का निश्चय करने में जो मृतक को आवटित किया गया होता, एक तरवाद या तवज्जी अथवा, यथास्थिति, कुटुम्ब या कबाडू का एक सदस्य, जो मृतक की मृत्यु के समय पूरे अठारह वर्ष का नहीं था, उस तरवाद या तवज्जी अथवा, यथास्थिति, कुटुम्ब या कवाडू की सम्पत्ति के किसी भी हित का अधिकारी नहीं समझा जायगा।

(५) मिताक्षरा, मरुमक्कट्टय्यम् अथवा अलियसन्तान द्वारा शासित एक हिन्दू परिवार की संयुक्त परिवार सम्पित्त का मुख्य मूल्य प्राक्कलित करने के प्रयोजन से उस अंश का निश्चय करने में, जो मृतक को आवंटित किया गया होता यदि उस की मृत्यु के शीघ्र पूर्व विभाजन हुआ होता, इस अधिनियम के उपबन्ध यथासम्भव उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे इस दशा में लागू होते यदि पूरी संयुक्त परिवार सम्पत्ति मृतक के पास रहती।"]

श्री सी० डी० देशमुख : किसी हिंदू संयुक्त परिवार में एक समांशी की मृत्यु के मामले में हित के अवसान पर उसके मूल्यांकन का प्रश्न, जैसा कि सदन को विदित है, बड़ा ही कठिन है तथा इस में एक हानि यह भी है कि ऐसे हित का मूल्यांकन करने का हमारे पास कोई भी पहले का उदाहरण नहीं है। अब प्रस्तावित संशोधनों की सही-सही गुत्थियों को समझने के लिये मैं संक्षेप में सदन में समांशी संपत्ति का प्रकार तथा उससे संबंधित भार की व्याख्या करने का प्रयत्न करूंगा। मिताक्षरा विधि को पहले ले लीजिये, हिंदू समांशिता में वे ही व्यक्ति आते हैं जो संयुक्त अथवा समांशी संपत्ति में जन्मजात हित प्राप्त करते हैं। इसमें स्वामी के अतिरिक्त पुरुष वंश की अविभाज्य तीन पीढ़ियां भी सम्मिलित हैं। मिताक्षरा विधि के अन्तर्गत नारी समांशी नहीं बन सकती यद्यपि हिंदू स्त्रियों के संपत्ति में अधिकार अधिनियम १९३७ के अनुसार विधवा को भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं। यह अधिकार कि पुत्र पैतृक संपत्ति प्राप्त करता है, अपने पिता के अधिकार से पूर्णतया स्वतंत्र प्रकार का है, और इसलिये उसकी अधियाचना पिता के द्वारा न होकर स्वयं की होती है। हमारे लिये आवश्यक बिन्दु यह है कि किसी भी समांशिता को समांशी संपत्ति में किसी प्रकार का विशेष हित नहीं प्राप्त है, और न तो उसका उस संपत्ति के किसी भी अंश विशेष पर ही संपूर्ण अधिकार रहता है? ऐसे परिवार के सभी सदस्यों का हित तथा अधिकार में समान अंश रहता है। किसी भी समांशी का हित केवल समांशी

[श्री सी० डी० देशमुख]

संपत्ति के विभाजन के अवसर पर ही निश्चय किया जा सकता है । विभाजन की मांग करने वाले व्यक्तियों पर भी प्रतिबन्ध लगे हैं । साधारणत: प्रत्येक वयस्क समांशी को बम्बई तथा पंजाब के अतिरिक्त, जहां पिता के जीवन-काल में पुत्र का विभाजन के लिये अधिकार को मान्यता प्राप्त नहीं है, विभाजन की मांग तथा विभाजन के लिये अभियोग चलाने का अधिकार प्राप्त है ।

श्री राघवाचारी : अल्प वयस्क तक विभाजन की मांग कर सकते हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : पंजाब तथा बम्बई के बारे में जो कुछ मैंने कहा वही सही है । एक पुत्र जो माता के गर्भ में रहता है उसका भी अंश होता है । हिंदू स्त्रियों के संपत्ति में अधिकार अधिनियम, १९३७ के अन्तर्गत एक विधवा को भी विभाजन की मांग करने का अधिकार प्राप्त है । एक संयुक्त परिवार के सदस्यों के बीच विभाजन होने पर अंशों का आवंटन कुछ नियमों के अनुसार किया जाता है । वे नियम ये हैं :

(क) जहां पिता तथा पुत्रों के बीच विभाजन होता है, तो प्रत्येक पुत्र अपने पिता के बराबर ही अंश लेता है ।

(ख) जहां भाइयों के बीच विभाजन होता है तो प्रत्येक भाई बराबर अंश लेता है ।

(ग) जहां विभाजन परिवार की विभिन्न शाखाओं के समांशों के बीच होता है, तो संपत्ति का बंटवारा प्रत्येक को उसके पिता के अंश में से समान अंश दिया जाता है ।

(घ) जहां विभाजन एक ही शाखा के समांशियों में होता है, वहां संपत्ति का बंटवारा प्रति व्यक्ति के लिये समान होता है ।

अब मरुमक्कट्टयम विधि को लीजिये, तरवाद संयुक्त परिवार को दिया गया नाम है,— इससे संभवत: उत्तर के माननीय सदस्य परिचित न हों—इसमें एक ही पूर्वज स्त्री के वंश से उत्पन्न सभी पुरुष व स्त्रियां सम्मिलित हैं ।

श्री ए० एम० टामस : माननीय मंत्री को केरल के विषय में भी कुछ कहना चाहिये ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं केरल जाने से पूर्व वहां की स्थतियों की स्वयं सूचना दे रहा हूं । तरवाद में दो या अधिक शाखायें हो सकती हैं जिन्हें तवाशी कहते हैं । प्रत्येक तवाशी एक शाखा होती है जिसमें तरवाद की कम से कम एक स्त्री सदस्या होती है, और स्त्री वंश में उसके सभी पुत्र तथा पुत्रियों का तरवाद संपत्ति में समान अधिकार होता है और मिताक्षरा विधि में हिंदू स्त्रियों की सीमित संपत्ति के विषय में मरुमक्कट्टयम अथवा अलियसन्तान प्रणालियों का ज्ञान नहीं है । साधारणत: तरवाद के सभी सदस्यों की सहमति पर ही विभाजन हो सकता है । कुछ तरवादों को छोड़कर विभाजन का अंश प्रति व्यक्ति होता है पिता की संपत्ति के अंश के आधार पर नहीं । मरुमक्कट्टयम विधि में संपत्ति के विभाजन के लिये एक संपत्ति से दूसरी संपत्ति के उत्तराधिकारी बनने के नियम भी भिन्न भिन्न हैं ।

अन्त में, अलियसन्तान विधि में, कुटुम्ब का अर्थ है व्यक्तियों का एक वर्ग जिसका संपत्ति पर समान अधिकार हो तथा संयुक्त परिवार हो । कवारू स्त्री के संबंध में प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ है उस स्त्री से संबंधित सभी व्यक्ति, उसके बच्चे तथा स्त्री वंश के उस के सभी उत्तराधिकारी । जब यह एक पुरुष के संबंध में प्रयुक्त होता है, तो इसका अर्थ होता है, उस पुरुष की माता के कवारू । यहां पुन: कवारू के सभी सदस्यों के हित को पहचाना नहीं जा सकता किंतु साधारणत: कोई भी कवारू जिसका प्रतिनिधित्व बहुमत वयस्क सदस्यों द्वारा किया जाता है, वह अपने कुटुम्ब

की सभी संपत्तियों में से अपने अंश के लिये मांग कर सकता है, जिस संपत्ति को बेचने तथा कवारू से अलग कर देने का अधिकार कुटुम्ब को होता है । किन्हीं परिस्थितियों को छोड़कर, अंशों का आवंटन संपत्तियों के केवल आधे में होता है, कवारू को ऐसा अंश आवंटित किया जाता है कि यदि कुटुम्ब के सभी सदस्यों में प्रति व्यक्ति के हिसाब से बंटवारा किया गया होता तो भी उसे वही अंश मिलता । तत्पश्चात् कुटुम्ब संपत्ति के द्वितीय अर्द्ध भाग में रहते हुए कवारू को वही अंश आवंटित किया जाता है कि यदि कवारूओं में पिता की संपत्ति के हिसाब से बंटवारा किया गया होता तो भी उसे वही अंश मिलता ।

श्रीमान्, यह संक्षेप में इस विधेयक में खंड ७ के लागू करने से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का उचित विवरण है । जिन परिवारों का मैं ने वर्णन किया है उन में एक सदस्य की मृत्यु पर हित का मूल्यांकन करना जिसका अवसान हो जाता है, इस मामले को यों ही छोड़ देना उचित न होगा क्योंकि इससे बहुत सी गलत धारणायें तथा अनावश्यक झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं । हमें तो एक ऐसा अकृत्रिम उपाय करना है जो राजस्व अधिकारियों द्वारा कार्यान्वित किया जा सके और जिसे लोग समझ सकें । यह भी स्मरण रखना है कि कुछ मामलों में अंश पैतृक-संपत्ति के अनुसार हो, ऐसे मामलों में जो तरीका अपनाया जाय वह ऐसा हो कि जो संयुक्त परिवार की विभिन्न शाखाओं के सदस्यों के साथ भी लागू हो सके ।

अतः संशोधन यह सुझाता है कि हितों का मूल्यांकन इस प्रकार होगा जैसे कि विभाजन मृतक की मृत्यु के ठीक पहिले ही किया गया हो यही सूत्र है । इसमें इस बात का कोई विचार नहीं है कि मृतक को विभाजन की मांग करने का कोई अधिकार था या नहीं । विभाजन शुद्ध राष्ट्रीय होगा और वास्तव में यह प्रश्न उत्पन्न भी नहीं होता । संशोधन में इसकी भी व्यवस्था है कि ऐसे राष्ट्रीय विभाजन के समय, प्रत्येक के लिये उचित विधियों का पालन किया जाय, किंतु उन मामलों के अतिरिक्त जिन में पुरुष वंश का कोई भी पुरुष अधिरोही जीवित नहीं है जो समांशी भी है, अल्पवयस्कों के अंश सम्मिलित नहीं किये जायेंगे ।

यह केवल इस कारण प्रस्तावित नहीं किया गया है कि कुछ मामलों में अंश पैतृक संपत्ति के होने के कारण अल्प वयस्कों को अंशों का आवंटन कर देने से केवल बहुत बड़ी संपत्तियों को छोड़कर शुल्क नहीं लगेगा, किंतु इस कारण भी क्योंकि खंड ७ के उप-खंड (२) तथा (३) के द्वारा अल्प वयस्क की स्वयं की मृत्यु पर शुल्क नहीं लगाया जा सकता मुझे पूर्ण आश्वासन है कि इसमें कुछ भी अवैधानिक नहीं है, यद्यपि निस्संदेह ही हम विभाजन की सामान्य विधियों पर कुछ अपना अधिकार अवश्य जमा रहे हैं । मैं आशा करता हूं कि संयुक्त परिवार को अल्प वयस्क की मृत्यु पर शुल्क न देने का लाभ तथा शीघ्र अनुक्रम सहायता का जो लाभ मिलता है, वह उस परिवार के अल्प वयस्क को अंश देने से बचने वाली सभी संभव बेइंसाफ़ियों की क्षति पूर्ति से भी अधिक हो जायगा क्योंकि जैसा कि मैं आज प्रातः बता चुका हूं कि बड़े परिवारों में मृत्युऐं अधिक होती हैं ।

उस अंश को प्राप्त करने के लिये जो किसी मृतक सदस्य को आवंटित किया जाता है, यह आवश्यक है कि संपूर्ण समांशी संपत्ति का मूल्य निर्धारित कर लिया जाय इसीलिये उप खंड (५) प्रस्तावित किया गया है । नहीं तो मृतक के अंश को निर्धारित करना असंभव होगा ।

यहां पुनः संपूर्ण संपत्ति का योग मूल्य निश्चय करने में द्वितीय भाग के उपहारों, व्यवस्थाओं तथा ट्रस्टों की घोषणा आदि से संबंधित उपबंध लागू होने चाहियें जिससे हिंदू समांशिता की ओर से मैनेजर अथवा

[श्री सी० डी० देशमुख]

अन्य दूसरे व्यक्तियों द्वारा अधिनियमित समय में किये गये सभी हस्तांतरण संयुक्त परिवार संपत्ति में वापस लाये जा सकें, उन में से किसी भी लेन देन को उलट देने के उद्देश्य से नहीं वरन् केवल राजस्व अधिकारियों को संपत्ति का योग मूल्य निश्चित करने योग्य बनाने के लिये ही ऐसा किया गया है ।

यदि यह सुझाव रखा जाता है कि यह उपबन्ध अनुचित है, उसका उत्तर यह है कि ऐसा नहीं है, विशेषकर इसलिये कि यह किसी भी हस्तांतरण को समाप्त नहीं करता वरन् एक तरीका बताता है—जो शायद एक मात्र तरीका है—जिसके द्वारा सफलता पूर्वक संपूर्ण संपत्ति में मृतक का अंश निश्चित किया जा सकता है, यदि ऐसा उपबन्ध न किया गया होता, तो बहुत से मामलों में मृतक का अंश निर्धारित करना असंभव होता, जो वास्तव में शून्य भी हो सकता है, यदि पूरी संपत्ति का मुख्य मूल्य निकालने के लिये ऐसे लेन देनों की गणना न की जाती ।

इन शब्दों के साथ मैं अपने इस संशोधन को सदन के निर्णय पर छोड़ता हूं क्योंकि इस पर ध्यानपूर्वक विचार करना होगा । मैं समझता हूं कि मेरा यही एक संशोधन है ।

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

पृष्ठ २२ पर,

पंक्ति ९ के पश्चात, निमिष्ट कीजिये :

"37A. *Valuation of interest in coparcenary property ceasing on death.*—(1) The value of the benefit accruing or arising from the cesser of a coparcenary interest in any joint family property governed by the Mitakshara School of Hindu law which ceases on the death of a member thereof shall be the principal value of the share in the joint family property which would have been allotted to the deceased had there been a partition immediately before his death.

(2) In determining under sub-section (1) the share which would have been allotted to the deceased, a member of a coparcenary who had not completed the age of eighteen years at the time of the death of the deceased, and who has a father or other male ascendant in the male line who is a coparcener of the same family, shall be deemed not to have beem entitled to any interest in the joint family property.

(3) The value of the benefit accruing or arising from the cesser of an interest in the property of a *tarwad* or *tavazhi* governed by the Marumakkattayam rule of inheritance or of a *kutumba* or *kavaru* governed by the Aliyasantana rule of inheritance which ceases on the death of a member thereof shall be the principal value of the share in the property of the *tarwad* or *tavazhi* or, as the case may be, the *kutumba* or *kavaru* which would have

been allotted to the deceased had a partition taken place immediately before his death.

(4) In determining under sub-section (3) the share which would have been allotted to the deceased, a member of a *tarwad* or *tavazhi* or, as the case may be, the *kutumba* or *kavaru* who had not completed the age of eighteen years at the time of the death of the deceased shall be deemed not to have been entitled to any interest in the property of the *tarwad* or *tavazhi* or as the case may be, the *kutumba* or *kavaru*.

(5) For the purpose of estimating the principal value of the joint family property of a Hindu family governed by the Mitakshara, Marumakkattayam or Aliyasantana law in order to arrive at the share which would have been allotted to the deceased had a partition taken place immediately before his death, the provisions of this Act, so far as may be, shall apply as they would have applied if the whole of the joint family property had belonged to the deceased."

["३७ क. मृत्यु पर समाप्त हो जाने वाली समांशी सम्पत्ति में हित का मूल्यांकन—(१) हिन्दू विधि के मिताक्षरा वर्ग द्वारा शासित किसी संयुक्त परिवार सम्पत्ति में, जिस का उस के एक सदस्य की मृत्यु पर अवसान हो जाता है, एक समांशी हित के अन्त से प्रोद्भूत या उत्पन्न लाभ का मूल्य उस संयुक्त परिवार सम्पत्ति के अंश का मुख्य मूल्य होगा, जो मृतक को आवंटित होती यदि उस की मृत्यु के शीघ्र पूर्व विभाजन हुआ होता ।

(२) उपधारा (१) के अन्तर्गत उस अंश का निश्चय करने में, जो मृतक को आवंटित किया गया होता, एक समांशी को एक सदस्य, जो मृतक की मृत्यु के समय पूरे अठारह वर्ष का नहीं था और जिस का पिता अथवा पितृ परम्परा में अन्य कोई पुरुष अधिरोही है, जो उसी परिवार का एक समांशी है, संयुक्त परिवार सम्पत्ति के किसी भी हित का अधिकारी नहीं समझा जायगा ।

(३) मरुमक्कट्टय्यम उत्तराधिकार नियम द्वारा शासित किसी तरवाद या तवज्जी अथवा अलियसन्तान उत्तराधिकार नियम द्वारा शासित कुटुम्ब या कवाडू की, जिस का उस के एक सदस्य की मृत्यु पर अवसान हो जाता है, सम्पत्ति के हित के अन्त से प्रोद्भूत या उत्पन्न लाभ का मूल्य, उस तरवाद या तवज्जी अथवा, यथास्थिति, कुटुम्ब या कवाडू के अंश का मुख्य मूल्य होगा, जो मृतक को आवंटित होती यदि उस की मृत्यु के शीघ्र पूर्व विभाजन हुआ होता ।

(४) उपधारा (३) के अन्तर्गत उस अंश का निश्चय करने में जो मृतक को आवंटित किया गया होता, एक तरवाद या तवज्जी अथवा यथास्थिति कुटुम्ब या कवाडू का एक सदस्य, जो मृतक की मृत्यु के समय पूरे अठारह वर्ष का नहीं था, उस तरवाद या तवज्जी अथवा यथास्थिति कुटुम्ब या कवाडू की सम्पत्ति के किसी भी हित का अधिकारी नहीं समझा जायगा ।

(५) मिताक्षरा, मरुमक्कट्टय्यम् अथवा अलियसन्तान द्वारा शासित एक हिन्दू

[सभापति महोदय]

परिवार की संयुक्त परिवार सम्पत्ति का मुख्य मूल्य प्राक्कलित करने के प्रयोजन से उस अंश का निश्चय करने में, जो मृतक को आवंटित किया गया होता यदि उस की मृत्यु के शीघ्र पूर्व विभाजन हुआ होता, इस अधिनियम के उपबन्ध यथासम्भव उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे इस दशा में लागू होते यदि पूरी संयुक्त परिवार सम्पत्ति मृतक के पास रहती ।"]

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह संशोधन प्रक्रिया के नियमों १०१ और १०२ से मेल रखता है । नियम १०१ में ऐसा कहा गया है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना प्रस्तुत न किये जा सकने वाले संशोधन को यदि कोई सदस्य प्रस्तुत करना चाहे, तो उसे सूचना के साथ मंत्री द्वारा दी गई स्वीकृति अथवा सिपारिश को भी टांकना पड़ता है । और जब तक यह न किया जाएगा, सूचना मान्य नहीं होगी । इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रपति की कोई सिपारिश इस के साथ लगाई गई है ?

सभापति महोदय : क्या इस संशोधन के साथ ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी : जी हां ।

सभापति महोदय : क्या इस के लिये राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता है ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मेरा यही तो निवेदन है । परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस के साथ कोई सिपारिश या प्रमाण-पत्र लगा हुआ है ? क्योंकि यदि कोई सिपारिश इस के साथ नहीं है, तभी तो औचित्य प्रश्न खड़ा होगा ।

श्री एम० एस० गोरे : आप तो स्वयं ही निर्णय कर रहे हैं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं निर्णय नहीं कर रहा । मैं तो पहले जानकारी चाहता हूं ।

सभापति महोदय : पहले माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या इस के लिये राष्ट्रपति से स्वीकृति ले ली गई है, तब वह औचित्य-प्रश्न खड़ा करेंगे ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : यह मान कर कि स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है .....

सभापति महोदय : मैं माननीय वित्त मंत्री से यह निवेदन करता हूं कि वे बतलाने की कृपा करें कि आया स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है अथवा नहीं ।

श्री सी० डी० देशमुख : हम ने इस विशेष संशोधन के लिये सिपारिश प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी है ।

सभापति महोदय : अब माननीय सदस्य अपना प्रश्न रख सकते हैं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : बात यह है कि नए खण्ड ३७ क के इस संशोधन के उपखंड (२) में ऐसा रखा गया है कि १८ वर्ष से कम आयु का बच्चा, जिस का पिता जीवित है, और जो उसी परिवार का समांशी है, उसका संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में कोई हित न होगा, अर्थात् उस का भाग नहीं माना जायगा, और शुल्क का दर बढ़ जाएगा । शुल्क का दर बढ़ने के कारण तथा धारा २७४ और ११७ के अनुसार इस के लिये राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करना अत्यावश्यक है ।

श्री ए० एम० टामस : हम ने खण्ड ७ को स्वीकार कर लिया है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : गलतियां दूर भी की जा सकती हैं । परन्तु आज हम इस बात पर विचार करने लगे हैं, जिस से लागू होने वाले शुल्क के दर में अन्तर पड़ जाएगा ।

और धारा ११७ में कहा गया है कि धारा ११० के खण्ड (१) के उपखण्ड (क) से (च) तक वर्णित किसी मामले का संशोधन राष्ट्रपति की सिपारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जायगा, और ऐसा उपबन्ध करने वाला विधेयक राज्य-परिषद् में पेश नहीं हो सकेगा । परन्तु इस बात को छोड़ कर कि किसी कर को घटाने या हटाने का उपबन्ध करने के लिये संशोधन प्रस्तुत करने के लिये इस खण्ड के आधीन किसी सिपारिश की कोई आवश्यकता न हो । धारा २७४ में स्पष्ट है कि कृषि-आय अथवा आय-कर के बढ़ाने तथा धन सम्बन्धी मामलों में अन्तर करने वाले संशोधन को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिये । और क्योंकि यह संशोधन भी शुल्क बढ़ाने के सम्बन्ध में है, अतः मेरा निवेदन यह है कि यह नवीन खण्ड ३७-क प्रस्तुत नहीं किया जा सकता ।

श्री राघवाचारी: यह संशोधन प्रक्रिया के नियम १०० (२) के विपरीत है, क्योंकि उस में कहा गया है कि उसी प्रश्न पर सदन के पहले निश्चय के होते हुए संशोधन प्रस्तुत करना योग्य नहीं है ।

सभापति महोदय : पहली बात का निर्णय हो जाना चाहिये ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरुपुर) : मैं इस का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति के चार पुत्र हों, और वे सब अल्पवयस्क हों, तो उस व्यक्ति पर कर कैसे लगाया जायगा, और उस कर की क्या मात्रा होगी ?

श्री गाडगील : मरता कौन है ?

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : उन चारों पुत्रों के पिता के मर जाने पर क्या सरकार उसे संयुक्त परिवार का समांशी मान कर केवल ५०,००० रुपये की मुक्ति दे कर बाकी सम्पत्ति पर शुल्क लगाएगी ?

श्री सी० डी० देशमुख : अल्पवयस्कों के हितों को गिना नहीं जाता ।

श्री एस० एस० मोरे : इस बात को भी लम्बित करना पड़ेगा, क्योंकि यह भी प्रातः-काल की विवादास्पद बात के समान ही है ।

सभापति महोदय : मैं भी इसे लम्बित करना चाहता था, परन्तु मैं इस के बारे में माननीय वित्त मंत्री की प्रतिक्रिया को जानना चाहता था ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: हमें इस का स्पष्टीकरण चाहिए ।

सभापति महोदय : मैं इस औचित्य प्रश्न के बारे में माननीय वित्त मंत्री के विचार जानना चाहता हूं ।

श्री ए० एम० टामस : हिस्सा निश्चित रूप से बढ़ाया जायगा ।

श्री सी० डी० देशमुख: ये अकालिक उपबन्ध किये जा रहे हैं । इस से शुल्क लगाया नहीं जायगा और न ही उस में कोई अन्तर आयेगा । इसे शुल्क का लगाना अथवा कर का अन्तर नहीं माना जा सकता ।

सभापति महोदय : जब किसी भाग को सम्मिलित नहीं किया जायगा तो सम्पत्ति की रकम बड़ी होगी और कर भी अधिक होगा । अतः दर भी बढ़ेगा ।

श्री एस० एस० मोरे : और दर में अन्तर भी बड़ा पड़ जायगा ।

श्री सी० डी० देशमुख: यह मूल्यांकन का मामला है । जब हम ने खण्ड ३५ के संशोधन प्रस्तुत किये, जिन में मूल्यांकन को बढ़ाने और घटाने की बात थी, हम ने तब यह नहीं अनुभव किया कि संशोधन से मूल्यांकन में अन्तर

[श्री सी० डी० देशमुख]

पड़ेगा । इसीलिये मैं कहता हूं कि धारा १०७ (१) इस पर लागू नहीं होती । यदि कोई समझने और इस प्रश्न के उत्तर देने का प्रयत्न करे, तो धारा ११० (क) से (च) तक वर्णित मामलों की परिधि में इस खण्ड की कोई भी बात नहीं आती । यह प्रक्रिया का मामला है ।

श्री एस० एस० मोरे : प्रक्रिया का नहीं ।

सभापति महोदय : पहले उन्हें समाप्त कर लेने दो ।

श्री सी० डी० देशमुख : हमारा विचार है कि धन-विधेयक में इस मामले से सम्बन्ध रखने वाले उपबन्ध भी होते हैं । परन्तु इस का यह आशय नहीं कि इस के प्रत्येक शब्द में कर को लगाने, या कर में बदल लाने या उसे हटाने की ही बात है । दूसरे मामले भी हो सकते हैं, जैसे अपीलों को अधिकरण में जाना चाहिए अथवा मण्डल में इत्यादि--यदि इस प्रकार के संशोधन हों, तो क्या हम कह सकते हैं कि यह धन-विधेयक है और इसलिये यह संशोधन है जो कर को लगाना या उस में अन्तर डालना चाहता है ? आप ऐसा नहीं कह सकते । करारोपण या कर में अन्तर लाने वाले जो संशोधन हैं, उन को आप धन-विधेयकों के संशोधन मान सकते हैं । परन्तु मैं कहता हू कि यह उस प्रकार का संशोधन नहीं है । यह मूल्यांकन और बाजार भाव के निर्धारण की पद्धति पर है ।

श्री गाडगील : समस्त पांचवां अध्याय मूल्यांकन की प्रक्रिया से सम्बन्धित है । यह करारोपण से सम्बन्धित नहीं है, अतः प्रक्रिया के संशोधन की मंजूरी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री एस० एस० मोरे : यह विचार ठीक नहीं ह । मिताक्षरा परिवार के १८ वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति के लिये कुछ रियायत दी गई थी । परन्तु अब और ही कुछ सोचा जा रहा है । यदि सदन १८ वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों के हिस्से को स्वीकार नहीं करता, तो क्या परिणाम होगा ? यदि उस का हिस्सा उस में माना जाय, और परिवार का एक व्यक्ति मर जाय, तो उस के हिस्से को भी करारोपण के लिये गिना जायगा । मान लो क तथा ख भाई हैं और ख अल्पवयस्क है । तो संयुक्त परिवार में उस का सम्पत्ति पर भाग नहीं समझा जायगा । और क को मरने वाले की सम्पत्ति पर उत्तराधिकार प्राप्त होगा और क के हिस्से पर उच्च कर लगेगा । देखने में यह विधेयक सरल दिखाई पड़ता है, परन्तु इस के लागू होने पर भयंकर परिणाम निकलेंगे और खण्ड ७ के अनुसार दी गई रियायतें भी छिन जायेंगी । क के हिस्से को भी सम्मिलित कर लेने में सारी सम्पदा पर अधिक शुल्क लगेगा और दर में अन्तर पड़ने के कारण दर भी बढ़ जायगा । और करारोपण के लिये समस्त सम्पदा को एक समझा जायगा ।

श्री ए० एम० टामस : मेरी आपत्ति यह है कि न केवल मरने वाले व्यक्ति की सम्पदा पर ही कर लगेगा, अपितु जीवित व्यक्ति की सम्पदा पर भी कर लगेगा ।

श्री एस० एस० मोरे : वह दूसरा बिन्दु है ।

श्री टेकचन्द : श्रीमान् जी, औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान संविधान की धारा ११० (१) की ओर दिलाना चाहता हूं, जिस में धन-विधेयक की परिभाषा में किसी कर का लगना, हटाना, कम करना, बदलना आदि आते हैं । यह संशोधन कर को विनियमित करेगा । आप धारा ११७ के अनुसार कह सकते हैं कि किसी

कर में कमी करने या उसे हटाने के लिये संशोधन प्रस्तुत करने के लिये सिपारिश की आवश्यकता नहीं है । परन्तु उपखण्ड (२) के अनुसार अधिक कर लगाना धन-विधेयक की परिधि में आता है, और उस के लिये राष्ट्रपति की सिपारिश प्राप्त करना परमावश्यक हो जाता है ।

श्री एस० एस० मोरे : सारे पुलिंदे को राष्ट्रपति के पास भेज देना चाहिये ।

सभापति महोदय : व्यवस्था । खण्ड ३७ क भाग ५ : आदेय मूल्य के अन्तर्गत है । परन्तु जैसे श्री मोरे ने कहा, यदि यह अन्तर पर्याप्त है और उस से शुल्क में वृद्धि होगी, क्योंकि हिस्सा भी बढ़ेगा, तो मुझे इस पर विचार करना है कि आया यह प्रश्न प्रक्रिया का है, अथवा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है । यदि वास्तविक परिणाम सम्पत्ति के मूल्यांकन के प्रश्न से भिन्न है, और यदि इस उपखण्ड (२) के अधीन किसी व्यक्ति का भाग बढ़ा हुआ माना जायगा, तो यह महत्व का प्रश्न है । अतः मेरा विचार है कि इस प्रश्न को भी बाकी प्रश्नों के साथ ही उठाना चाहिये । यदि सदन सहमत हो, तो हम दूसरे खण्डों ३८ और ३९ आदि को ले सकते हैं और इस प्रश्न के निर्णय को लम्बित कर सकते हैं ।

श्री एस० एस० मोरे : केवल दस मिनट रह गये हैं, अतः हमें बैठक स्थगित कर देनी चाहिए ।

एक माननीय सदस्य : उपखण्ड (१) (३), ५ के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं हो सकती ।

श्री एम० सी० शाह : हम ने ७-३० तक बैठने का निर्णय किया है ।

सभापति महोदय : इसीलिये मैं ने कहा कि हमें दूसरे खण्डों को ले लेना चाहिए ।

श्री राघवाचारी : मेरा इस संशोधन से इसलिये विरोध है कि यह सदन में इसी प्रश्न पर किये गये निर्णयों के साथ संगत नहीं है । खण्ड ५ में ऐसा निर्धारित किया गया है कि मरने वाले की सम्पदा पर ही शुल्क लगाया जायगा, परन्तु इस संशोधन के अनुसार यह सम्पत्ति मरने वाले व्यक्ति की नहीं मानी जाती । यह तो स्पष्ट है कि अल्पवयस्कों का इस सम्पदा में कोई अधिकार स्वीकार नहीं किया जाता । यदि कोई पिता अपने १२ पुत्रों और पिता को छोड़ कर मर जाता है । जो पहले आधी सम्पदा पर कर लगा, और उस के पिता के मर जाने पर सारी सम्पत्ति पर कर लगा, क्योंकि बच्चों का सम्पदा में कोई हित नहीं है । परन्तु यह बात सदन में पारित खण्ड ५ के विपरीत है ।

फिर खण्ड ७ उपखण्ड (१) में ऐसा पारित किया गया है कि मरने वाले व्यक्ति की सम्पदा पर ही, जिस पर से उस का हित समाप्त हो चुका है, कर लगाना चाहिये । परन्तु चाहे मृत व्यक्ति का सम्पदा में पांचवां हित हो, परन्तु आप तो आधी पर या सारी पर करारोपण करना चाहते हैं, जो पहले पारित खण्ड के सिद्धान्तों से उल्ट है ।

खण्ड ७ के उपखंड (२) में कहा गया है कि यदि किसी १८ वर्ष से कम आयु वाले लड़के का पिता अथवा पूर्वज पुरुष जीवित है, तो उस अल्पवयस्क की सम्पदा पर कर नहीं लगेगा । परन्तु अब उस से उल्ट बात कहते हैं कि उस का सम्पदा में कोई हित नहीं है । जो पहली बात से बिल्कुल विपरीत है ।

श्री सी० डी० देशमुख : आप किस नियम की बात कर रहे हैं ?

श्री राघवाचारी : नियम संख्या १०० (२) ।

श्री सी० डी० देशमुख : क्या प्रक्रिया के नियमों में से ?

श्री राघवाचारी : जी हां ।

सभापति महोदय : जब एक बार सदन में कोई निर्णय हो चुका, तो उस के विपरीत किसी बात पर भी वाद विवाद की अनुमति नहीं दी जायगी ।

श्री सी० डी० देशमुख : परन्तु नियम १०२ इस पर लागू नहीं होता ।

श्री राघवाचारी : नियम में ऐसा कहा गया है कि उसी प्रश्न पर सदन के पूर्व निर्णय के होते हुए कोई भी संशोधन उस के विपरीत नहीं हो सकता ।

श्री गाडगील : आप कौन से पूर्व निर्णय का निर्देश कर रहे हैं ?

सभापति महोदय : वह खण्ड ५ की ओर निर्देश कर रहे हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : उन नियमों में केवल यही कहा गया है कि हित किस प्रकार खड़े होते हैं । यदि हितों को निर्धारण करने का प्रश्न किया जाय, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि दोनों प्रश्न एक ही हैं ? मुझे ऐसा कोई खण्ड दिखाई नहीं देता जिस में हितों के निर्धारण करने पर कोई निर्णय किया जा चुका हो । यदि हम ने ऐसा कहा होता तो अच्छा होता कि "किसी पूर्व खण्ड में आई बातों को छोड़ कर" । इस में कोई भी विपरीत बात नहीं है ।

श्री गाडगील : ये दोनों भिन्न भिन्न विषय हैं ।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : देश की सामान्य विधि के अन्तर्गत, सम्पदा का कोई अंश अवयस्कों को तब प्रोद्भूत होता है जबकि मृत व्यक्ति का सम्पदा में कोई अंश हो । लेकिन आप यह कहना चाहते हैं कि अवयस्कों के अंश में वह चीज़ भी शामिल है जिस में मृत व्यक्ति का कोई अंश ही नहीं था । यदि आप "...किसी बात के होते हुए..." शब्दों का प्रयोग भी करें तब भी स्थिति स्पष्ट नहीं होगी ।

श्री राघवाचारी : खंड ७ की भाषा बिल्कुल स्पष्ट है । वहां हम यह तय कर चुके हैं कि किसी व्यक्ति की सम्पदा वह है जो उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद किसी और व्यक्ति को प्रोद्भूत हो । आप इसे बढ़ा कैसे सकते हैं ? इस का क्षेत्र बढ़ाया जाना उस सिद्धान्त से असंगत होगा जो हम खंड ७ में पहले ही स्वीकार कर चुके हैं । आप तो मृत व्यक्ति का अंश उस से अधिक समझ रहे हैं जो वैयक्तिक विधि द्वारा उसे प्राप्त है ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का कहना यह है कि सदन पहले एक निश्चय कर चुका है और प्रस्तावित संशोधन उस निश्चय से असंगत है ।

श्री राघवाचारी : बिल्कुल यही । यह केवल खंड ७ (२), ७ (१) और ५ से ही असंगत नहीं है, बल्कि खंड ३५ से भी असंगत है, जो हम ने अभी पारित किया है । इस खंड में आप ने कहा है कि सम्पत्ति का मूल्य निर्धारण करते समय सारी सम्पत्ति को ध्यान में रखते हुए कोई कमी नहीं की जायेगी । परन्तु अब आप यह कहते हैं कि मूल्यांकन करते समय सारी सम्पत्ति को ध्यान में रखा जायेगा ।

सभापति महोदय : मेरी समझ में नहीं आता कि खंड ३५ का इस से क्या ताल्लुक़ है ।

श्री राघवाचारी : सामान्य रूप से जब कोई सम्पत्ति छोटे छोटे टुकड़ों में बेची जाती है तो उस के अच्छे दाम मिलते हैं क्योंकि बड़ी सम्पत्ति के खरीदने वाले कम

ही मिलते हैं और इसलिये इस की क़ मत भी कम मिलती है ।

सभापति महोदय : खण्ड ३५ मूल्यांकन के समय से सम्बन्ध रखता है, अर्थात्, "मृतक की मृत्यु के समय" । जहां तक सम्पत्ति का सम्बन्ध है, यह एक दूसरी बात है । यदि खंड ५, ७(१) और ७(२) की ओर निर्देश किया जाये तो यह मालूम होगा कि खंड ३५ का उन से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री राघवाचारी : यदि प्रस्तावित संशोधन की सदन के पूर्व विनिश्चयों से तुलना की जाये तो यह असंगत प्रतीत होगा । अतः यह स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री के० पी० गौंडर : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं । मेरा कहना यह है कि संशोधन में जीवित व्यक्ति की सम्पत्ति पर कर लगाने की अपेक्षा है क्योंकि मूल्यांकन करते समय केवल मृतक की ही नहीं, बल्कि अन्य व्यक्तियों की सम्पत्ति को भी ध्यान में रखा जाता है । अतः यह संशोधन अवैध है ।

सभापति महोदय : यहां हम संशोधन के गुणावगुणों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं ।

श्री के० पी० गौंडर : मैं एक उदाहरण दे कर यह समझाऊंगा कि आप न केवल मृतक की सम्पत्ति पर ही कर लगा रहे हैं, बल्कि जीवित व्यक्ति की सम्पत्ति पर भी लगा रहे हैं । मान लीजिये, कोई व्यक्ति छः पुत्र छोड़ कर मर जाता है । उस दशा में आप केवल मृतक के ही अंश पर नहीं, बल्कि अवयस्कों के अंशों पर भी कर लगा रहे हैं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह उठाया गया है कि प्रस्तावित उपबन्ध सदन द्वारा किये गये पूर्व विनिश्चय के विरुद्ध है । इस के उत्तर में माननीय वित्त मंत्री ने यह कहा था कि यदि ".....में किसी बात के होते हुए भी....." शब्द रख दिये जायें तो यह ठीक हो जायेगा ।

खंड ५ ऐसे किसी उपबन्ध से असंगत नहीं है जो बाद में यह निर्धारित करे कि सम्पत्ति का मूल्य किस प्रकार निश्चित किया जायेगा ।

जहां तक खंड ७ का प्रश्न है । यह विशिष्ट रूप से मृत्यु के बाद समाप्त होने वाले हितों के बारे में है । मैं समझता हूं कि खंड ७(२) में अवयस्कों की ओर निर्देश था ।

श्री राघवाचारी : मूल खंड ७(२) बाद में संशोधित किया गया था और उस के स्थान में एक नया उपखंड आदिष्ट किया गया था । मैं समझता हूं यह संशोधन संख्या ४६७ है ।

सभापति महोदय : यह क्या है ?

श्री राघवाचारी : मेरे पास यह संशोधन इस समय नहीं है । परन्तु अधिकांश रूप से इस का सार भी यही कुछ है ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि क्या केवल खंड ७ के अन्तर्गत इस बात को निश्चित करना सम्भव होगा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उस का कितना हिस्सा समाप्त हो जाता है ?

श्री राघवाचारी : जी नहीं । यही कारण है कि मैं ने यह निवेदन क्यों किया कि उप-खंड (२) तथा उप-खंड (४) अनियमित हैं । खंड ३७-क का उप-खंड (१) बिल्कुल ठीक है तथा आवश्यक है ।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरे विचार में माननीय सदस्य ने बताया कि खंड ७ में हम ने कुछ मामलों का फैसला किया है तथा अब हम अपने पुराने फैसलों को तोड़ रहे हैं अथवा उन्हें बदल रहे हैं । मैं निवेदन करता हूं कि यह अतिरिक्त खंड हमें यह बात निर्धारित करने में सहायता देगा कि विशेष परिस्थितियों के कारण किसी व्यक्ति

[श्री सी० डी० देशमुख]

विशेष की मृत्यु पर उस का कितना सम्पत्ति भाग समाप्त हो जाता है। गुण दोष के आधार पर इस का कोई विशिष्ट भाग सही है अथवा गलत है यह तो एक अलग मामला है। खंड ७ के अन्तर्गत हम ने उन सभी मामलों को निर्धारित नहीं किया है जिन्हें कि निर्धारित किया जाना है। "मृत्यु के पश्चात् किसी व्यक्ति विशेष के हिस्से की समाप्ति" जैसे शब्दों से ही तो काम नहीं चलेगा। मैं समझता हूं कि इस खंड की व्यापकता पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है।

श्री राघवाचारी : मैं केवल उप-खंड (२), (४) तथा (५) पर आपत्ति कर रहा हूं।

सभापति महोदय : मैं निवेदन कर रहा था कि जहां तक हिन्दू विधि का सम्बन्ध है, कई खंडों अतः इस खंड द्वारा भी अतिक्रमण हुआ है। हमें मालूम है कि वहां मृत्यु इतनी महत्व-पूर्ण नहीं होती है जितना कि विभाजन, किन्तु यहां हम मृत्यु पर ही अधिक ज़ोर डालते हैं। तो जब तक कि स्वीय विधि का अतिक्रमण न किया जाय तब तक यह कानून सदन द्वारा पास नहीं किया जा सकता है।

हम दूसरी धारणा स्वीकार कर रहे हैं कि गोया कि १८ वर्ष से कम आयु का कोई नाबालिग विद्यमान ही नहीं है, और यदि वह विद्यमान भी हो तो उस का कोई हिस्सा ही नहीं है। पहले सदन ने एक उपबन्ध पास किया था कि यदि किसी परिवार के किसी ऐसे सदस्य की मृत्यु हो जाये तो कोई सम्पदा-शुल्क नहीं लगाया जायगा, यह सक्रिय रूप से उस प्रस्थापना का एक प्रतिरूप है।

श्री एस० एस० मोरे : श्रीमान्, मैं समझता हूं कि नियम १०० (१) के अन्तर्गत यह संशोधन इस विधेयक के क्षेत्र से बाहर है। इस विधेयक का उद्देश्य मृत्यु प्राप्त व्यक्ति की सम्पत्ति पर कर लगाना है किन्तु वित्त मंत्री एक कल्पना के आधार पर नाबालिग़ जीवित व्यक्ति की सम्पत्ति पर भी कर लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

सभापति महोदय : वर्तमान संशोधन यह नहीं कहता है कि नाबालिग की सम्पत्ति पर कर लगेगा। इस संशोधन के अनुसार सम्पत्ति का मूल्य वही समझा जायगा जोकि इसे उस दशा में प्राप्त होता जबकि नाबालिग का हिस्सा इस में नहीं होता। इस का अर्थ यह नहीं कि नाबालिग की सम्पत्ति पर भी कर लगेगा।

श्री एस० एस० मोरे : श्रीमान्, मान लीजिये कि एक पिता के दो बेटे हैं जिन में से कि एक नाबालिग है, तो इस संशोधन के अन्तर्गत यह मान लिया जायगा कि पिता की मृत्यु के बाद बालिग बेटे ने कुल सम्पत्ति का दो तिहाई भाग उत्तराधिकार में प्राप्त किया है, जिस पर फिर कर लगाना अपेक्षित होगा। दूसरे शब्दों में जीवित नाबालिग की सम्पत्ति पर भी कर लगेगा।

सभापति महोदय : यह इस अधिनियम के उद्देश्य के लिये एक कल्पना है। स्वीय विधि के अन्तर्गत नाबालिग का उस सम्पत्ति पर हक़ होगा तथा उस पर कोई कर भी नहीं लगेगा। प्रश्न केवल यह है कि क्या हम इस कल्पना के आधार पर दूसरे व्यक्तियों की सम्पत्ति को ऐसी सम्पत्ति मान लेंगे जोकि उन्हें मृत्यु-प्राप्त व्यक्ति से मिली हो। इस कल्पना के आधार पर हम कुछ इस तरह समझ रहे हैं कि उन्हें अधिक सम्पत्ति मिली है।

श्री आल्तेकर : श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खंड ३७-क, खंड ७ जिसे कि हम ने पास किया है के असंगत नहीं है। खंड ७ के उप-खंड (२) के अन्तर्गत

किसी व्यक्ति के मर जाने के पश्चात् जो सम्पत्ति हस्तांतरित होगी वह केवल उसी व्यक्ति की ही नहीं होगी अपितु उस में नाबालिगों का हिस्सा भी शामिल होगा। यह सिद्धान्त उप-खंड (२) में मान लिया गया है, खण्ड ३७-क इस का केवल एक उप-साध्य है।

श्री राघवाचारी : वहां यह मृत्यु-प्राप्त नाबालिग से सम्बन्ध रखता है, जीवित से नहीं। श्रीमन्, मैं इस सम्बन्ध में आप का ध्यान खंड ७ की पंक्ति ३१ की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे मित्र यह कह रहे थे कि क्योंकि हम ने इस में यह रखा है कि "इस धारा के उपबन्धों के अधीन" यदि किसी अवयस्क की मत्य हो जाती है और कोई विशेष सीमायें निर्धारित की जाती ह, तो यह समझा जायगा कि उस के पास कोई सम्पत्ति नहीं थी। किन्तु हम ने यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है कि मृत व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति पर ही कर लगेगा।

सभापति महोदय : चूंकि यह निश्चय कर लिया गया है कि यह खंड स्थगित कर दिया जायगा, अब मैं अगला खंड लेता हूं।

श्री राघवाचारी : खंड ३७ क पर और भी संशोधन हैं।

सभापति महोदय : इस खण्ड पर चर्चा करते समय ही उन पर विचार किया जायगा। अब मैं खण्ड ३८ को लेता हूं।

खण्ड ३८ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड ३९ (मूल्यांकन आदि किया जाना)

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : इस पर मत लिये जाने से पूर्व मैं एक बात पूछना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री ने यह कहा था कि हम कुछ ऐसे तरीके निकाल रहे हैं जिन से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जा सकेगा। यदि मुझे ठीक स्मरण है तो ज़मीन, मकान आदि के सम्बन्ध में उन्होंने मुद्रांक शुल्क का और नगरपालिका समिति की सीमा में स्थिति सम्पत्ति पर लगने वाले कर का निर्देश किया था। क्या हम जान सकते हैं कि सरकार इन नियमों को किस प्रकार बनाना चाहती है और किन प्रमापों को निर्धारित करना चाहती है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं ने मुद्रांक शुल्क या नगर पालिका का निर्देश नहीं किया। हम जानते हैं कि वे कौन कौन से नियम होंगे किन्तु इस समय उन्हें बताना आवश्यक नहीं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ३९ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३९ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड ४२ (दाह संस्कार आदि के समुचित व्यय)

श्री तुलसीदास ने अपना संशोधन संख्या १५३ प्रस्तुत किया।

श्री मुहीउद्दीन (हैदराबाद नगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २३, पंक्ति ८ में,

"Shradha" ["श्राद्ध"] के पश्चात् "or barsi" ["अथवा बर्सी"] आदिष्ट किया जाय।

श्री तुलसीदास : इस खण्ड के द्वारा सम्पत्ति का वह मूल्य, जिस पर कर लिया जाना है, निर्धारित होता है। किन्तु इस में सम्पत्ति के मूल्य पर लगने वाले केन्द्रीय राज्य अथवा स्थानीय करों की गुंजाइश नहीं रखी गई। केन्द्रीय, राज्य अथवा स्थानीय करों, जो मृतक की मृत्यु से पूर्व पूरी तरह से निर्धारित किये जा सके हों या नहीं, के लिए गुंजाइश रखनी चाहिये

श्री सी० डी० देशमुख : माननीय सदस्य के संशोधन में चार बातें किये जाने का सुझाव है :

(१) मृत्यु की तारीख तक सम्पत्ति पर लगने वाले कर चाहे वे निर्धारित किये गये हों या किये जाने हैं;

(२) ऋण जो वसूल नहीं किये जा सकते ;

(३) सम्पत्ति का प्रबन्ध करने का समुचित व्यय, जिस में सम्पदा शुल्क की राशि निर्धारित करने के लिये की जाने वाली कानूनी कार्यवाही का व्यय सम्मिलित है ; और

(४) दाह संस्कार व्यय जो २,००० रुपये से अधिक न हो ।

यहां हमें यह याद रखना है कि हमारा सम्बन्ध तो मृत्यु पर छोड़ी गई सम्पत्ति के मूल्य से है । मृत्यु तक और मृत्यु पर चाहे जिस प्रकार ऋण या ऋण भार हों, वे संपत्ति में से घटाये जा सकते हैं । अतः मत्यु की तारीख तक जितने कर देय हैं वे सब घटाये जा सकते हैं । उन का विशेष रूप से उल्लेख करना आवश्यक नहीं और इस का उल्लेख करने से खण्ड का कार्यक्षेत्र सीमित हो सकता है ।

अब हम ऋण का प्रश्न लें । मृत्यु के बाद जो ऋण वसूल नहीं किये जा सकते उन को अथवा मृत्यु उपरान्त सम्पत्ति के प्रबन्ध करने के व्यय अथवा वसूल किये जाने वाले ऋण की राशि निर्धारित करने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के व्यय को घटाना सम्भव नहीं । हां, इस बात पर अवश्य विचार किया जा सकता है कि इस का कुछ भाग ऐसा हो गया है जिसे वसूल नहीं किया जा सकता । ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसे छोड़ कर आगे की कार्यवाही करने लगें, क्योंकि यदि सम्भव होता है तो कर निर्धारण करने की कार्यवाही मृत्यु के ठीक बाद की जाती है । सम्पत्ति प्रबन्ध का व्यय तो मृत्यु की तारीख के बाद छोड़ी गई सम्पत्ति पर पड़ेगा और इसी कारण इसे हम मत्यु के बाद हस्तान्तरित होने वाली सम्पत्ति के मूल्य में से घटा नहीं सकते । इस सम्बन्ध में केवल एक अपवाद खण्ड ४६ में दिया हुआ है जोकि विदेशों में किये गये अतिरिक्त व्यय के बारे में है । इन कारणों से मैं माननीय सदस्य के संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री के० के० बसु : यदि आय-कर संबंधी कानूनी कार्यवाही समय में पूरी न हो पाये और यदि आप मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारियों से सम्पदा शुल्क मांगें, तो उन के पास नकद रुपया न होने के कारण वे इसे कैसे दे सकते हैं । कार्यवाही पूरी होने से पहिले वे सम्पत्ति बेच भी नहीं सकते यद्यपि मैं मानता हूं कि किस्तों में रुपया दिया जा सकता है, फिर भी ऐसे मामलों में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है । मैं नहीं जानता कि इन कठिनाइयों को दूर करने का कोई उपबन्ध है या नहीं ।

सभापति महोदय ने उक्त संशोधन प्रस्तुत किया और वह अस्वीकृत हुआ ।

श्री मुहिउद्दीन : मैं इसलिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं कि विधेयक में केवल शब्द "श्राद्ध" का प्रयोग किया गया है । माननीय वित्त मंत्री को यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि "श्राद्ध" के अन्तर्गत वे वार्षिक रस्में भी आयेंगी जिन की कि अन्य सम्प्रदायों में प्रथा है । इसीलिये मैं ने अपेक्षा की है "श्राद्ध" के पश्चात् "अथवा बरसी" और जोड़ दिया जाय ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं यह संशोधन स्वीकार करता हूं ।

सभापति महोदय ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया और वह स्वीकृत हुआ ।

खंड ४२, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया ।

इस के पश्चात् सदन की बैठक बृहस्पतिवार, १० सितम्बर १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।